राजस्थान विधान सभा

२५ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक ६ अप्रेल, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८. १३ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३३८

जनवरी १९५५ के बाद वन विभाग में नये स्थान एवं नये कर्मचारियों की नियुक्तियां

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १ जनवरी, १९५५, के बाद वन विभाग में कुल कितनी नई पोस्टें क्रिएट की गई ?

(२) १ जनवरी, १९५५, के बाद कुल कितने नये कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

(३) जो कर्मचारी नये रखे गये उनके नाम, योग्यता क्या हैं और किस किस ओहदे पर रखे गये हैं ?

(४) नई नियुक्तियों के पूर्व क्या कोई आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

(५) यदि हां, तो कब कब ?

(६) सिलेक्शन किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वन मन्त्री):— (१) १८५.

Page No 2

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(२) १. ३. ५६ तक १७३ नये और २३ कस्टम व सप्लाई विभागों के सरप्लस इसमें ३ गजेटेड कर्मचारी शामिल नहीं है।

(३) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(४) सिवाय चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सब के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे। जिन जिन अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है वे आवेदन पत्र लेते हैं।

(५) जब जब कर्मचारियों की आवश्यकता हुई, समय समय पर।

(६) गजेटेड कर्मचारियों का सिलेक्शन जनसेवा आयोग व सरकार द्वारा हुआ और बाकी कर्मचारियों का हेड आफ दी आफिस द्वारा किया गया।

श्री चांदमल मेहता—सूची नहीं मिली है मुझे माननीय अध्यक्ष।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं पढ़ देता हूं।

नाम कर्मचारी	योग्यता	पद
१. श्री रामनारायण यादव	बी. एस. सी	अपर डिविजन क्लर्क
२. श्री राजमल	मेट्रिक	लोअर डिविजन क्लर्क
३. श्री कृष्ण गोपाल अरोड़ा	,,	,,
४. श्री अमर सिंह	,,	,,
५. श्री कैलाशचन्द्र	,,	,,
६. श्री आनन्द प्रकाश	,,	,,
७. श्री अब्दुल करीम	,,	,,
८. श्री नरेन्द्र कुमार	,,	,,

श्री अध्यक्ष—कितने हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—१७३ हैं, साहब।

श्री जसवन्तसिंह—१७३ ही पढ़ना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—सूची नहीं दी है इसलिए पढ़ना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने भेजी है।

श्री अध्यक्ष—आफिस में आ गई है। उनको नहीं मिली। अब दे दीजिये।

श्री चांदमल मेहता—अब दिला दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनको आफिस से दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—नोटिस आफिस में एक कापी देने की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यहां भेजते हैं पांच कापियों के बजाय ६ कापियां।

श्री अध्यक्ष—और सप्लिमेन्ट्री लिस्ट देखकर पूछेंगे ?

श्री चांदमल मेहता—लिस्ट देखकर।

श्री हिम्मतसिंह—अभी लिस्ट दे दी जाय और फिर बाद में सवाल पूछने का मौका दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह फॉरेस्टर्स और रेन्जर्स की लिस्ट है ज्यादातर।

श्री अध्यक्ष—आगे चलें।

प्रश्न संख्या ३३९

श्री जगतसिंह झाला।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३४०

एक माननीय सदस्य—(प्रश्न कर्त्ता के अनुपस्थिति होने के कारण)

श्री अध्यक्ष—No proxy, Shri Prabhu Dayal.

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४१

श्री तनसिंह

(यह प्रश्नोत्तर आगे लिये गये हैं)

श्री जसवन्तसिंह—श्री सोहनलाल जी रह गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल ।

प्रश्न संख्या ३४२

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उदयपुर जिले में सड़कों का निर्माण कार्य

श्री सोहनलाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उदयपुर जिले की कौन २ सी व किस २ तरह की सड़कों का निर्माण होगा ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न संख्या ३४३

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभुदयाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४४

श्री तनसिंह

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३४५

सवाई माधोपुर तथा खंडार तहसीलों के जंगलों के विकास हेतु शासकीय प्रयत्न

श्री **श्रीदास गोयल**—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) सवाई माधोपुर तथा खंडार तहसीलों के जंगलों के विकास के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किया है ।

Page No 5

[श्री श्रीदास गोयल]

(२) इस वर्ष उक्त दोनों तहसीलों में कितने कितने वृक्ष लगाये गये तथा उनमें से कितने अब तक विद्यमान हैं ?

(३) क्या जागीरें खत्म होने पर भी कुछ ठेकेदार गलत पट्टों के आधार पर जंगल काट रहे हैं ?

(४) सरकार ग्रीन ट्रीज प्रोटेक्शन आर्डीनेन्स के रिपील कर देने के बाद अब जागीरी क्षेत्रों के जंगल तथा वृक्षों का रक्षा हेतु कौन से कानून का प्रयोग कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(१) सन् १९५५ में ५० एकड़ भूमि पर सवाई माधोपुर में और खंडार तहसील के गिलाई सागर बान्ध व हनोतिया में ३० एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।

१९५६ में चौथ का बरवाड़ा में १०० एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिये अगाऊ भूमि तैयार कर ली गई है।

वनों में आवागमन की नीचे लिखी सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया:—

१. नकदी गुढ़ा २. कालीमाट, ३. उलियाना, और ४. छुकाली खंडार रेन्ज रानी हिंडोला पहाड़ में आवर्तनिक चराई (रोटेशनल ग्रेजिंग) की व्यवस्था की गई।

कटे हुए कुपों को चराई से बन्द किया गया।

(२) निम्न प्रकार—

सवाई माधोपुर तहसील	२०१५ में से ७००
खंडार तहसील	१६०० में से ५००

(३) जी नहीं।

(४) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं फारेस्ट एक्ट के अनुसार।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि दूसरे भाग के उत्तर में जो उन्होंने यह फरमाया है कि गलत पट्टों के आधार पर कोई जंगल नहीं कटे हैं तो इसकी उन्होंने जानकारी की है कि ठिकाने इसरदा और बरवाड़ा से पट्टे लेकर सैकड़ों एकड़ जंगल काट दिये गये हैं, वह वास्तव में किस आधार पर है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वहां के एस. डी. ओ. ने लाइसेन्स दिये हैं ऐसा मालूम होता है।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्या माननीय मंत्रीजी ने एकमात्र एस. डी. ओ. के लाइसेन्स के कारण ही यह नतीजा निकाला है कि गलत पट्टे जारी नहीं किये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज आर्डीनेन्स के तहत एस. डी. ओ. ही वह अधिकारी था जिसको कि लाइसेन्स देने का अधिकार था। फारेस्ट विभाग को अधिकार नहीं था।

श्री श्रीदास गोयल—यदि एस. डी. ओ. इस प्रकार से गलत लाइसेन्स देदे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सरकार उसके विरूद्ध कोई निगरानी करे तो इस प्रकार के अवैधानिक काटने के रास्ते को रोकने के लिए प्रयत्न नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष—वे अवैधानिक नहीं बतलाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एस. डी. ओ. को अधिकार था। आपने या किसी ने मुझे लिखकर दिया था तो मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज दिया। वही इसकी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उस एस. डी. ओ. के खिलाफ गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर रखे हैं कि इनके विरूद्ध जांच की जाय जो कि ग्रोन ट्रीज प्रोटेक्शन आर्डीनेन्स के तहत उन्होंने आज्ञायें दी हैं वह किस आधार पर दी हैं और उसके क्या कारण हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह जब रिपोर्ट आजायेगी तब मुकम्मल मालूम हो जायेगा।

श्री श्रीदास गोयल—मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार या माननीय मंत्रीजी को मालूम है या नहीं है कि इस प्रकार की एन्क्वायरी उनके खिलाफ कोई चल रही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मुझे याद आता है कि एक दरख्वास्त आपने या किसी और ने दी थी उसको मेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेज दिया था।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि उनके पास यह शिकायत आई कि लाखों वृक्ष काट लिये गये हैं तो अब तक ऐसी शिकायत के मामले में क्यों नहीं जांच हुई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्राइवेट फारेस्ट के संबंध में स्थिति कुछ डिफरेन्ट है, और मैं यह चाहूँगा कि इसके बारे में कोई कमिटमेंट न कराया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्या माननीय मंत्रीजी फारेस्ट एक्ट के रूल्स के बावजूद भी जब कि ग्रीन ट्रीज प्रोटेक्शन आर्डीनेन्स जो कि टेनेन्सी एक्ट के द्वारा रिपील किया गया है उसकी खामी को दूर करने के लिए बहुत जल्दी ही हाउस में लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फारेस्ट एक्ट के तहत में लोपिंग एन्ड कटिंग के रूल्स तैयार हो चुके हैं जो मन्जूरी के वास्ते सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री श्रीदास गोयल—आयन्दा से इस प्रकार से अराष्ट्रीयता न होकर लाखों वृक्ष न काटे जांय, इस दृष्टि से क्या इन शिकायतों की बहुत जल्दी जांच कराई जा सकती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने निवेदन किया था कि शिकायतों की जांच कराई जाती है और मेरे लायक दोस्त स्वयम् वकील हैं वे स्टडी करके मुझे बता देंगे कि प्राइवेट फोरेस्ट के बारे में क्या स्थिति हो सकती है, मुझे उसमें मदद मिलेगी।

श्री श्रीदास गोयल—मैं निवेदन कर रहा था कि प्राइवेट फोरेस्ट के विषय में जो स्थिति है, सरकारी अधिकार जो पट्टों पर स्टाम्प लगा कर जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, गवर्नमेन्ट रेप्रेजेन्टिटिव्ज़ को चाहिए था कि लाखों वृक्ष इस प्रकार से न कटें, उस विषय में जांच के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट आने के बाद जांच कराई जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या एस. डी. ओ. जो कलेक्टर हो गये हैं और उनके खिलाफ शिकायतों की जांच उनके असिस्टेन्ट एस. डी. ओ से करा रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जांच कोई भी कर सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह मुनासिब मानती है कि सीनियर अफसर की शिकायतों के खिलाफ जुनीयर से जांच करायी जाय ?

श्री अध्यक्ष—जांच हो रही है, नहीं हो रही है तो यह तो नहीं है। किसी से भी करायें।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को मालूम है कि इसरदा ठिकाना खालसा नहीं हुआ है और दूसरे जंगलों को इस प्रकार से पट्टों के आधार पर कटवाया जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी सूचना मिली जरूर है, लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया कि यह बहतर है कि प्राइवेट फारेस्ट के बारे में पब्लिक इन्ट्रेस्ट में सवाल न किये जाय।

Page No 8

प्रश्न संख्या ३४६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री प्रभुदयाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४७

सवाई माधोपुर के जंगलों में शिकारियों के चोरी से वनपशुओं के शिकार रोकने सम्बन्धी शासकीय कदम

श्री श्रीदास गोयल—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सवाई माधोपुर के जंगलों में बहुत से शिकारी चोरी चुपके वन पशुओं का शिकार करते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो कौन सरकारी अधिकारी उक्त अवैधानिक शिकार को न रोकने के लिए जिम्मेदार है ?

(२) सरकार इस अनुचित शिकार को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—जी नहीं। ऐसी कोई इत्तला नहीं है। इसी का दूसरा पार्ट है : रेन्ज ओफिसर, सवाई माधोपुर।

(३) राजस्थान फोरेस्ट एक्ट की धारा ७६ (ङ) तथा ३२ के अनुसार शूटिंग रूल्स तैयार है जो जारी किये जा रहे हैं। गेम वार्डन की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि फोरेस्ट एक्ट जब लागू हुआ तो उसके बाद अब तक रूल्स बनाने में इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शूटिंग रूल्स के लिए राजस्थान वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन बोर्ड में रखा गया है। उनकी राय से तैयार किये जा रहे हैं और अब मिटिंग होने वाली है जिसमें इसको फाइनल किया जायगा और फिर गवर्नमेन्ट उनको प्रकाशित करेगी। उनकी राय लेना जरूरी है। जब गवर्नमेन्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन के लिए बोर्ड बना रखा है तो उनको ही रेफर किया जाना ज्यादा उचित होगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि इस लम्बे अर्से में सवाई माधोपुर के जंगलों में ६० प्रतिशत वन पशु मारे जा चुके हैं और उनके लिए कोई रुकावट नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—रुकावट तो बहुत हैं, बिना लाइसेन्स मार नहीं सकता कोई भी। मुझे सूचना आप इस मामले में दे रहे हैं, मैं इसकी जांच कराऊंगा।

Page No 9

श्री श्रीदास गोयल—क्या एक वर्ष पहले इसी हाउस में इस विषय में एक प्रश्न पूछा गया था और इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—एश्योरेन्स कमेटी है आगे के लिए। एक वर्ष का याद रहता है ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को मालूम है कि रेन्जर ने अपनी ड्युटीज़ के साथ साथ इन अवैधानिक शिकारों को रोकने के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब सब रेगुलेटेड है, बिना लाइसेन्स से कोई शिकार नहीं कर सकते हैं, शूटिंग जंगलों में ही कर सकते हैं........

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर के जंगल कई जगह बिखरे हुए हैं और राजस्थान के प्रमुख जंगल हैं।

श्री अध्यक्ष—जंगलों की हालत के लिए पूछने लग गये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर के बिखरे हुए जंगल हैं।

श्री अध्यक्ष—शिकार सम्बन्धित जंगलों के लिए ही पूछिये।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार भविष्य में इस दृष्टि से इस प्रकार के शिकारों को रोका जा सके रिजर्व फोरेस्टस के अलावा कोई आवश्यकता महसूस कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सवाई माधोपुर के जंगलों के लिए वाल्ड लाइफ प्रिजरवेशन बोर्ड के अनुसार एक गेम सेन्टर बनाने का निश्चिय किया जा चुका है और गेम वार्डन और स्टाफ नियुक्त करने के लिए भी सारा का सारा हो रहा है, उस हालत में उनकी रक्षा हो सकेगी।

प्रश्न संख्या ३४८

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री कुम्भाराम आर्य।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४६

श्री जयचंद्र मोहिल।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल।

Page No 10

प्रश्न संख्या २५०

सपोटरा तहसील पर शेर का उत्पात एवं उसे मारने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री श्रीदास गोयल—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सपोटरा तहसील में शेर ने बड़ा उत्पात मचा रखा है और वह नर हिंसक हो गया है ?

(ख) सरकार उक्त शेर को खत्म कराने की दशा में क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सपोटरा में एस. डी. ओ श्री ओंकारसिंहजी ने एक शेर को गोली मारी और वह घायल होकर चला गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह तो खत्म हो गया।

श्री श्रीदास गोयल—वह कब खत्म हो गया है साहब ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसी गोली से।

श्री श्रीदास गोयल—यह सूचना किस आधार पर दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह सूचना जो प्राप्त हुई है।

श्री श्रीदास गोयल—कहां से प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष—Government sources are very wide.

श्री श्रीदास गोयल—Kindly pardon me. when it is not correct, have every right to put a question.

श्री अध्यक्ष—Administrative sources.

श्री श्रीदास गोयल—वह शेर कब मारा गया साहब ?

Page No 11

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो मालूम नहीं है कि कब मारा गया। शेर के लिए कोई रजिस्टर नहीं है कि वह कब जन्मा और कब उसकी मृत्यु हुई।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह मुमकिन है कि दूसरा नर शेर आ गया हो ?

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शेरों की पहचान करने वाले जो हैं वे करते हैं मेरी तो जानकारी नहीं।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—सपोटरा और खंडार के जंगल मिले हुए हैं, सपोटरा से खंडार के जंगलों में चले जाते हैं और खंडार से सपोटरा में चले आते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ये तो सारे दूर देशों में भ्रमण करते है, कहां कहां जाते हैं और नहीं जाते हैं मुझे पता नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार को यह मालूम है कि घने जंगलों में मेन-ईटर विद्यमान हैं, सपोटरा के जंगलों में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हो सकते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—ऐसे मेन-ईटर को खत्म करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमेशा से व्यवस्था हैं।

श्री हिम्मतसिंह—औंकारसिंह ने गोली लगाई और जैसा आपने कहा कि वह उस गोली से मारा गया, तो क्या उसकी खाल फोरेस्ट डिपार्ट में आ गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है।

कुं० दिलीप सिंह—सरकार को कैसे मालूम हुआ कि यह आदमखोर ही था वह मारा गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— सरकारी सूत्रों के आधार पर।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस शेर ने कितने आदमी मारे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसका हिसाब नहीं रखा गया।

श्री श्री दास गोयल—भविष्य में इस प्रकार के मेनमीटर खत्म कर दिये जांय तो क्या सरकार कोई पार्टी भेज रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सदस्य महोदय को या उस इलाके के लोगों को शूटिंग करना सिखा दें ?

श्री हिम्मतसिंह—माननीय प्रश्नकर्ता लीड करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—डेफीनेटली ।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह—With your pen you will go there or with ycur pistol ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ३५१

राम प्रकाश सिनेमा जयपुर के स्वामी में बाकी रकम की वसूली सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि रामप्रकाश सिनेमा के मालिक पर सरकार की कोई रकम बकाया है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

(ग) सरकार इस बकाया रकम की वसूली का क्या बन्दोबस्त कर रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) (उत्तर वित्त मन्त्री द्वारा नहीं दिया गया)

(क) जी हां।

Page No 13

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(ख) किराया निश्चित करने का प्रश्न अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

(ग) २४३००) अब तक वसूल हुए हैं। बकाया के बारे में न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने पर कहा जा सकता है।

(घ) बकाया वसूल करने की पूर्णरूपेण कार्यवाही तो न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने पर ही की जा सकती है वैसे, उचंती खाते (ओन एडहोक बेसिस) किराया वसूल करने की आज्ञा हाल ही में दे दी गई है।

[प्रश्न सूची में अप्रकाशित होने पर भी (ग) भाग का उत्तर दिया गया]

श्री अध्यक्ष—Is it sub-judice ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—Yes.

प्रश्न संख्या ३५२

श्री अध्यक्ष—प्रभुदयाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५३

सवाई माधोपुर पाली सड़क निर्माण समाप्त करने सम्बन्धी

श्री श्रीदास गोयल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सवाई माधोपुर पाली सड़क कितने मील लम्बी है ?

(२) कितने मील अब तक बन चुकी है तथा पूरी अब तक न बनने का क्या कारण है ? पूरी सड़क कब तक बन जावेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी--(क) २४॥ (साढ़े चौबीस मील) मील।

(ख) ३ मील। रोड रोलर्स की कमी के कारण कार्य धीमी गति से चल रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या रोड रोलर्स की कमी कई वर्षों से चल रही है ? इन विकास के दिनों में इस कमी को जल्दी ही दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—रोड रोलर्स भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं हैं इस लिये बाहर से मंगाये गये हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी १८ महीनों से पहले नहीं होती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या १८ महीनों के बजाय ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिससे आधे समय में ही ये उपलब्ध हो जावें ?

श्री अध्यक्ष—Double the normal course.

श्री रामचंद्र चौधरी—यह नहीं हो सकता।

श्री श्रीदास गोयल—ये अब कब तक आ जायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसके ऑर्डर्स भारत सरकार के पास भेजे जा चुके हैं। वहां से ऑर्डर होने के बाद सप्लाई होगी।

श्री श्रीदास गोयल—अभी फाइनली ऑर्डर नहीं दिये गये हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—हमारे यहां से ऑर्डर कर दिये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—भारत सरकार ने भी कर दिये या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—भारत सरकार से कर दिये गये।

प्रश्न संख्या ३५४

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)

अनुपस्थित (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३५५

सवाई माधोपुर टोंक सड़क के बारे में

श्री श्रीदास गोयल—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सवाई माधोपुर टोंक सड़क कितने मील लम्बी है ?

[श्री श्रीदास गोयल]

(२) कितने मील सन् ५५; ५६ में पक्की बन चुकी है तथा बाकी के पूरे न होने का क्या कारण है ?

(३) अब कब तक पूरी सड़क पक्की बन जावेगी ?

श्री रामचंद्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—२४।।(साढ़ा चौबीस मील)

(२) ३ मील।

(३) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह कार्य पूरा होने की सम्भावना है।

श्री श्रीदास गोयल—द्वितीय पंच वर्षीय योजना पांच वर्षों की है। क्या मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में या किस वर्ष में यह कार्य पूरा होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह कार्य चार आदमियों में बांट दिया गया है इसलिये जल्दी ही पूरा हो जायगा। ऐसी आशा है कि सन् ५७ के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जायगा।

प्रश्न संख्या ३५६

पोलोविक्ट्री सिनेमा के स्वामी को ऋण एवं उसकी वसूली

महाराजा श्री केसरीसिंह—क्या वित्त मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि पोलो विक्ट्री सिनेमा के मालिक को कोई कर्जा दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितना ?

(ख) क्या सरकार को इस कर्ज की किश्तें बराबर मिल रही हैं ?

(ग) सरकार को सन् १९५५-५६ तक कितनी रकम मिल चुकी है और बकाया कितनी है ?

(घ) बकाया रकम सरकार कब तक वसूल कर पायेगी ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—(क) हां।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कर्जे की रकम	तारीख चुकारा
२,००,००० रु.	३०. ७. १६४७
५०,००० रु.	६. १२. १६४७
१,००,००० रु.	१६. २. १६४८
योग ३,५०,००० रु.	

(ख) नहीं।

(ग) एक किश्त २५,००० रुपये की मिल चुकी है, और जनवरी, १६५६ तक चढ़ी हुई किश्तों की रकम १,७५,००० रुपये होती है।

(घ) पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के जरिये कार्यवाही जारी है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि अब तक उनसे रकम वसूल नहीं हुई ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—रकम वसूल नहीं होने का कारण वसूली नहीं होना, या देने की शक्ति नहीं होना या इसकी कार्यवाही करने में विलम्ब होना है या किसी व्यक्ति की जायदाद पर यदि रुपये हैं तो यह सोचकर कि जायदाद मौजूद है लेकिन अभी कम कीमत आती है तो रकम वसूल कराने की कोशिश की जाना है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या रकम इमारत पर दी गई ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—जी हां।

महाराज श्री केसरीसिंह—वह इमारत क्यों नहीं कुड़क करली जाय ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—वह इमारत मोरगेज पर है, फिर कुड़क करने का सवाल नहीं रहता।

महाराज श्री केसरीसिंह—रकम का ब्याज चढ़ता जायगा और रकम सरकार को नहीं मिलेगी : क्या सरकार रकम लेना नहीं चाहती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनका यह कहना है कि इसको सेल करने से जो रकम आयगी वह सरकार की रकम से काफी ज्यादा होगी। अभी उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मैं ३००० या ४०००

Page No 17

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

रुपया माहवार देता चला जाऊंगा इसलिए फैसला कर लिया जाय। हम यह सोच रहे हैं कि पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत इसे बेचा जायगा तो इतना पैसा नहीं आयगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—इसकी क्या गारन्टी है कि रुपये बराबर मिलते रहेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि वह इमारत अपने यहां गिरवे है।

महाराज श्री केसरीसिंह—तो किश्त नहीं मिलने पर इमारत के बारे में क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही की जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—पोलोविक्टरी सिनेमा के प्रोप्राइटर को रुपये किस लिए दिये गये ? क्या दूसरे सिनेमा वालों को भी इस तरह से रुपये दिये जाते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह पुराने जयपुर स्टेट की सरकार के जमाने में महरबानी के कारण सिनेमा और होटल बनाने के लिए दिये गये थे।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरकार कब तक उम्मीद करती है कि ये पैसे वसूल हो जावेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वैसे पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही चालू है लेकिन सहूलियत से किश्त आदि के जरिये रुपये आ सकते हैं तो विचार किया जा सकता है। उनसे तीन या चार हजार रुपये माहवार जैसा कि देने के लिए उनकी दर्ख्वास्त आई है लिये जा सकते हैं, नहीं तो पब्लिक डिमान्ड रिकवरी तो चालू रहेगी ही।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सिनेमा वाले बकाया रकम एकदम जमा कराने के लिए तैयार नहीं तो बाकी वसूली किस तरह की जायगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बकाया रकम के लिए जायदाद गिरवे है। कभी भी उसे बेच कर रकम वसूल की जा सकती है। इसमें कोई परेशानी नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—जायदाद बेचने के उपरान्त भी रकम नहीं मिल सकी तो क्या करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह इमारत गवर्नमेंट के पास मोरगेज है और अभी उसकी कीमत इतनी है कि अपने जितने रुपये लेने हैं उनसे दुगुनी कीमत है। इसलिए परेशानी नहीं है।

Page No 18

प्रश्न संख्या ३५७

कस्टमं विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन हो जाने पर उन्हें एरियर की चुकोती

श्री छीतरमल शर्मा—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान सरकार के कस्टम्स विभाग के कर्मचारीगण का अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति अप्रेल, १९५० से फिक्सेशन इस विभाग के तोड़े जाने से पहले सरकार कर चुकी थी ?

(२) यदि हां, तो इन कर्मचारियों का एरियर चुकाया जा चुका है या अभी तक बाकी है ?

(३) यदि नहीं, तो कितनी रकम देनी है और वह कब तक दे दी जावेगी ?

(४) उपरोक्त विभाग के कर्मचारीगण की इन्क्रीमेन्ट किस तारीख से दिया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) कस्टम विभाग के कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति अप्रेल सन्, ५० से फिक्सेशन इस विभाग के तोड़े जाने से पहले हो चुका था।

(२) पुराने और नूतन वेतन का समुचित एरियर दिया जा चुका है।

(३) इसका उत्तर ऊपर २ में आ चुका है।

(४) नई वेतन श्रृंखला १ अप्रेल, सन ५० से लागू की गई है इसलिये इन कर्मचारियों की वार्षिक इन्क्रीमेन्ट की तिथि भी १ अप्रेल से है। किसी पद पर कोई इस पीरियड के बाद में आया है तो उनकी इन्क्रीमेन्ट की डेट उस दिन से होगी। जिनका फिक्सेशन १. ४. ५० से नई वेतन श्रृंखला में हो चुका है उनका पालन हो रहा है। बाकी उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—Repetition

Page No 19

प्रश्न संख्या ३३९

चित्तौड़ जिले में कौन कौन सी नई सड़कें बनाने की योजना संबन्धी

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने चित्तौड़ जिले में कौन कौन सी नई सड़कें बनाने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या सरकार बड़ी सादड़ी से चित्तौड़, निम्बाहेडा से बड़ी सादड़ी, राश्मी से कपासनी, हमीरगढ़ से राश्मी तथा फतेनगर से बड़ी सादड़ी की सड़कों को बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(क) अभी निर्णय नहीं हुआ है।

(ख) हां, विचार किया जायगा।

श्री जगतसिंह झाला—कब तक निर्णय होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने बताया अभी एक दो हफ्ते में या ज्यादा से ज्यादा १५ दिन में निर्णय होगा।

प्रश्न संख्या ३४०

श्री प्रभुदयाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४१

जागीरदारों को चित्तौड़ जिले में जंगलों की आय एवं सरकार को देय धनराशि

श्री जगतसिंह झाला—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि चित्तौड़ जिले के जागीरदारों को अभी तक जागीर रिजम्पशन होने के पूर्व जंगलों की अपने आय नहीं मिली है ?

[श्री जगतसिंह झाला]

(ख) किन किन ठिकानों की कितनी कितनी रकम अब तक सरकार को देना बकाया है तथा उसे कब तक चुका देने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वन मन्त्री) :

(क) जी हां। लेकिन् २७ जागीरदारों को ३१. ३. ५६ से पहले तक रकम देने का आदेश हो चुका है। अभी तक इस बात की सूचना नहीं मिली है कि इस तारीख से पहले उनको रकम दी जा चुकी है या नहीं।

(ख) किन किन को कितनी कितनी रकम देना है इसकी सूची आपको मिल गई होगी । मैं उसको पढ़कर सुना देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—सूची कितनी बड़ी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसमें ३४ नाम हैं।

श्री अध्यक्ष—सूची इनको दे दी जाय।

श्री जगतसिंह झाला—सूची तो मिल गई है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल चित्तौड़ जिले में ही नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब तक हिसाब तैयार होकर नहीं आया उस वक्त तक रोके रहे। इन ३४ में से २७ का हिसाब पूरा हो चुका था इसलिये यहां से आदेश दे दिया गया था कि ३१. ३. ५६ से पहले रकम दे दी जाय। मैंने कल जानने की कोशिश की थी कि यह रकम दे दी गई या नहीं, लेकिन मुझे सूचना नहीं मिल सकी। लेकिन २७ को मिल जायगी। जो ७ बाकी रहते हैं उनका हिसाब पूरा होने पर उनको मिलेगी।

(प्रश्न संख्या ३४३, ३४४, ३४६, ३४८ और ३४९ प्रश्न कर्ता की अनुपस्थिति में नहीं पूछे गये)

श्री अध्यक्ष—The Questions are over.

राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६, (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली)

Personnel of the Select Committee on the Rajasthan Prevention of Ex-communication Bill, 1956 :—

1. Shri Ram Kishore Vyas, Member-in-charge.

Page No 21

[श्री अध्यक्ष]

2. „ Badrilal.
3. „ Bhagwan Singh Tarangi.
4. „ B. N. Joshi.
5. „ Chhanga.
6. „ Kanwarlal Jelia.
7. „ Laxman Hirat.
8. „ Chandanmal Baid.
9. „ Prabhu Dayal.
10. „ Narain Chaturvedi.
11. „ Bhairon Singh Kelwa (13).
12. „ Shrigopal Bhargava.
13. „ Raja Pratap Singh (117).
14. Major Shri Hanwant Singh.
15. Rawat Shri Shambhu Singh.
16. Shri Chhitar Lal Sharma.

राजस्थान नौका नयन नियमन विधेयक, १९५६ (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली)

श्री अध्यक्ष—Select committee on the Rajasthan Regulation of Boating Bill, 1956:—

1. Shri Ram Niwas Mirdha, Member-in-charge.
2. „ Hari Dutta.
3. „ Balbir.
4. „ Narain Lal.
5. „ Jai Singh Ranawat.
6. „ Angad Ram.
7. „ Sribhan Singh.
8. Lt. Col. Dalip Singh. (39).
9. „ Ghasi Ram Yadav.
10. „ Sugan Chand.
11. „ Hans Raj Arya.

[श्री अध्यक्ष]

12. „ Jagat Singh Jhala.
13. „ Bhairon Singh (12)
14. „ Roop Narain Shashtri.
15. „ Himmat Singh (61).

राज्य पुनगर्ठन विधेयक, १९५६ (राजकीय संकल्प पर अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Further discussion on the States Reorganization Bill.

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव स्टेट रीअॉर्गनाईजेशन बिल पर उसको पारित करने को पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। इस बिल में जहां तक राजस्थान से ताल्लुक है अजमेर और आबू को मिलाया है उसके लिये जो राजस्थान का बहुत अर्से से, या राजस्थान बना तभी से मांग थी, उस मांग को स्वीकार किया गया उसकी हमको खुशी है और हम भारत सरकार को इसके लिये धन्यवाद देते हैं। इस आबू के लिये हमारे यहां बहुत अर्से तक कसमकस रही, मांग की जाती रही और कई तरीके से आन्दोलन भी हुए, लेकिन अब वह मांग स्वीकार हुई इसके लिये तो हर्ष है पर इस सिलसिले में माननीय लीडर ओफ ओपोजिशन ने जब इसके बारे में अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने मेरा ज़िक किया था कि आबू एजीटेशन कमेटी ने जिसका कि प्रेसीडेन्ट मैं था, इस बारे में कोई कार्य नहीं किया........................

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई कार्य नहीं किया बल्कि मैंने तो उनकी तारीफ की थी कि कांग्रेस के मेम्बर होते हुए भी इन्होंने अच्छा कार्य किया....

श्री अध्यक्ष—आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का समय दिया जाय तब खुलासा कर देना।

श्री द्वारकादास पुरोहित—परन्तु साथ में आपने दूसरी बातें भी कह दीं। इस वक्त जब कि आबू हमारे अन्दर मिल गया है या मिलने का फैसला हो चुका है तो पुरानी बातों में न जा कर इसी बात में संतोष जाहिर कर लेना चाहिये कि हमारी चीज हमें मिल गई। आपको धन्यवाद देता हूं कि जो कार्य हुए उनकी सराहना तो की।

अब मैं इन बातो में न जा कर माननीय अध्यक्ष, अजमेर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर को ले कर अजमेर की विधान सभा में अजमेर को राजस्थान की केपिटल बनाने के लिये बड़े जोरों से कसमकस चल रही है और इस बात की जोरदार मांग कर रहे हैं कि अजमेर को राजस्थान की केपिटल बनाया जाय। इस सदन में भी कुछ माननीय सदस्यों ने अजमेर केपिटल बनाने पर जोर दिया।

राजस्थान की रियासतों का मर्जर हुआ या राजस्थान का मर्जर जिस वक्त हुआ उस

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

वख्त यहां जो पुराने राज्यों की राजधानियां थी मसलन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर इन सब के लोगों ने इस बात की आवाज उठाई थी कि राजधानी के लिये उनका शहर उपयुक्त है और इसके लिये पटेल साहब ने एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी ने इन सब स्थानों की जांच की, वहां पर गई, वहां की सब स्थिति देखी, उन स्थानों में अजमेर भी शामिल था, इन स्थानों की जाच की और इन स्थानों को उपयुक्तता के सम्बन्ध में उस कमेटी के सदस्यों ने सहादतें भी लीं और उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में और सब जगहों की केपीटल लायक स्थान मानने की संभावनाओं को खत्म कर दिया गया, उन्होंने जयपुर और जोधपुर की खास केटेगरी करते हुए उस रिपोर्ट में एब्सल्टली जयपुर को केपिटल बनाने के लायक उपयुक्त स्थान माना और जयपुर को ही राजस्थान की केपिटल बनाने के लिये सिफारिश की और साथ ही यह भी सिफारिश की कि पुरानी स्टेट्स को जो राजधानियां हैं उनके महत्व को कायम रखा जाय और जोधपुर में जो स्थान, बिल्डिंग्स उपलब्ध हैं उनके महत्व को कम नहीं करना चाहिये और उनमें अच्छे महकमें भेजने चाहिये जिससे वहां के लोग यह महसूस न कर सकें कि वहां शून्यपन हो गया, उजाड़ हो गया है।

राजस्थान बनने के बाद राजस्थान की केपिटल जयपुर उस रिपोर्ट के माफिक हुई पर जो एश्योरेंसेज पुरानी स्टेट्स की राजधानियों को दिये गये थे उनका पालन नहीं किया। जोधपुर में हाई कोर्ट रखा गया तो एक बैंच रखी गई, ऑडिट ऑफिस उस समय जोधपुर में रखने का घोषित किया था, पर धीरे धीरे उसे वहां से हटा कर यहां लाया गया। ६ नवम्बर, १९५४ को जो नये लीडर चुने गये उसके बाद केबिनेट ने कई महकमों को पुरानी स्टेट्स की राजधानियों के महत्व को बनाये रखने की गरज से उन जगहों में भेजने का फैसला किया लेकिन केवल एक ही जगह उदयपुर में भेज कर और जगह महकमों को भेजना केन्सिल कर दिया। इस तरह जो आश्वासन रिपोर्ट में दिये गये, यहां दिये गये वे सब आश्वसन बेकार गये और इसी तरह आज अजमेर को भी आश्वासन दिये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि यह केपिटल का झगड़ा हमारे यहां इस लिये पैदा होता है कि हमारे यहां के शहर चाहे कोई कितना ही कह दे कि यह उपयुत हैं, उनमें एक बड़ी खामी रही है। शहरों में ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान के इलाके में बड़ी खामी रही है, वह यह कि यहां के शहर, यहां का एरिया डेवेलप नहीं हुआ, यहां उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज और बडे उद्योग धंधे व छोटे उद्योग धंधे, कोटेज इन्डस्ट्रीज नहीं हो पाये थे। पर पर आज ७ साल राजस्थान का निर्माण हुए हो गये अब तक भी ये उद्योग धंधे राजस्थान में नहीं खुले हैं और इसीलिये राजस्थान में खास तौर से शहरों में रहने वाली जनता का यह ख्याल रहता है, कोमर्शियेलाईजेशन का ख्याल रहता है कि यहां का व्यापार, उद्योग धंधे ठीक चलें और इस बात के लिये यहां के शहरों के लोग एजीटेट करते हैं और उनमें जोश आता है कि केपिटल यहां रहनी चाहिये। दरअसल केपिटल तो एक ही जगह हो सकती है।

Page No 24

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

जयपुर में ७ साल पहले केपिटल बनी थी उस समय की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है ? जो पहले ७ सालों के बाद इसको स्थिति बढ़ी है उतनी अगर केपिटल नहीं होती तो नहीं बढ सकती थी। इन सात सालों में इस पर जितना रूपया खर्च हुआ वह किसी दूसरे स्थानों पर खर्च नहीं हुआ। इसके अलावा केपिटल के लिये जो कमेटी बनी थी उसने अजमेर के लिये लिखा था कि वहां पर पानी और मकानों की दिक्कत है। केपिटल बनने से जयपुर को फायदा हुआ है, लेकिन यह तो केपिटल होने की वजह से हुआ है। और मैं समझता हूं कि यह केपिटल का झगड़ा तभी समाप्त हो सकता है जबकि हमारे शासक जो हैं वे इस बात को सोचें कि हमको उन स्थानों पर भी जहां पहले राजधानियें थीं, उन स्थानों पर भी इस प्रकार का धन्धा खोले और काम पैदा करें कि जिससे लोगों को इस बात का ख्याल ही न रहे कि राजधानी नहीं रहने से उनका स्थान उजड़ जाएगा या वहां पर बेकारी फैल जायगी। केपिटल कहीं हो इससे किसी को खुशी या रंज नहीं होता। लेकिन यह तो एक साइकोलोजिकल इफेक्ट जरूर है कि अगर राजधानी हट जाएगी तो रोजगार मिट जावेगा। आज हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है मगर दिल्ली से भी बड़े बड़े शहर कलकत्ता, बंबई आदि हैं मगर वे तो राजधानी के लिये नहीं कहते। क्यों ? वहां पर धन्धा बहुत है। इसलिये यह भावना लोगों में पैदा करने की जरूरत है और यह भावना तभी पैदा हो सकती है जब हम लोग उन स्थानों पर कुछ न कुछ धन्धे खोलें। आज अजमेर को इस बात की तसल्ली है कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय में अजमेर की यह स्थिति थी कि लड़ाई के समय में वहां पर लोकोमोटिव इंजिन तैयार किये जाते थे। इससे करोडों रूपये की आमदनी होती थी। लेकिन अब सरकार ने करोड़ों रूपये लगा कर चितरंजन में इसका कारखाना खोल दिया है और यह काम अब वहां से रहा है। अजमेर में भी इसका कारखाना डेवलप हो और राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिये आश्वासन दे दे और प्रयत्न करे कि वहां पर अजमेर में इंजन बनाने का कारखाना होना चाहिये और अगर सरकार इसके लिये अब भी प्रयत्न करें, तो उनके लिए केपिटल से भी बहुत बड़ी चीज हो जावेगी, और उनको एक बहुत बड़ी चीज आमदनी का जरिया मिल जावेगा। इसके अलावा वहां पर उन लोगों को यह भी खतरा है कि वहां पर कुटीर उद्योग, और शिक्षा की उन्नति भी इतनी नहीं हो पावेगी, जिस तरह से अभी हो रही है क्यों कि राजस्थान में आने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होगा। अभी सेन्टर से संबन्धित होने से उनको बहुत सहूलियतें मिल रही हैं। उनको इस बात का वाजिब डर हो सकता है कि उनको उतनी सहूलियतें नहीं मिल पावेंगी, जितनी अभी सेन्टर से मिल रही हैं। राजस्थान में मिलने के बाद में राजस्थान के दूसरे हिस्सों की जो हालत हो रही है, वह भी उनसे छुपी हुई नहीं है। जिसकी चली उसने जो चाहा, सरकार से करवा लिया और जिसके लिये कोई बोलने वाला नहीं है या जो लोग राजस्थान सरकार की मर्जी में नहीं है, उनके वहां कुछ भी काम नहीं होता है, इस तरह की हालत यहां पर हो रही है, उसको देख कर उनको भय होता है। इसलिये अगर राज-

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

स्थान गवर्नमेंट सब जगह विकास की योजना बनावे और उस योजना को कार्यान्वित करने में मदद दें, और सबको तसल्ली हो जावे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया पैसे देती है, वह सबको बराबर मिलेंगे तो अजमेर को इसमें किसी प्रकार की परेशानी करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अजमेर जो हमारे यहां मिल रहा है और हमारा अंग हो रहा है उसको डेवलप करने की व्यवस्था करें और अजमेर के लोगों के दिलों को जीतना चाहिये।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ऐसे मौके पर सर्विस क्लास को ज्यादा डर रहता है कि इन्टीग्रेशन होने पर उनकी सर्विसेज और पोजिशन क्या होगी, वैसे तो अजमेर जो सेन्टर से एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, वहां पर आई. सी. एस. ऑफिसर हैं और इस आर. एस. सी बिल में भी उनके प्रोटेक्शन के लिये प्रोविजन है, इस से उनको काफी आश्वासन मिलना चाहिये। लेकिन जिस समय राजस्थान की दूसरी रियासतों का विलय हुआ था उस समय ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होते हुए भी उस समय स्टेट मिनिस्ट्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि किसी कर्मचारी का स्टेटस कम नहीं किया जावेगा, और जो कुछ पोजिशन है उसके लिये गारन्टी की गई थी। इसके अलावा और बात भी कही गई थी कि जो १. ११. ४८. को गवर्नमेंट सरवेन्ट की पोजिशन है उसको बेसिस समझा जावेगा। लेकिन जब राजस्थान में इन्टीग्रेशन हुआ उस समय उनकी पोजिशन को बिल्कुल बदल दिया गया और जो आश्वासन दिये गये थे उनका कतई ध्यान नहीं रखा गया और जयपुर जोधपुर आदि से काबिल ऑफिसर आये थे, उनकी सेवा का कोई ध्यान नहीं रखा गया और दूसरे जो फोरमर राजस्थान में थे उनके ग्रेड रिवाइज किये, गये और उनको पहले ग्रेड दे दिये गये और जो १, ११, ४८ को जो स्टेटस था उसको रखने का आश्वासन रूल था, उसको काम में नहीं लिया गया। उन लोगों को प्रोमोशन मिले जो राजस्थान में आने के बाद में आये, और आज यही कारण है कि राजस्थान की सर्विसेज इनएफिसियेन्ट हैं, जो लोग काबिल नहीं थे उनको दो दो चार चार लिफ्ट दे दिये गये और उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलने लग गई, और जो लोग काबिल थे उनको या तो सरप्लस में लगा दिया गया या उनको प्रोमोशन नहीं दिया गया, और उनको नीचे रख दिया गया, इसी कारण से सारे राजस्थान में सरविसेज इनएफिसियेन्ट हो गई। इसके कारण से आज सब लोग सफर कर रहे हैं। वही इतिहास आज अजमेर के लोगों के सामने है, और वे लोग यह समझते हैं कि हालांकि सर्विसेज की गारंटी बिल में है लेकिन वह यह समझता है कि पहले जो रियासतें मिली उनके लिये भी गारन्टी थी मगर हुआ क्या? आज राजस्थान के अधिकारी इस बात को मानते होंगे कि यह हुआ। इस बात को मानते हुए कि कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि १, ११, ४८ का जो रूल था उसको कुचल दिया जावे, उस हुक्म की परवाह नहीं करते हुए कुचल दिया गया। सब लोग यह जानते हैं कि ऐसा हुआ है। चीफ सेक्रेट्री भी जानते हैं। लेकिन इस बात को कोई करने के लिये तैयार नहीं है कि जिस जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा किया उसको सजा दी जावे। अगर आज कोई ऐसा कदम उस जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ उठाया जाता, जिसने गैर इन्साफ और पक्षपात किया, तो अजमेर वालों के सामने आज दूसरा दृष्टिकोण होता और उनको तसल्ली होती कि जो गारन्टी दी जा रही है उसकी पूर्ति होगी और

Page No 26

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

सोचते कि उनके स्टेटस में कोई फर्क नहीं आवेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट को हर मौके पर सोचना चाहिये और हमेशा न्याय को आधारित करके चलना चाहिये, वरना इससे बहुत नुकसान होता है। आज इसी कारण से इनएफिसियेन्सी सर्विसेज में है, और करप्शन दिनों दिन बढ़ रहा है और इसी कारण से आज राजस्थान सफर कर रहा है।

तीसरी बात इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के बारे में इस एस. आर. सी. बिल में कई बातें आई हैं। इससे हाई कोर्ट के जजों को यह डर हो सकता है कि उनकी इससे सबोर्डिनेट पोजीशन रहेगी और इससे वे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिये एलिजिबल नहीं रहेंगे और वह है उनकी तनख्वाह के बारे में। पेज १७ में लिखा है: "The High Court of Travancore-Cochin will, as from the appointed day, become the High court for the new State of Kerala and the......

श्री अध्यक्ष—It is not the part of the S. R. C. Bill.

श्री द्वारकादास पुरोहित—That will be a consequent amendment in the Constitution.

श्री अध्यक्ष—It is not an amendment. We are not discussing this. This is just to give a complete picture as to how the Constitution will be amended.

श्री द्वारकादास पुरोहित—Will it not be moved now ?

श्री अध्यक्ष—No. No.

श्री द्वारकादास पुरोहित—Therefore it is proper to discuss it now.

श्री अध्यक्ष— This is beyond the scope. It is just to give a complete picture.

श्री द्वारकादास पुरोहित—लेकिन यह एप्रीहेंन्शन्स हुए हैं जो इस बिल द्वारा क्रिएट किया गया है....

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. speaker, Sir, This is as a consequence of this S. R. C. Report that this has been the position. Therefore, we can

[श्री वेदपाल त्यागी]

send our opinion on this point also as to how the Parliament should take this article.

श्री अध्यक्ष—Article 222 says that the President may transfer a Judge from one High Court to any other High Court. This has been provided in the Constitution itself.

श्री द्वारकादास पुरोहित—जारी : मैं इससे इत्तफाक करता हूं लेकिन जो इसमें जजेज की तनख्वाहों में डेसपिरिटी रखी गई, आखिर में जाकर वह किस जगह असर करेगी यह देखने की है ? मैं खुद इस बात का समर्थक हूं कि हाई कोर्ट के जजेज की तनखा ३५०० हजार होनी चाहिये, किन्तु जब एक तरफ हम सोशिलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बड़े आफिसरों को तनख्वाहों में इतना अन्तर नहीं रहना चाहिये, छोटी छोटी तनख्वाहों में और बड़ी बड़ी तनख्वाहों में इतना भेद नहीं रहना चाहिये। मैं इस बात का समर्थक नहीं कि हाई कोर्ट के जजेज की तनखा....

कु० श्री जसवन्त सिंह—This 'socialistic pattern of society' is only for slogan purposes.

श्री द्वारकादास पुरोहित—It has been understood by some memberso wrongly.

श्री चन्दनमल वैद—Not only on that side but this side alse

श्री द्वारकादास पुरोहित—(जारी रखते हुए) स्लोगन के लिये नहीं, इसको कार्यान्वित करना है और इसको कार्यान्वित करने के लिये तेजी के साथ कदम उठाया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप भीइसमें पूर्ण सहयोग देंगे। आप यहां से जल्दी से जल्दी कौन्सिल आफ स्टेट में जायें और इस कार्य में पूर्ण सहयोग दें ताकि यह काम जल्दी से पूरा हो सके। इन जजेज की तनख्वाहें ३५०० रखना वैसे भी गैरवाजिब मालूम होती है मगर चूंकि जहां बार्स में वकालत करने वाले लोग होते हैं जहां पर वकीलों की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं अथवा जुडिशियल आफिसरों की तनखा इतनी नहीं, उस आधार पर जजों की तनखा इसके बराबर नहीं कर सकते। लेकिन बार्स की आमदनी बहुत ज्यादा है यहां तक पचास पचास और साठ साठ हजार जिनकी आमदनी होती है, वहां से भी वकालत छोड़ कर लोग जजेज की बेन्चेज पर आते हैं। कई ऐसे केसज भी मौजूद हैं, जहां बैन्चेज को छोड़ कर इस्तीफा देकर लोग फिर से वकालात करने निकले हैं यह जो दलील दी गई कि लोग नहीं हट सकते उसके लिये मैने यह कहा है। इसलिये यह जरूरी है कि इस बिल पर हम यह राय दें कि हाई कोर्ट के जजेज की तनखा आप ३५०० की बजाय २५००या दो हजार भी कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन

Page No 28

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

अगर हमारे हाई कोर्टस के जजेज की सेलरी कम कर दी जायगी तो इनको आगे जा कर नुकसान होने वाला है जो कतई न्याय संगत नहीं। इसलिये तनखा के ऊपर जोर न देते हुए बल्कि इनकी पोजीशन पर जोर देते हुए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन से यह कहना चाहता हूं कि इस बात पर जोर दिया जावे कि सब स्टेटस के हाई कोर्ट के जजेज की तनखा बराबर रहनी चाहिये। हमारे यहां के हाई कोर्ट का निरीक्षण समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज और इन्डिया के चीफ जस्टिस ने किया और हमेशा किया करते हैं, उनकी यह राय है कि हमारे हाई कोर्ट्स का स्टेंडर्ड हिन्दुस्तान के अच्छे अच्छे प्रान्त के हाई कोर्ट से फेवरेबली कम्पेयर किया जा सकता है। हमारे हाई कोर्ट का स्टेंडर्ड उनके एट पार पहुंच चुका है तो कोई वजह नहीं कि तनखाओं में इतना फर्क रखा जाय। अगर आप इनकी तनखा बढ़ाना नहीं चाहते तो सब की तनखा घटा दीजिये चाहे आप दो हजार ही कर दीजिये इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, किन्तु सब का स्टेटस बराबर रखा जाय इस बात की हमें सिफारिश करनी चाहिये।

तीसरा पोइन्ट जो रिपोर्ट से पैदा होता है वह यह है लेजिस्लेटिव कौंसिल्स के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में यह एक प्रकार की एनोमोली रखी गई है अपर हाउस क्रिएट करने की। यह किस आधार पर रखे गये हैं, यह मैं नहीं कह सकता। किन्तु हमारे केन्द्र में भी अपर हाउस है। जिसने अपोजिशन के लीडर महोदय को हमारे से छीन लिया है। दूसरी दूसरी जगह भी ए क्लास स्टेट्ट में और उसके सिवाय भी अन्य स्टेट्स में अपर हाउस थे और बहुत सी जगह नहीं थे। ऐसी भी स्टेट्स थीं जिनके असेम्बली के मेम्बर्स केवल १४० हैं उनमें भी अपर हाउस मौजूद हैं। इस तरह से इस एस. आर. सी की रिपोर्ट के अनुसार जो स्टेट्स ऐसे एक्लास स्टेटस में मर्ज हो जायगी जिनमें पहले अपर हाउस मौजूद था वहां तो उनको अपर हाउस रखने की सुविधा मिल जायगी, ऐसा इस बिल में प्रोवीजन मौजूद है ऐसी कुल १० स्टेट्स हैं जिनमें अपर हाउस मौजूद है चार स्टेट्स ऐसी रहेंगी जिनमें अपर हाउस नहीं होंगे। यह समझ में नहीं आता वैसे तो अपर हाउस का होना कोई उचित नहीं मानता। लेकिन जो यह एक प्रकार एनोमोली मालूम होती है वह क्यों रहे आज, जब कि इस जमाने में इन अपर हाउसेज का रहना कोई जरूरी नहीं समझा गया।

हमारे विरोधी दल के नेता ने जब इस बिल पर भाषण दिया उसमें उन्होंने इस सम्बन्ध में बताया था कि अपर हाउसेज का होना इसलिये आवश्यक है कि जल्दी जल्दी कोई लेजिस्लेशन पास न हो जाय, इसलिये यह एक रुकावट रखी गई है कि उसकी छानबीन फिर से हो सके। मैं समझता हूं किसी भी लेजिस्लेशन को पास करने के पहले वैसे भी काफी छानबीन होती है और उसको पास करने में काफी देर लगती है। हाउस ऑफ दी पीपुल में जो कोई बिल रखा जाता है उसकी काफी छानबीन होती है और कानून में जितना इन्टरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं वे उसमें काफी छानबीन करते हैं, और बाद में लेजिस्लेशन को पास होने देते हैं। इसलिये यह दलील देना कि इनमें रुकावटें हों इसलिये अपर हाउस रखा गया है मैं इस दलील में कोई वजन नहीं देखता। मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ अरसे पहले हिन्दुस्तान में एक वातावरण पैदा हुआ था

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

और लोगों ने यह समझा था कि अपर हाउस का रहना कोई जरूरी नहीं। मुझे नहीं मालूम वह आइडिया क्यों ड्रोप हो गया ? अगर ये अपर हाउस हिन्दुस्तान के १० स्टेट्स में रहते हैं तो चार स्टेटों को इससे वंचित क्यों रखा जाय, अगर अपर हाउस उचित है तो सब जगह रखे जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन से यह प्रार्थना है कि हमारे सदन की भी इस सम्बन्ध में राय ली जानी चाहिए कि या तो अपर हाउस सब जगह से हटा दिये जांय अगर रखे जांय सब स्टेटों में एक ही तरह के रखे जांय, और एक ही पोलिसी सब जगह के लिए अख्त्यार की जानी चाहिये। हमें इस सम्बन्ध में भी एक राय कायम करनी चाहिए, सिर्फ चार स्टेटस ऐसी रह जायेंगी जहां अपर हाउस नहीं होंगे और दस स्टेट्स में रहेंगे, यह जो एनोमोली रखी गई है वह समझ में आने वाली चीज नहीं है, अगर इसका पुराना आधार देखा जाय तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया जहां, असेम्बली के १४० मेम्बर हैं वहां पर भी अपर हाउस है। इस इस तरह से बड़े छोटे सब स्टेटों में अपर हाउस हैं। जब यह बात कोन्स्टीट्यूऐन्ट असेम्बली में उठी थी उस समय सिवाय बी पार्ट की एक स्टेट मैसूर के कहीं भी अपर हाउस नहीं था और ए पार्ट स्टेट में करीब करीब सब जगह आसाम और एकाध जगह को छोड़ कर, सब जगह अपर हाउस थे। अगर वही आधार माना जाता है तो सब जगह अपर हाउस होने चाहिये, अगर इसको जरूरी समझा जाता है तो सब जगह यह रखे जाने चाहिये। मुल्क के इन्टरेस्ट में सभी जगह रखे जाने चाहिये, उसके ऊपर भी सदन को अपनी राय अवश्य देनी चाहिये।

इसके अलावा जब एस. आर. सी की रिपोर्ट देश के सामने आई, उस समय सारे देश भर में एक प्रकार का वातावरण बना और एक तरह का झगड़ा फैला। लोगों ने यह भी कहा बड़े पैमाने पर कि लेंग्वेज के आधार पर हमारे यहां प्रान्तों का निर्माण होना चाहिये। मैं भी इस बात को मानता हूँ किसी भी प्रान्त की रचना में भाषा एक आधार अवश्य है और भाषा के आधार पर प्रान्त का निर्माण भी आवश्यक है, भाषा के आधार को कभी इगनोर नहीं किया जा सकता और इस बिल में भी प्रान्तों की रचना का आधार भाषा को भी माना गया है। लेकिन सवाल हमारे इस मुल्क में यह पैदा होता है कि जिस आधार को लेकर या केवल भाषा के आधार को लेकर प्रान्त का निर्माण करें तो हमारे लिये मुफीद होगा या उसे रिलेक्स किया जा सकता है या नहीं, सिर्फ इतना सा मसला हमारे सामने नहीं है अगर हम हमारे मुल्क के इतिहास पर नजर डालें, हजारों वर्ष के पीछे के इतिहास पर नजर दौड़ायें, तो हमें यह पता चलता है कि भाषा भी हमारी प्रान्त रचना का एक आधार बनाया गया था उसमें दूसरी भाषा भी सेमी ओफिशियल लेंग्वेज के रूप में थी, वह भी आखिर जाकर उसकी भाषा बन गई।

अगर उस आधार को लेकर ही हम चलें और उस इतिहास को लेकर चले तो इसमें क्षेत्रीय भावना ज्यादा पैदा होने की गुंजाइश है और राष्ट्रीय भावना के खिलाफ वह डवलप हो सकती है और हुई भी है। आज के झगड़ों का हम अनेलाइसिस करें तो पता लगेगा कि इसके पीछे

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

यही भावना छिपी है। यह भाषा का आधार ज्यादा संकुचित प्रान्तीयता को पैदा करता है और राष्ट्रीयता के खिलाफ भी चला है। इसलिये भाषा का आधार इस देश की एकता के लिये ठीक नहीं है। भाषा को आधार मानकर प्रान्तों का निर्माण करने की जो राय है वह गलत है। वह एन्टी नेशनल भावना को उत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहन करने की राय मालूम होती है। इसलिये मैं तो यह मानता हूं कि यह आवश्यक है कि जहां तक हो सके भाषा को ही आधार नहीं मानकर, प्रान्तों का निर्माण किया जाय जैसी इस मौके पर शुरुआत की गई है।

इससे मेरी यह इच्छा नहीं है कि प्रान्तीय भाषाओं का विकास नहीं होना चाहिये। रीजनल भाषाओं का विकास जरुरी है इससे वहां के निवासियों को कोई भी बात ग्रास्प करने में आसानी रहती है। इसलिये यह तो अति आवश्यक है कि हम सब लोग इस बात की कोशिश करें कि प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन दें। इनमें रिसर्च की आवश्यकता है, उसमें भी योग दें और यह सब करना सरकार का फर्ज है। इन प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हमारा विकास जल्दी होगा इससे शिक्षा के विस्तार में भी हमें बड़ी सहूलियत रहेगी, प्रान्त का जन जीवन पनपेगा, जाग्रत होगा।

पर इसकी यही दिशा सही है। इसका मोड़ अगर दूसरी दिशा में कर दिया और प्रान्तीयता को इससे बल मिला या क्षेत्रीय भावना प्रबल हुई तो यह हानिप्रद होगा। इससे एन्टीर नेशनल भावना के पैदा होने का खतरा है। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिये।

इसके अलावा एक और नई जो इस बिल में आई है वह है जोन्स की। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत हुई तो उस पर बोलते हुए पहले पहले यह आइडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में आई। यह आइडिया वैसे तो नया नहीं है, पुराना मालूम पड़ता है। हिन्दुस्तान में जिस वक्त कूपलैंड रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी इसी तरह का आइडिया उसने दिया था पर वह तो खत्म हो गया। अब वह आइडिया फिर प्राइम मिनिस्टर ने दिया है।

इस बिल को देखते हुए जोन्स का आइडिया क्यों किया गया, और क्या होना चाहिये, उनकी बुनियाद क्या है, उसका मकसद क्या है इन सब का खुलासा नहीं मिलता। अगर हम यह अन्दाज लगावें कि ये जोन्स आगे जाकर एक प्रदेश का रूप ले लेंगे, एक विधान सभा बन जायेगी और एक राजधानी हो जावेगी तो इसका भी इसमें कोई आभास नहीं मिलता। अगर यह मकसद है कि आगे जाकर पांच ही स्टेट रह जावेंगी तो यह बहुत बड़ा मसला है। और यह इस हाउस के सोचने का ही मसला नहीं रह जावेगा, बाहर के अन्य लोगों को भी सोचना पड़ेगा। परयह सब आभास इस रिपोर्ट में नहीं मिलता। तो हम कोई कयास इस प्रकार का नहीं कर सकते और फिर कयास पर कोई फैसला भी नहीं होता। काश्मीर से लेकर हमारे राजस्थान तक की जो एक रीजनल कान्फ्रेन्स होगी उसकी फेस वेल्यू पर हम अन्दाज लगा सकते हैं और उस पर ही बहस कर सकते हैं, सलाह मशविरा कर सकते हैं। भाखरा नांगल का एक आपसी मिला जुला मामला है, उस पर

Page No 31

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

आपस में वहां बैठकर सलाह मशविरा कर सकते हैं, ऐसी और भी जो आपकी बातें होंगी उन पर सलाह मशविरा कर सकेंगे। पर इसके तरीके और भी हो सकते थे। आज भी हम यह तो करते ही हैं, पर इसके लिए यह तो आवश्यक मालूम नहीं होता कि ये जोन आवश्यक हैं। पर चूंकि ये आये हैं हमारे सामने, तो हमें इनको मान लेने में किसी तरह की आशंका नहीं मालूम होती क्योंकि जब यह आभास ही नहीं मिलता कि ये क्यों बनाई गई, इनका आगे जाकर क्या मकसद होगा तो इसकी मुखालफत किस पोइन्ट पर करें। पाकिस्तान के बोर्डर को देखते हुए अगर यह जोन बनाया गया होता तो कच्छ भी इसमें शामिल किया जाता और गुजरात का पाकिस्तान से मिलने वाला हिस्सा भी शामिल किया जाता पर यह कुछ नहीं किया गया तो यह भी अन्दाज नहीं लगा सकते कि बोर्डर होने की वजह से यह जोन बनाया गया है तो डिफेन्स पोइन्ट आफ व्यू से इसके बनाये जाने पर भी डिसकुसन नहीं कर सकते। तो ऐसे किसी दृष्टिकोण से इस पर सोचने की अभी जरूरत नहीं है।

पर अगर आगे चलकर इन जोन्स को प्रदेश में बदलने की कोई मंशा है तो सदन इस बिल पर अपनी राय कायम करते समय इस बात का खयाल रक्खे कि जहां तक जोन्स की फेस वेल्यू का सवाल है, वहीं तक सदन ने इसे स्वीकार किया है पर इसके आगे पीछे कोई भी अन्डरग्राउन्ड अगर आइडिया है तो इस पर गम्भीरता से विचार करके ही स्वीकार करना पड़ेगा। बाउन्ड्री कमीशन जब यहां आया था उस वक्त इस बात पर कोई जोर नहीं दिया गया था। उसके सामने कच्छ को राजस्थान में शामिल किये जाने को बात रक्खी गई। पर कमीशन में इस प्रकार के लोग नहीं थे जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते। इस कारण कच्छ को शामिल करने के मसले पर जोर नहीं दिया। मैं इस सिलसिले में यहां कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं कच्छ में कांडला पोर्ट है। वैसे वह सारे हिन्दुस्तान का है पर राजस्थान के बोर्डर पर होने से उसका सबसे अधिक लाभ राजस्थान को होता है और वैसे कच्छ के पोर्ट के अलावा भी बम्बई आदि प्रान्तों के पास और भी बहुत से पोर्ट हैं, सारे भारत के काफी प्रान्तों के पास पोर्ट हैं पर राजस्थान के पास कोई पोर्ट नहीं है और कच्छ को अगर इसमें शामिल कर दिया जाता तो उसे एक पोर्ट मिलता। वैसे वहां के रहने वालों के रहन सहन बोली चाली और राजस्थान के उधर के इलाके सांचोर आदि के रहने वालों की बोली चाली और रहन सहन में कोई अन्तर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से भी वे समान हैं बल्कि उनको यहां इधर आना पड़ता है। सांचोर में जब नदी आती है तो वे पालनपुर आदि के लोग इधर आया करते हैं।

इसलिए उन लोगों के आर्थिक जीवन में, उनके रीति रिवाज में, रस्म में, कोई किस्म का खास अन्तर नहीं है। उनकी भाषा में कोई खास अन्तर नहीं है। इसीलिए कच्छ के पोर्ट के लिए जोर देते और यह कच्छ इधर आता तो कान्डला पोर्ट आपको मिलता, जिससे एक तरह की सहूलियत पैदा होती राजस्थान के विकास के लिए। राजस्थान के शायद जो शासक लोग हैं वे यह समझते हैं कि राजस्थान इतना बड़ा बन गया है कि सम्हालना मुश्किल है इस लिए और

Page No 32

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

हिस्सा कच्छ का और बीच की जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं वह आ जायेंगी, इस लिए उनको मांगने का क्यों प्रयत्न करें, इस लिए शायद इस आइडिया को डिसमिस कर दिया, और इस बात पर ज्यादा जोर नही दिया। इस बात को अगर कर देते तो कांडला पोर्ट हमारे यहां आता कच्छ की पार्ट सी स्टेट थी वह हमको मिलती। इसमें इधर उधर की बीच में तहकीकात होती। इसके ऊपर अगर कमीशन जाता (घंटी) और अगर करता तो वह कमीशन इस बात के नतीजे पर पहुँचता कि कच्छ और राजस्थान के लोगों में समानता है। आर्थिक समानता है। उसको देखते हुए कच्छ हमें जरूर मिलता। और उससे राजस्थान के विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन होता और वह एक बहुत बड़ा सहायक होता। खैर, वह मौका गया और आयन्दा कोई मौका आये तो उसमें यह अन्डरलाइंग आइडिया हो कि जोन्स को स्टेट बनाया जाय तो मैं जरूर कहूँगा कि हमारे यहां के लोग इस बात का ध्यान रखेगें कि कच्छ को हमारे यहां शामिल किया जाय और स्टेट बनाई जाय। चूंकि यह नक्शा इस वक्त देना गैर जरूरी है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। अगर कोई स्टेट बने तो कौन सी बने और कैसी बने इसलिए इस पर ज्यादा न कह कर मैं यही कहूंगा कि अनकान्शसली इन्नोसेन्ट तरीके से पेश किया है हमारे सामने तो हमें मन्जूर करना चाहिए। आखिर में दूसरे लोगों से इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह विचार विमर्श करें, आपस में रियासतों के मामलों जैसे कि भाखरा नांगल और राजस्थान केनाल जिधर से आने वाली हैं उनके विचार विमर्श के जोनल कौन्सिल बनती है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए सिर्फ इस हद तक, और आगे कोई बात हो तो उसके लिए साफ कर देना चाहिए कि अन्डरलाइंग आइडिया इसके मुताल्लिक कुछ न मान कर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए जनरली मैंने यह कुछ प्वाइन्ट्स आपके सामने रखे हैं। फिर से मैं यही सदन के सामने रखता हूँ कि जो बिल हमारे सामने पेश हुआ है उसे सदन को पारित करना चाहिए।

वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन विधेयक पर यह दूसरा दिन है कि जब हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे देश के आजाद होने के बाद हमारे नेताओं ने हमको एक विधान दिया। वह एक पहला कदम था कि जिससे हमारे नये भारत के निर्माण की नई नींव डाली गई है। यह दूसरा पत्थर है कि जिसको कि नींव के साथ लगाया जा रहा है, जो कि आगे आने वाले भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। यदि हम इतिहास की पृष्ठभूमि पर इस विधेयक को जो कि हमारे सामने आया है, इसको देखें तो हमको दो तरीके लगते हैं इस विधेयक को देखने के। एक तो राजस्थान के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं और एक भारत के दृष्टिकोण से राजस्थान के दृष्टिकोण से यदि हम इस विधेयक का अवलोकन करें तो सिवाय इसके कि जैसा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसदिन कहा था कि हमको सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने रिपोर्ट पेश की और यह विधेयक बनाया, बधाई देने के और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि राजस्थान को सबसे ज्यादा फायदा इस विधेयक के द्वारा होने वाला है। हम पार्ट बी स्टेट थे। एक तरह से हमारी सबोर्डीनेट पोजीशन थी। जब हमारा स्टेट्स दूसरी स्टेटस के मुकाबले में बराबर हो गया। पार्ट ए स्टेट का स्टेट हमको मिलेगा। राजप्रमुख की प्रणाली जो कि समयानुकूल नहीं थी, जो कि दकियानूसी कही जाती थी वह समाप्त होने वाली

Page No 33

[श्री वेदपाल त्यागी]

है। इसके अतिरिक्त अजमेर जो कि हमारे मध्य में स्थित है और जिसका कि नक्शा वास्तव में इस प्रकार का है जैसा कि दिल का नक्शा है जिसको परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने बतलाया है कि अजमेर राजस्थान का दिल है, वह हमको मिल रहा है। अब तक ऐसा महसूस होता था जब कि हम जोधपुर जाते थे कि बीच में दूसरी टेरीटरी में से पास हो रहे हैं। राजस्थान का वह केवल शरीर है जो कि बिना दिल के है। अब हम दिल वाले हो जायेंगे यह एक अच्छी बात है। इसी तरह से राजनैतिक आधार पर लिया गया था, वह आबू वापिस मिल रहा है। जो लोग यह स्वप्न देखते थे कि गर्मियों में अपनी राजस्थान की विधान सभा का अधिवेशन ऐसी जगह करेंगे कि जहां ठण्डी हवा आयेगी और ठंडी हवा में अच्छी तरह से सोचने को मिलेगा, वह वापिस मिल गया। इस लिए इस दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में हम लोग गेनर हैं और हमको काफी मिल रहा है।

लेकिन इसको भारत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो मैं भिन्न मत रखता हूं उन लोगों से जो यह कहते हैं कि इस बात की आवश्यकता थी कि हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो या किसी और आधार पर हो या किसी और आधार पर हो। मैं यह समझता हूं और मैं इस खयाल का हमेशा से रहा हूँ कि यदि हमको अपने देश को एक सूत्र में बांधना है तो हमको एक ही सरकार कायम करनी चाहिये। अलग अलग सरकारें बना कर चलने से अलग २ प्रान्तीयता कायम हो रही है। आज कई मत लगे हुए हैं। गुलामी से हम जरूर आजाद होगये है, लेकिन वह जन्जीरें तोड़ने के बाद स्वतन्त्रता से विचार करना शुरु कर दिया है, लेकिन इसके साथ लगी हुई परम्पराएं अभी चली आ रही हैं। उनसे हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाये हैं। जातिवाद का भूत हमारे सिर पर सवार है। प्रान्तीयता का भूत हमारे सिर पर सवार है, और ऐसी कई कुरीतियां और रूढ़ियां हमारे अन्दर लगी हुई हैं कि उनसे हम अपने आपको स्वतन्त्र नहीं कर पाये हैं। हम भाषा भाषी प्रान्तों के इतिहास को उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि ब्रिटिश सरकार ने एक मर्तबा सोचा था कि यहां राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। इसके बाद १९२१ में जब कि कांग्रेस का विधान बना और महात्मा गांधी ने विधान को तैयार किया और कांग्रेस के प्रान्त बने, वह भाषा के आधार पर बनाये गये। कांग्रेस के प्रान्त जो पोलिटिकल प्रान्त उस वक्त थे उसके आधार पर नहीं थे, बने थे बल्कि भाषा के आधार पर बना दिये गये। कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया और पास करके अपना मन्तव्य प्रकट किया कि हम आजाद होने के बाद देश का बंटवारा भाषा के आधार पर करेंगे, ताकि लोगों को अपने विकास के लिए अच्छा मौका मिले। मैं मानता हूं कि भाषा का माध्यम ऐसा है जिसके द्वारा विकास में पूरा मौका मिल सकता है, और मिलना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि भाषा का खयाल जब हम राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं उस वक्त भाषा को बिल्कुल नजरअन्दाज कर दें। लेकिन एक मात्र भाषा के आधार पर ही प्रान्त बनें जिसका कि कांग्रेस ने ऐलान किया था और उसी कांग्रेस ने बाद में जाकर इस बात को महसूस किया कि यह एक अच्छी चीज नहीं होगी। इसलिए जो रिपोर्ट डा. पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में सरदार पटेल, जवाहर लाल जी नेहरू और पट्टाभि की कमेटी ने पेश की उसमें थोड़ी सी तरमीम करने की कोशिश की, यद्यपि आधार वही माना। लेकिन जब इसके लिए आन्ध्र में काफी जोर से प्रश्न उठा

[श्री वेदपाल त्यागी]

और एजीटेशन हुआ और वहां के एजीटेशन का नतीजा यह हुआ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को माना कि हम आन्ध्र का निर्माण करेंगे। उसके बाद उन लोगों की डिमान्ड पर चेक नहीं लगा सकी, कि जो यह कहते थे कि हमें भी भाषा के आधार पर प्रान्त चाहिए। उसका नतीजा यह हुआ कि कमीशन का निर्माण किया गया और कमीशन की रिपोर्ट जो हमारे समक्ष पेश हुई है और उस पर हमने विचार व्यक्त किए हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि यदि यह मसला इस समय जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था, देश के समक्ष नहीं आता तो जो कार्य अपने हाथ में लिये हुए हैं अपने निर्माण के, उसमें शायद और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ सकते थे। और जैसा कि बाहर से आए हुए मेहमानों ने चेतावनी दी कि यदि इसको आप नहीं छेड़ते तो अच्छा होता, और वे दृश्य देखने को न मिलते जो कि बम्बई में देखने को मिले हैं। बम्बई में जब रूसी लोग यहां आये तो हमने एक नारा बुलन्द किया था "रूसी हिन्दी भाई भाई" चीन का डेलीगेशन जब यहां आया था तो हमने एक नारा बुलन्द किया था "चीनी हिन्दी भाई भाई'। जब ये नारे लगाते थे तो मैं सोचता था कि क्या गुजराती और महाराष्ट्री भाई २ नहीं? क्या बम्बई में जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं क्या वह भाई २ की शान है? यह खयाल था कि पुरानी गुलामी की जंजीरों में जिस प्रान्तीयता के नाम से जकड़े हुए हैं, उससे अपने आपको हमने ऊपर नहीं उठाया और यही कारण है कि तरह २ की घटनायें देश में घटी।

अजमेर हमारे में मिलने जा रहा है। अजमेर वाले यह कह रहे हैं कि अजमेर को ही राजस्थान की राजधानी बनाया जाय। पहले जब यह देखा था कि अजमेर को राजस्थान का अंग बनाना ही पड़ेगा इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं हो सकती है तो उसको पहले जो पार्ट सी स्टेट बनाने की कोशिश थी और वह कोशिश नहीं चली तो उसको बन्द कर दिया और दूसरी कोशिश शुरु कर दी। अगर हम वास्तव में देखें तो ये छोटी नहीं है। जब हम देश का निर्माण करने जा रहे हैं तो प्रान्तीयता को आधार बना कर आगे सोचते ही नहीं है। प्रान्तीयता में सीमित रहे शहरों तक सीमितरहेतो उसका नतीजा यह होता है कि देश प्रेम जाग्रत नहीं होता है जो कि स्वतन्त्र देश में जाग्रत होना चाहिये। तो यह जो दृष्टिकोण है, भाषा के आधार पर प्रान्त बनाये, किसी समय कांग्रेस का भी यही दृष्टिकोण था लेकिन आज वह दृष्टिकोण सही नहीं मानते हैं और मैं भी यही कहूँगा कि वह सही नहीं है। प्रान्तों का निर्माण एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिये और यह मद्देनजर रखना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाते समय लोगों की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। जो लोग यह कहते हैं कि एक लेन्ग्वेज वाले प्रान्त में लोगों की तरक्की ठीक हो सकती है, मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके लिए जो बम्बई का जो रूप है, वहां एक प्रान्तीयता के रुप में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, लेंग्वेज के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है किन्तु वह बाइलिंग्वल है, और उन लोगों से सीखना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाते हैं? यद्यपि गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में काफी खाई पड़ गई है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का

Page No 35

[श्री वेदपाल त्यागी]

जो ढांचा है वह इस बात का द्योतक है कि बाई लिंग्वल स्टेट्स कायम रह सकती हैं। वे जब ही कायम रह सकती है जब कि हमारे में यह भावना हो कि अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन चले, एक सूत्र में बंधने की भावना हो। लेकिन अगर वह भावना सबोर्डिनेट करदी जाती है या यह भावना है कि अपना प्रदेश चाहिये, वही माना जायगा, या मेरी जैसी भाषा बोलता हो, तो मैं समझता हूँ कि वह हमारे देश के लिए घातक चीज होगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि हम इस सदन द्वारा यह बतावें कि आज जिस प्रकार की प्रवृत्ति देश में है, उसकी तरफ से आंख मींच नहीं सकते और उसको देखना आवश्यक है और उसको देखते हुए यह जो स्टेट्स रिओगनिजेशन का जो मसला हमारे सामने पेश है इसको आज तय न करके शेल्व कर दिया जाय तो अच्छा हो। जैसा पंजाब के लिए निर्माण किया गया, पंजाब के लिए रीजनल कमेटीज निर्माण की गई और किसी जगह न बनाई गई। हमारे यहां भी अजमेर को मिला कर एक राज्य बनाया, उसके लिए रीजनल कमेटी नहीं बनी, एक मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है, उसमें मध्य भारत आदि कई बड़े हिस्से बन रहे हैं, उसमें रीजनल कमेटी नहीं बनी, किन्तु पंजाब में बनी है। आज हम सिक्खों को खुश करना चाहते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते हैं, राजनीति का चक्कर है, उनका जो अहम है उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक समस्या को हल करने का जो छोटे २ हल निकाले गये हैं वे वास्तव में हल नहीं है। बंगाल बिहार की सीमा का प्रश्न है। श्री कृष्ण बाबू ने एलान कर दिया कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा। बंगाल बिहार से बड़ा प्रान्त है और जो विवाद का हिस्सा है बंगाली उसको चाहते हैं और वास्तव में यह जाना चाहिए बंगाल में। लेकिन दोनों ओर के लड़ने वाले योद्धा हैं, लड़ने वाले मौजूद है। जो निर्णय देने वाले हैं, व किस प्रकार निर्णय दें, कमजोर कोई होता तो उसके पक्ष में निर्णय नहीं होता, लेकिन बराबर के योद्धा हैं। उन्होंने हल निकाला कि बिहार और बंगाल एक प्रान्त हो जाय। उस वक्त तो बड़ा सुन्दर लगा, पं० नेहरु ने आश्वासन दिया लेकिन बाद की घटनाओं को देखें तो पता लगता है कि उसमें वास्तविकता नहीं थी, छोटी सी चीज तो दिखाई देती थी, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी उलझनें आगई, जो सुलझ नहीं रहीं हैं तो बहुत बड़ा आधार होना चाहिये जो कि वास्तव में उसके अन्दर मौजूद नहीं था।

बम्बई की मिसाल हमारे सामने है। अगर हम यहां सरकार बनाते हैं जैसे बम्बई रीजन में जो लोग ज्यादा मौजूद हैं वह उनको दिया जाना चाहिये, कोई वजह नहीं कि बम्बई को अलग रक्खा जाय और महाराष्ट्रियों को न दिया जाय। मसले सब पोलिटिकल बैकग्राउण्ड में देखे जाते हैं और उनका हल निकालने की कोशिश की जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पोलिटिकल बैकग्राउण्ड में हल निकालने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में उनका हल नहीं निकल पाता और बादमें जाकर और बादमें बहुत बड़े बखेड़े के रूप में आ सकती है जो हल नहीं हो सकतीं। पं० नेहरू ने कहा था खुद सिविल वार बनाने को तैयार हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। बम्बई में जो दृश्य हमारे सामने आये वे सिविल वार से कम नहीं है। ठीक है कि वे बम्बई तक ही सीमित रहे, भगवान की कृपा हुई कि वे आगे न बढ़ सके, ये सोलर........ हैं। ये संकेत जरूर करते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है और उनका हल किस प्रकार से निकालना चाहिये? मेरी तो यह मान्यता है और यह मजबूती के साथ

[श्री वेदपाल त्यागी]

कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति में जो उग्र रूप इस समस्या ने धारण कर लिया है जिस तरह से हल निकाल रहे हैं, वह वास्तव में हल नहीं है। अपीजमेन्ट की जो पालिसी है, लोगों को खुश करने के लिये जो बातें की जाती है और हल निकाला जाता है उससे आगे जाकर द्वेषता पैदा होती है। जर्नल कौंसिल की स्कीम निकाली है पं० नेहरू ने, उसका तो मैं स्वागत जरूर करता हूँ लेकिन पंडितजी भी भावनाओं से डर गये कि प्रादेशिक भावनायें लोगों में हैं, और जिस रूप में वे इसको रखना चाहते थे, उस रूप में नहीं रख सके। बहुत मौका मिलेगा, यह सोचा हो। मैं जहां तक समझता हूँ उनका विचार यही हो सकता है कि जिस तरह से आस्ट्रेलिया को पांच हिस्सों में बांटा गया हैं उसी प्रकार भारतवर्ष को भी पांच हिस्सों में बांट दिया जाय। लेकिन जो लोग पावर में थे, जिनके इन्ट्रेस्ट क्रियेट हो चुके हैं, और वे अपने इन्ट्रेस्ट को देश के सामने सुपरसीड करने के लिए तैयार नहीं हुए। काफी आवाजें उठी थी और वे दबादी गई। भावनाओं से भरे हुए पण्डितजी ने पार्लियामेंट में, अपने मित्रों से बिना कन्सल्ट किये ही, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनकी भावनायें संकेत करती हैं कि इस ओर भारतवर्ष अन्त में जाकर एक ही सरकार द्वारा गवर्न किया जायगा और उसको पहुँचने के लिए यह कदम है कि भारतवर्ष को पांच हिस्सों में बांटें। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो सकता था यही कारण, उसको उस रूप में नहीं रक्खा और उस रूप में रखा कि इसके एडवाइजरी फंक्शन्सन होंगे। मैं यह निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष, कि आज यह जिस स्वरूप में आया है वह बेकार का स्वरूप है, उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। उस जोनल कौंसिल में एक मुख्य मन्त्री, दो मन्त्री, अलग अलग शामिल होने वाले स्टेट्स के, सेन्ट्रल से एक विशेष तौर पर नामजद किये हुए मिनिस्टर, चीफ सेक्रेट्री और डवलपमेंट सेक्रेटरी होंगे, एडवाइजर्स प्लानिंग कमीशन के होंगे, सिर्फ एडवाइस दे सकेंगे, उसका क्या फैसला होगा यह कोई नहीं जानता। आज हम देखते हैं कि हजारों तरह की एडवाइस मिलती हैं, उसीको कबूल करते हैं जो हमारे हक में होती है, हमारे अगर दृष्टिकोण के हित में नहीं हो तो, चाहे वह देश के हित में हो, नहीं मानते, और उस वक्त मानते हैं जब हमारे ऊपर दबाव होता है, नहीं तो नहीं मानते। ऐसी सूरत में जिस रूप में जोनल कौंसिल का निर्माण किया गया है वह रूप बिल्कुल बेकार है और कारगर नहीं हो सकता। अलबत्ता यह जरूर है कि कभी कभी बैठ कर हम आपस में कोमन समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, यह ठीक है। आज हमें उत्तरी जोन में मिलाया गया है। हम यदि अपने प्रान्त का भविष्य देखें तो हमारे प्रान्त का भविष्य इसीमें उज्ज्वल है कि हम अपने आपको पंजाब के साथ गठबन्धन करें क्योंकि जो भी नहरें, बिजली, भाखरा से आ रही है वे पंजाब से आई हैं या आयेंगी। हमारे डेवलोपमेंन्ट का साधन पंजाब से है और हम उन्हीं से मिले साधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे प्रान्त की समस्यायें बिल्कुल वही हैं जो पंजाब की है इस लिये यदि इन समस्याओं की ओर ध्यान देकर हम अपने निर्णय को लें तो हमें खुशी के साथ पंजाब से गठबन्धन करना चाहिये। तो हमारी कोमन समस्याएं पंजाब, काश्मीर आदि के साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हमारे देश को पाकिस्तान से है और जिस तरह के डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं उनको देखते हुए हमें अपने बोर्डर को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिये कोमन फ्रन्ट पंजाब के साथ हो सकता है लिहाजा हमें नोर्दनजोन के साथ मिलाया है, उसमें हमें सहूलियत है

[श्री वेदपाल त्यागी]

और लाभ भी है। लेकिन जो जोनल कौंसिल का रूप दिया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। यदि वह कदम ऐसा कदम है जिसकी शंका एक पूर्व वक्ता कर रहे थे कि शायद आगे चल कर पांच प्रान्त बनें तो हमको भी उसमें जोड़ा जाय। तो इसमें शंका की जरूरत नहीं है। देश के हित में पंजाब निवासी भी उतना ही दिलचस्पी रखता है जितना राजस्थान का। इकोनोमिक दृष्टि से हमारी समस्यायें पंजाब के साथ मिलने से हल होंगी न कि यू. पी. या गुजरात के साथ मिलने से। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जोनल कौंसिल्स को एक अहम रूप दिया जाना चाहिये, इसको महत्ता दी जानी चाहिये, क्योंकि यह पहला कदम है इस तरह का। हम अपनी प्रान्तीयता को अपने देश के हित के सामने सबोर्डिनेशन दें, वह इस तरह से दे सकते हैं कि दूसरे प्रान्तों के साथ मिल कर दोनों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें।

जैसा मैंने कहा था, अजमेर में दो दिन से इस विधेयक पर विचार हो रहा है और हमको पढ़ने को मिलता है कि यह आवाज जोरों से बुलन्द की जा रही है कि अजमेर को राजधानी बनाई जाय। एक नोन ओफिशियल रिजोल्युशन भी अजमेर विधान सभा में पास किया गया है। यहां भी कुछ सदस्य इस बात के लिये जोर देते हैं। परबतसर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि अजमेर को राजधानी बनाया जाय क्योंकि अजमेर उनके पास पड़ता है, लिहाजा उन्होंने यह आवाज बुलन्द की। हमारे विरोधी दल के नेता ने भी यह बात कही क्योंकि वे अब राजस्थान को छोड़कर आज जा रहे हैं और उनको एपीज करना था इसलिये उन्होंने अजमेर के लिये आवाज बुलन्द की।

श्री अध्यक्ष—ये जानते हैं कि यह बनाने वाला तो नहीं है इसलिये उनकी सहानुभूति भी ले लें।

श्री जसवन्तसिंह—मैं राजस्थान छोड़कर नहीं जा रहा हूँ।

श्री चंदनमल वैद—हमारी सिंपेथी क्यों खो रहे हैं?

श्री श्रीदास गोयल—चीप पोपुलेरिटी लेना चाहते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—राजधानी अजमेर रहे या जयपुर रहे यह गौण चीज है महत्व की बात नहीं है। कितने पैसे खर्च करने हैं, लोगों की भलाई किसमें है, मध्य में पड़ता है, यह अलग बात है। लेकिन शुरू में जब कि राजस्थान का निर्माण हो रहा था उस वक्त जैसे कहा जाता है कि अजमेर को राजधानी बनाने के लिये निश्चित किया जा रहा था यदि अजमेर आता तो दृष्टिकोण भिन्न होता, लेकिन राजधानी का निर्माण हुए ६ वर्ष हो चुके हैं और राजधानी जयपुर होने के बाद किस तरह से पैसा खर्च किया गया, किस तरह से इसका डेवलपमेन्ट किया गया और किस तरह से

[श्री वेदपाल त्यागी]

राजधानी के अनुकूल इसे बनाया । इसलिये आज यह कहना कि आज इस प्रश्न को दुबारा उठाना चाहिए उचित नहीं है । जबकि अजमेर को कहा गया कि आप शामिल हो जाइये तो वहां के नेताओं ने कहा कि प्रान्त रियासतों में नहीं मिलते । डेमोक्रेसी के जमाने में रियासतें और प्रान्त अलग नहीं हैं । रियासतों का भी वही रूप रहता है जो प्रान्तों का है । हमारे यहां डेमोक्रेसी की शुरूआत पहले हुई और अजमेर में बाद में इस तरह की सरकार का निर्माण हुआ । इस तरह से प्राथमिकता राजस्थान प्रान्त को दी जानी चाहिये थी न कि अजमेर को । लेकिन उस समय वहां के लोग चाहते थे कि अलग रहकर हम फायदा उठा सकते हैं । लेकिन अब परिस्थितिवश उनको मिलना पड़ रहा है तो आवाज बुलन्द कर रहे हैं । इस का बेस और आधार यह है कि अभी तक प्रान्तीयता से ऊपर नहीं उठ पाये हैं । अब तक उसी चीज पर ज्यादा जोर देते हैं । हमारे प्रान्त और नगर का क्या होगा, हमारा नगर राजधानी होना चाहिये । हमें यह सब छोड़ कर आगे बढ़ना चाहिए । जब हम एक होने जा रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि तमाम का विकास हो अजमेर का विकास हो और राजस्थान का विकास नहीं हो यह बात नहीं सोचनी चाहिए । जयपुर पर करोड़ों रुपये बिल्डिंग्ज आदि पर खर्च किये हैं उसको नष्ट किया जाय, यह न्याय-संगत मांग नहीं है ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इसके फलस्वरूप जो नये राज्य बन रहे हैं उनके फलस्वरूप हमारे यहां भी हाई कोर्ट का निर्माण हो रहा है । हरेक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और राजस्थान में भी हाई कोर्ट होगा और इस विषय में कांस्टिट्यूशन में चेन्ज हो रही है वह यह है कि पहले कांस्टिट्यूशन के अन्तर्गत हाई कोर्ट जजेज़ की सेलेरी नियुक्त की गई थी और पार्ट बी. राज्यों के लिये यह रखा गया था कि प्रेसीडेन्ट अपने ओर्डर से उनके वेतन नियत करेंगे और उन्होंने पार्ट बी, स्टेटस के हाई कोर्ट्स के वेतन निश्चित किये । सिवाय सौराष्ट के सभी पार्ट बी. स्टेटस के हाई कोर्ट जजेज के वेतन ढाई हजार और तीन हजार रुपये रखे गये । आज जिस तरह से कांस्टिट्यूशन को अमेन्ड करने जा रहे हैं उसके अनुसार तीन स्टेटस के हाई कोर्ट जजेज़ की सेलेरी ढाई हजार और तीन हजार करने जा रहे हैं और बाकी स्टेटस के हाई कोर्ट जजेज को साढ़े तीन हजार रुपये देने का प्रोविजन रख रहे हैं । इस पर मुझे आपत्ति है । इस प्रश्न पर कुछ अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं । उन्होंने कहा है कि जिनको तनख्वाह ज्यादा देने का प्रोविजन है उनकी कम करनी चाहिये । मेरा भी यह कहना नहीं है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय लेकिन यह इस विधेयक के स्कोप में नहीं आता कि उनकी तनख्वाह क्या रखी जाय । लेकिन यह चीज़ इस विधेयक में आती है कि हमको पार्ट ए. स्टेट का स्टेटस दिया जा रहा है । कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता है । तमाम स्टेटस की सरविसेज़ आई. ए. एस., आई. पी. एस, आदि का एक केडर बनाया गया है । आई. ए, एस के लोग सभी जगह चीफ सेक्रेटरी आदि होंगे तो यह समझ में नहीं आता है कि इन तीन स्टेटस के जजेज़ को इन्फीरियर स्टेटस क्यों दिया जाता है ? इसका मतलब यह होगा कि हम इन्फीरियर ज्युडिशियरी द्वारा गवर्न किये जायेंगे और हम इन्फीरियर समझे जायेंगे । इसके पक्ष में ये आर्गुमेन्टस दिये गये हैं कि बार में ज्यादा आमदनी नहीं है । ज्युडिशियल केडर के

[श्री वेदपाल त्यागी]

ओफिसर्स को कम तनख्वाह मिलती है इसलिये यहां के हाई कोर्ट जजेज को कम तनख्वाह दी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल गलत सोचने का तरीका है। यहां पर भी बार में से कुछ लोगों को जज हाई कोर्ट बनाने के लिये ओफर दी गई थी और उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि बार में उनकी आमदनी ज्यादा थी। यहां पर आज भी लोग मौजूद हैं जो आमदनी के लिहाज से हाईकोर्ट की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते। यहां भी बार की आमदनी काफी है। इसलिये जो आर्गुमेन्टस दिये जा रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। हमारे यहां दो जगह हाई कोर्ट होने से जरूर कुछ दिक्कत है लेकिन यह सोचना कि बार की आमदनी कम है, ज्युडिशियरी का वेतन कम है, इसलिये जजेज़ को कम तनख्वाह दी जाय, ठीक नहीं है; जब कि पोवर्स एक ही हैं। जो काम इलाहाबाद हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के जज करते हैं वही काम हमारे हाई कोर्ट के जजेज़ को करना पड़ता है, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां के जजेज को कम वेतन दिया जाय। मैं निवेदन करूं कि जो लोग आल इंडिया रिपोर्टर पढ़ते हैं और बार में काम करते हैं वे कोन्फिडेन्स के साथ कह सकते हैं हमारे हाई कोर्ट का स्टेन्डर्ड किसी भी रूप में किसी दूसरे हाई कोर्ट के स्टेन्डर्ड से कम नहीं है। हमारे यहां के कुछ जजमेन्टस तो ऐसे हैं जो वाकई कमेन्डेबल हैं।

मैं यह निवेदन करूं कि आज सोराष्ट्र के हाई कोर्ट्स का इन्ट्रिग्रेशन बम्बई के हाई कोर्ट्स के साथ हो रहा है और सोराष्ट्र के हाई कोर्ट्स के जजेज़ जिनको कि २००० रुपये मिल रहे हैं उनको इन्ट्रिग्रेशन होते ही साढ़े तीन हजार रुपये मिलने लग जायेंगे। क्योंकि उनके हाई कोर्ट्स का इन्टेग्रेशन बम्बई के हाई कोर्ट्स के साथ हो रहा है। पर हमारा किसी के साथ इन्ट्रिग्रेशन नहीं हो रहा है इसलिये हमारे यहां के हाई कोर्ट्स के जजेज को २००० रुपये ही मिलेंगे, तो हमारे यहां के हाई कोर्ट के जजेज को दूसरे हाई कोर्ट के जजेज के मुकाबिले में यह समझा जायगा कि इनको कम तनख्वाह मिलती है, ये इन्फीरियर टाइप के जजेज हैं, यह राजस्थान की और इस तरह की स्टेट्स की तौहीन है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे पुरजोर शब्दों में इसकी मुखालफत करें और भारत सरकार से इस बात की सिफारिश करें कि जूडिशियरी में यह जो इस प्रकार का इन्फीरियोरिटी का फरक रखा है उसे मिटाया जावे और राजस्थान के हाई कोर्ट्स के जजेज हैं उनकी तनख्वाह भी पार्ट ए. स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के जजेज के बराबर रखी जावे।

केरल एक स्टेट बनने जा रही है। वहां का चीफ सेक्रेटरी यू. पी. और मध्यप्रदेश इन दोनों के चीफ सेक्रेटरीज के बराबर तनख्वाह पायेगा, हालांकि इन दोनों प्रान्तों के चीफ सेक्रेटरीज के मुकाबले में वहां काम कम रहेगा। पर हाई कोर्ट के जजेज का काम एक सा है, विधान में हाई कोर्ट्स के फंक्शन्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा है। पार्ट ए. स्टेट के हाई कोर्ट्स के जजेज को और हमारे यहां के हाई कोर्ट्स के जजेज को बराबर काम करना पड़ता है। इस तरह की इन्फीरियोरिटी का जजेज में रखना यह तौहीन की बात है, सोचने का तरीका गलत है, इन्फीरियर जूडिशियरी का जो यह नया तरीका निकाला है वह हमें मान्य नहीं हो सकता और पुरजोर शब्दों में हमें इसकी मुखालिफत करनी चाहिये।

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसके अलावा लेजिस्लेटिव कौंसिल्स के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा , ४ ऐसी स्टेट्स हैं जहां स्टेट कौंसिल्स नहीं हैं, बाकी सब जगह हैं । मैं यह निवेदन करूं जैसा कि सदन के सामने पहले भी विचार रखा जा चुका है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल्स हाउस ऑफ लोर्ड्स के आधार पर कायम की गई । जिस वक्त हाउस ऑफ लोर्ड्स कायम हुआ उस समय इंगलैंड की परिस्थितियां और थीं, आज और हैं, परन्तु अब उसको खत्म करना इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है, हालांकि अब उसके पॉवर बहुत कम कर दिये गये है, नाम मात्र के पॉवर रखे हैं । भारत में भी डेमोक्रेसी का श्री गणेश किया गया तो इसी लिये ये कौंसिल रखी गई कि वाइसराय और गवर्नर्स बराबर कन्ट्रोल रख सकें, यह एक प्रकार से चैकिंग मशीनरी रखी गई थी, डिलेइंग टेक्टिक्स के लिये, अपना कन्ट्रोल बनाये रखने के लिये यह मशीन रखी गई थी, आज हम ब्लाइन्डली उसको फोलो करने की कोशिश करें यह उचित नहीं । थोड़ी सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां इस तरह कौंसिल्स नहीं हैं । मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहां भी लेजिस्लेटिव कौंसिल बनाई जाय, जब कि दूसरी जगह हैं तो हमारे यहां क्यों नहीं ? हमारे यहां भी होनी चाहिये । ऐसी मांग करना उचित नहीं हमारी मांग तो यह होनी चाहिये कि दूसरी जगह पर भी जो लेजिस्लेटिव कौंसिल्स हैं उन्हें एबोलिश किया जाय । यदि वास्तव में हम डेमोक्रेसी का वास्तविक रूप चाहते हैं तो इस प्रकार की चैकिंग बोडी न रखें जो सिर्फ डिले करे और इसके अलावा जिसका और कोई फंक्शन नहीं है । और इस तरह की बोडी को एबोलिश करने के हमारे विचार हैं उन्हें पार्लियामेंट के समक्ष रखा जावे ।

जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा मैं भी इससे सहमत हूं कि आज यह समय नहीं है कि एक रीजन उठा कर दूसरी जगह रख दिया जावे यद्यपि मध्यभारत के कुछ रीजन्स की डिमान्ड राजस्थान डिमान्ड कर सकता है लेकिन इस बात से भी आंखें नहीं मीचनी चाहिये कि यदि वहां के लोग किसी एक प्रान्त में रहने में किसी प्रकार की इन्कन्विनियेंस महसूस करते हैं और दूसरे प्रान्त में रहना चाहते हैं, जैसे धौलपुर से आने वाले और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने बताया कि वहां के लोगों को राजस्थान में रहने से इन्कन्विनियेंस महसूस होती है खास करके धौलपुर वालों की यह मांग है, उस पर अगर विचार नहीं किया जाय तो यह ठीक नहीं होगा । डाक्टर साहब यह नहीं समझें कि मैं उनको खुश करने के लिये ऐसा कह रहा हूँ बल्कि मैं इस बात को मानता हूँ और हर एक को मानना चाहिये कि यदि किसी प्रान्त में रहने से किसी जगह के लोगों को असुविधा होती है तो या तो उनकी इन असुविधाओं को दूर किया जाना चाहिये और अगर उनकी असुविधाओं को दूर नहीं किया जा सकता तो उनको अगर वे दूसरे प्रदेश में जाना चाहें तो जाने देना चाहिये । यही वजह है कि एस. आर. सी. बिल बना तो लोहारू को हमारे से हटा दिया; हालांकि पहले ये राजस्थान के साथ मिलाया जाने वाला था । परन्तु वहां की पंचायतों ने अगर वहां के लोगों ने भारत सरकार को बताया कि राजस्थान में रहने से उनको सुविधा नहीं रहेगी, पंजाब में रहने से सुविधा रहेगी और भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया । उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो धौलपुर वालों की भी बात को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करते हुए इसका समर्थन करता हूँ ।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष,...............

श्री भोलानाथ—आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं या दुबारा बोल रहे हैं ?

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मैं दुबारा नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस विषय पर तो बोल चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—स्पष्टीकरण करना चाहते हैं।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मैं विदाई की आज्ञा मांगना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह भी तो एक स्पष्टीकरण ही है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं ४ वर्ष तक इस सदन में रहा और ४ वर्ष से ऊपर समय निकाल दिया और यह मेरा सौभाग्य रहा कि इन ४ वर्षों में मेरे इधर बैठने वाले मित्रों की कृपा से एक ही स्थान पर मुझे आरूढ़ रहना पड़ा। यह मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और जहां कहीं भी रहूँ मैं इस बात को नहीं भूल सकता।

मैं इस सदन के माननीय मित्रों से यह कहना चाहूंगा कि आज वाकई में मैं दुख की भावना का अनुभव कर रहा हूं जबकि मैं उनके बीच से विदाई लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ४ वर्षों में मैंने बड़ी गाढ़ी मित्रता अपने साथियों से पाई और जो डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष तो हुआ ही करते हैं, मेरा भाग विपक्ष में होने का पड़ा और इसकी वजह से डेमोक्रेसी को, जनतन्त्रवाद को कटु चलाने के लिए विपक्ष को भी सरकार की त्रुटियां निकालनी चाहिए ताकि प्रान्त का और देश का भला हो और उन त्रुटियों को सुधारा जाय, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुमकिन है कि कटु आलोचना भी हुई हो और कई मित्रों को दुख भी पहुँचा हो लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ मैंने कहा सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के रूप में कहा, अपने कर्तव्य को पूरा करने के रूप में कहा। परन्तु ऐसा होते हुए भी इन ४ वर्षों में तीन चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं। माननीय पालीवालजी तो यहां मौजूद हैं ही, इस बात की मुझे खुशी है। मगर मुझे दुःख इस बात का है कि श्री व्यास जी यहां पर मौजूद नहीं हैं और मौजूदा चीफ मिनिस्टर तो यहां मौजूद हैं ही। इन सबके साथ मेरा परम मित्रता का व्यवहार रहा और उन्होंने भी मेरे प्रति पूर्ण मित्रता दिखलाई। चाहे इस सदन में हमें आपस में अपना अपना कर्तव्य करने में कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़ा हो। लेकिन फिर भी सदन में उसी मिनट या बाहर जाने के बाद में उसी प्रकार का प्रेम भाव दिखाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

अब मैं हमारे इधर बैठने वाले साथियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं इस विषय में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं समझता मगर फिर भी जहां तक संयुक्त दल का प्रश्न है मैं यह कहूँगा कि करीब करीब हम सब एक दूसरे से रिश्तेदारी के एक सूत्र से बन्धे हैं। मगर अपोजिशन पार्टी में संयुक्तदल के अलावा और भी दल हैं जिनके साथ मेरी बड़ी मित्रता रही है और

[कुं० श्री जसवंत सिंह]

उनका मुझ पर पूर्ण विश्वास रहा है मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि उन्होंने मेरे प्रति इतना प्रेमभाव दिखाया कि करीब करीब मुझे विपक्ष की तरफ से पूरा पूरा अधिकार दे दिया हुआ था कि हर बात उनकी तरफ से बोल सकता, और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ही किसी दूसरी विधान सभाओं में या संसद में भी अपने लीडर ओफ अपोजिशन के प्रति ऐसा ज्यादा विश्वास हो। इस विरोधी पक्ष में प्राय: सभी लोग हैं । सोशियलिस्ट पार्टी के, इन्डिपेनडेन्ट कांग्रेस से निकले साथी, जन संघ, कोम्युनिस्ट पार्टी के लोग । मगर मैं यह कहूंगा कि हर पार्टी को हर बात पर मेरे पर पूरा विश्वास रहा है। इतना ही नहीं जहां तक पार्टी की पालिसी का प्रश्न होता था उसके अलावा मुझे उन्होंने पूरा अधिकार दिया था कि मैं उनकी तरफ से कोई भी काम कर सकता हूं । उन पार्टी के सब व्यक्तियों का नाम लेना यहां उचित नहीं होगा मगर संयुक्त दल के अलावा दूसरी पार्टीज हैं जिसमें खास तौर पर श्री त्यागी जी इन्डिपेनडेन्ट और श्री हरिकृष्ण व्यास कम्युनिस्ट पार्टी के हैं उनका जिक्र मैं अवश्य करूंगा क्योंकि उनसे मेरा परम मित्रता का सम्बन्ध स्थापित हो गया ।

अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष, अब मैं एसेम्बली के सैक्रेटेरीयेट के बारे में कुछ कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहूंगा कि अध्यक्ष का पद बहुत ऊंचा है और हम सबने आपको इस पद पर चुनकर आप पर विश्वास किया और हमें इस बात का गर्व है कि हमने इस पद के लिए आप जैसे निष्पक्ष और योग्य व्यक्ति को चुना । ऐसा मुमकिन हुआ हो कि कभी कभी अपने अधिकारों के लिए या गलतफहमी के कारण कुछ झपटें हुई हों और कुछ कहा गया हो, मगर मैं आपको फिर कह देता हूँ कि आपने हमेशा उदारता और विशालता दिखाई और मित्रता को कायम रखने का श्रेय आप ही को है । इसके अलावा जब हमारे इस सदन का निर्माण हुआ था तो यह राजस्थान के लिए एक नई बात थी और जो सेक्रेटरी और मंत्री नियुक्त हुए एसेम्बली के काम के लिए उनके लिए भी यह एक नया काम ही था । भले ही यह कहा जावे कि उनको इस काम का पूर्व अनुभव रहा है; मगर मैं यह कहूँगा कि उन्होंने इन चार वर्षों में बड़ी चतुराई और होशियारी से काम किया और मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान के बाहर भी जहां कहीं मुझे इस प्रकार के कामों को देखने का अनुभव प्राप्त हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि वहां के मुकाबले में किसी प्रकार से हमारा एसेम्बली सेक्रेटेरियेट का काम कम नहीं रहा है । इस सदन में जितनी भी बड़ी बड़ी कमेटीयें हुई हैं, उनमें करीब करीब सबमें मेरा भाग रहा है और जहां तक मेरे से हो सका अगर आप रेकर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने सबसे ज्यादा हाजरियें की हैं और हाजिर रहने की कोशिश की है । सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाना यही हाल मेरा रहा है और कमेटी में कभी चेयरमेन प्रेजेन्ट न होता तो चेयरमेन का भी काम कई बार किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे रिपोर्टरों ने अपना काम बड़ी होशियारी से और योग्यता से किया । जिनके काम को मैंने अनुभव किया । इसके अलावा सैक्रेटेरियेट ने भी बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी होशियारी से काम करके बताया । मैं यह कहूँगा कि जो काम बड़ी से बड़ी विधान सभाओं

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

में होते हैं उनके वहां के काम भी इस प्रकार संतोषजनक नहीं रहते जितना कि यहां का काम संतोषजनक रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूँ और फिर से कह देना चाहता हूँ कि अगर किसी तरह से किसी को मेरे द्वारा दुःख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, वैसे तो अपर हाउस का जब से चुनाव हुआ तभी से हम यह मानकर चल ही रहे थे कि विरोधी दल के माननीय नेता अब राजस्थान की विधान सभा से भारत की पार्लियामेंट में अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। आज आपने इसका बकयदा यहां पर एलान किया कि आज से आप यहां से विदाई ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन पिछले चार वर्षों में आपने अपने स्थान के अनुकूल जो समय समय पर बातें कहीं उन बातों को हमने कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखा कि उसके पीछे किसी प्रकार कोई निजी द्वैष की भावना है या कोई दूसरी भावना इसके पीछे काम कर रही है। मैं यह कहूँगा कि सबसे ज्यादा खुशी की बात यह रही कि आपने जो कुछ कहा वह अपना कर्तव्य समझ कर कहा और उसके पीछे कोई भावना काम नहीं कर रही थी। जो कुछ आपको सूचना मिलती उसके आधार पर यहां पर आप कहते। आप विरोधी दल के नेता के तौर पर जो कुछ यहां कहते थे उससे किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होती थी, उससे हमको खुशी ही होती थी। हम यह देखकर चलते थे कि आप जो कुछ बात कहेंगे वह इस प्रकार की कहेंगे जिससे हमको कुछ जानकारी ही मिलती। आज आप हम लोगों के बीच में से विदाई ले रहे हैं इससे सदन को हानि होगी कि आपका जो पार्लियामेंट का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अच्छा तरीका आदि चीजों का लाभ सदन को नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं होगा लेकिन आपके इन अनुभवों को लाभ देश को तो कहीं न कहीं मिलता ही रहेगा। मैं समझता हूँ कि जहां राजस्थान को हानि होगी वहां देश को लाभ मिलता रहेगा। मैं यह आशा करके चलता हूँ कि राजस्थान के प्रश्न को आप वहां पर भी उठाते रहेंगे। आप वहां जाकर भी आप राजस्थान का हित करते रहेंगे। वहां जा कर, आया ऐसी बातें हैं, देश के हित की जिसके लिए काफी अवसर प्राप्त होंगे उस दृष्टि से राजस्थान को लाभ पहुँचेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो बातें आप ने कही उनका हमारे दिल पर कोई असर नहीं है। असर है तो इस बात का है कि आपने कहीं वह अपने कर्तव्य समझ कर कही। मै समझता हूँ कि वे सदन में चर्चा करने की बातें रही हों लेकिन आपकी मित्रता हमेशा हम सब के बीच बनी रही उस आशा से मैं समझता हूँ कि जो चीज निश्चित है उसको स्वीकार करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता इस सदन से विदाई ले रहे हैं और उन्होंने जो भावनायें प्रकट कीं उसके प्रत्युत्तर में सदन के नेता ने जो बातें कहीं जो भावनायें उन्होंने प्रदर्शित कीं विरोधी दल के नेता के संबन्ध में उनका और हमारा जो चार साल

[श्री टीकाराम पालीवाल]

तक संबन्ध रहा उसके सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं।

विरोधी दल के नेता होने के पहले उनका और हमारा संबन्ध सरकार में सहयोगी के रूप में भी रहा जब यह सदन बना पहले पहल वे विरोधी दल के नेता के रूप में मेरा उनसे व्यवहार करने का अवसर मिला। उस समय विरोधी दल की संख्या और शक्ति आजसे कहीं अधिक थी लेकिन उस सबके बावजूद विचारों की भिन्नता आज से उस समय कहीं ज्यादा थी उन सारे विचार भिन्नता के बावजूद जो सहयोग उनका उस समय हमारे साथ रहा वह सराहनीय था। विचार भिन्नता और बहुत से उद्देश्यों में भिन्नता होने पर भी उन्होंने कभी कटुता अपने व्यवहार में सदन के अंदर या सदन के बाहर नहीं आने दी। उनका जो पार्लियामेन्ट का अनुभव रहा उससे हमको हमेशा सहायता मिली अपने यहां के काम को चलाने में।

एक शासक के नाते भी उन्होंने हमको कई बार अच्छे सुझाव दिये उनसे भी हमें बहुत लाभ रहा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो व्यवहार जो मित्रता इस सदन के सदस्यता के काल में या उससे पहले जो बन चुका वह वैसा का वैसा रहने वाला है और उन्होंने उस सदन के विरोधी पक्ष के नेता के रूप में जो भली परम्परायें डालने में सहायता दी मैं समझता हूँ आने वाले लोग उनको आदर की दृष्टि से देखेंगे।

यह मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि जिस प्रान्त की उन्नति की प्रबल भावना से चार साल यहां बिताये और अपना कर्तव्य निभाया उसी भावना को लेकर पार्लियामेन्ट में जा रहे हैं। वहां बैठकर भी जितना हित साधन यहां बैठकर किया उससे कहीं अधिक हित साधन उन जैसा अनुभवी व्यक्ति वहां कर सकता है। हम चाहते तो नहीं थे कि आप इस सदन को छोड़कर वहां जायें और जितना हमसे हो सका हमने प्रयत्न किया उनको रोकने का लेकिन हमारे प्रयत्न के बावजूद भी हमारी सद्भावना लेकर वे जा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वे वहां राजस्थान के हित को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सद्भावनायें सदा उनके साथ रहेंगी।

श्री गुलाबचंद कासलीवाल—अध्यक्ष महोदय, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर हमारे देश में बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई है। इस हलचल की तुलना आज कल के जमाने में जितनी होनी चाहिये वह हुई। यह एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर यह कहा जा सकता है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो राजनीति में कुछ अपना कदम रखता है उसने इस पर खूब अच्छी तरह से विचार किया और इसपर बातचीत की। लोगों ने इसको समझा है और मैंने भी इसको समझने की कोशिश की अगर इस संबन्ध में इतिहास की पृष्टभूमि का संक्षेप में सिंहावलोकन किया जाय तो मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश की सबसे अग्रणी पोलिटिकल ओरगेनाइजेशन, इन्डियन नेशनल

[श्री गुलाबचंद कासलीवाल]

कांग्रेस ने इस ओर कार्य शुरू किया । उन्होंने पहले पहल इसी नीति के आधार पर देश का वर्गीकरण किया और इस देश को अलग अलग प्रान्तों में विभक्त किया । वे प्रान्त या प्रदेश यहां के पोलिटीकल प्रान्तों और प्रदेशों से मेल नहीं खाते थे उनकी सीमायें केवल भौगोलिक थी ।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

उसके बाद कुछ अरसे के बाद कांग्रेस को अपने प्रस्ताव में यह मानना पड़ा कि राज्यों का पुनर्गठन होना आवश्क है और भाषावार प्रान्त बनना जरूरी है । और यह प्रश्न जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली तब तक इसी रूप में स्थगित रहा लेकिन स्वतंत्रता मिलने बाद जब संविधान फोर्स में आया उस समय एक तरफ से फिर संक्षेप रूप से पुनर्गठन हुआ । उसके पहले भी कुछ सीमा तक राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसमें खास कर देशी राज्यों का विलोपन हुआ जैसा कि हमारे राज्य में हुआ और बहुत सारी देशी रियासतें मिलकर पहले कुछ छोटे छोटे अंग बने और फिर उन सब अंगों को मिलाकर इस राज्य की स्थापना हुई । यह कहा जासकता है कि इस पृष्टभूमि के साथ बार बार आज से कई दफा पहले भी राज्यों की सीमाओं का पुर्निर्माण हुआ । और मुझे तो आज ऐसा लगता है इस पुर्निर्माण का कोई अन्त नहीं, इस राज्य पुनर्गठन विधेयक में एक ऐसी मिसाल छोड़ दी गई है जिसके कारण यह निश्चित सा मानना पड़ेगा कि भविष्य में फिर एक बार पुनर्गठन होगा । उसी विचार से कमीशन ने एक युनीटरी सिस्टम ओफ गवर्नमेंट का प्रोवीजन किया है । इससे यह निश्चित है कि जो सीमाओं का पुर्निर्माण इस बिल से हो रहा है उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा पुनिर्माण खत्म हो चुका है भविष्य में नहीं होगा; यह तो मानना गलत है । यहां सीमाओं के पुन: निर्धारण का एक प्रश्न नहीं जिसको लेकर हम आज विचार कर रहे हैं इसके साथ साथ और भी बहुत से प्रश्न निहित कर दिये गये हैं जिनसे केवल हम यह नहीं कह सकते क्योंकि राजस्थान राज्य में अजमेर और आबू का विलीनीकरण हो रहा है और यहां से सिरोन्ज निकल रहा है और मध्यभारत का थोड़ासा हिस्सा इसमें मिल रहा है, इनसे हम सन्तुष्ट हों हम सन्तुष्ट अवश्य हैं केवल इस प्रश्न से सीमाओं का निर्धारण करके हमें छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें शामिल कर देना चाहिये या हमारे से अलग करके दूसरे राज्यों में शामिल कर देने चाहिये इस पर संतोष प्रकट कर सकते हैं । यद्यपि जैसा कि हमारी राजस्थान सरकार ने सीमा आयोग के सामने अपने व्यूज और सजेशन रखे थे उन पर अमल नहीं किया गया वे सब नितान्त आवश्यक थे ।

कोई मांग नहीं थी, कोई राज की तरफ से नहीं मांग रहा था । बल्कि सुझाव दे रहे थे कि उचित बात है, करना आवश्यक है । पर वह नहीं माना गया ।.कई कारण होंगे । पर सब मिला कर सन्तोष प्रकट कर सकते हैं । सीमाओं का निर्द्धारण उचित है ।

पर दूसरा प्रश्न बड़ा जटिल है । उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ समानता का वर्ताव फिर भी नहीं किया गया । संविधान में पहले ए. बी. सी. तीन तरह के राज्य कायम किये गये । एक तरफ यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संविधान के मातहत समानता हांसिल है, दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय को भी समानता हांसिल नहीं होगी ।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

बड़े बड़े राज्यों को पार्ट ए और दूसरों को पार्ट बी और सी कहा गया । पर कोई कारण नहीं था इस तरह से निर्धारण करने का । आज उस गलती शब्द तो मैं नहीं कहूंगा पर जो कमी थी उस पर पुनर्विचार करके यह कोशिश की गई कि पार्ट ए. बी. सी. स्टेटें नहीं रहें । पार्ट बी और पार्ट सी का नाम हटा दिया गया । पर वास्तव में पार्ट बी स्टेट आज भी कायम रक्खी गई हैं । जो ट्रान्जीशनल पीरियड दस पांच साल के लिये पार्ट बी की कैटेगरी में कुछ स्टेटों को रक्खा गया वह पीरियड आज खतम होने को आया वह चीज विधान से अपने आप ही हट जाती पर आज दूसरे रूप में पार्ट बी स्टेट रख दी गई है । उसे फिर भी दूसरे राज्यों से समानता नहीं दी गई । जिसका कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आया । जिस तरह से पैतृक सम्पत्ति के बटवारे में बडा भाई बलशाली होता है वह अपने बल के भरोसे कह देता है कि हम तुमको इतना देते हैं; तुम्हारी इच्छा हो तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ । ठीक उसी तरह हमें कहा गया कि तुम्हें ये अधिकार दिये जाते हैं, और ये नहीं दिये जाते । एक वक्त था कि यह बात थी हमारे संविधान में । पर आज भी जब कि हम बडे हो गये हैं, छोटे नहीं रह गये हैं बराबर के मान लिये गये हैं मान भी यह कहा जाता है कि राजस्थान में और कुछ दूसरी स्टेटों में लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं होगी । अगर यह अच्छी चीज है तो क्या कारण है वह हमें नहीं दी जाती और अगर अच्छी चीज नहीं है तो फिर क्या वजह है कि उसे कायम रक्खा जाता है ? रद्द क्यों नहीं करदी जाती ? यह असमानता का व्यवहार हमें बरदाश्त करना नहीं चाहिये और एक मत से कह देना चाहिये कि इस तरह की छोटे बड़े भाई की असमानता का व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ।

इसका विशेष कारण हमारे साथ इस प्रकार की असमानता का बर्ताव होने का यह है कि सेंटर में और सेन्टर की सर्विसेज में हमारी आवाज बहुत कमजोर है । आप देखें आज जितने आई. सी. एस. और आई. ए. एस. में लोग है सब पुरानी ए स्टेटों के भरे हैं । मुझे आप बता तो दीजिये कि कितने राजस्थानी आज सेन्ट्रल सर्विसेज में हैं, कितने आई. ए. एस. में हैं ! अगर हम डेढ़ करोड और ३३ करोड का मुकाबला करके इन सर्विसेज के रेशों में अपना हिस्सा देखें तो १।५०० वां हिस्सा भी हमारे हाथ में नहीं आता है । हमारी ताकत लोक सभा में भी नहीं है । यही कारण है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और पार्लियामेंट को आसानी से हमें यह कह देने का मौका मिल जाता है कि हम तुमको सिर्फ इतना टुकडा देते हैं, जैसे हम उस टुकडे की प्राप्ति के लिये भिक्षा का पात्र हाथ में लिये उनके सामने उपस्थित हों यह व्यवहार इस सीमा आयोग के बारे में ही नहीं और भी किसी भी बात में देख लिजिये हमें यही व्यवहार मिलता है । पंचवर्षीय योजना में चूंकि यह पिछड़ा राज्य है हमें अधिक हिस्सा मिलना चाहिये था पर प्लानिंग कमीशन ने इतना दे दिया बहुत है, काफी कृपा जैसे उसने करदी हो । हमें जो मिलता है उसी में हमें सन्तोष करना पडता है । पैसा मिलता है उसी तरह से जिस तरह से किसी भिक्षुक को टुकडा फैंक दिया गया हो । हम जबतक यह नहीं कह देंगे कि बड़े भइया तुम्हारी शक्ति अब चलने वाली नहीं है, हम भी अब जवान हो गये हैं, दो दो हाथ करने को तैयार हैं तब तक हम कमजोर के कमजोर पड़े रहेंगे ।

यह कौंसिल तो बहुत छोटी चीज है । हम समझते हैं कि उच्चतम न्यायालयों में तो यह भेदभाव नहीं होगा । यह असमानता वहां तो नहीं होगी । पर उच्चतम न्यायलयों में भी हमारे

[श्री गुलाबचंद कासलीवाल]

यहां तो वही भेदभाव बरता गया मानो यहां न्याय भी अलग तरह से दिया जावेगा और उन ए स्टेटों में अलग तरह से दिया जावेगा। इन न्याय के स्थानों में भी यह अन्याय हो रहा है। उन्होंने यह कहा कि हमारे यहा के मुख्य न्यायाधीशों और जजों के वेतनों में ए स्टेटों के न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और जजों से एक हजार कम मिलेगा। उन्हें हम से एक हजार अधिक मिलेगा। क्या कारण ? कारण बताया गया है इसी के इन्डीकेटर पार्ट १ सफा १७० में। वह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़े देता हूं :

"Taking into account the level of income at the bar and the salaries payable to the judicial services in these States, it is considered that there is no need to increase the salaries payable to the Judges of these High Courts to the level of the other High Courts." इसे पढ़कर बहुत ताज्जुब हुआ जिसमें ये दो कारण बताये गये। एक कारण है........"level of income at the bar" सरकार ने इसके लिये कई आंकड़े एकत्रित किये थे। और वे आंकड़े एकत्रित करने के, क्या जरिये थे और अगर वे एकत्रित किये थे तो आज से कुछ दिन पहले तक यानि दो वर्षों में ही इस राजस्थान की बार में से राजस्थान हाई कोर्ट के लिये दो जज नियुक्त किये गये हैं। एक तो हमारे सदन के एक सदस्य ही थे. श्री इन्द्रनाथ मोदी और दूसरे हैं श्री दौलतमल भंडारी जो एम. पी थे। अगर "level of income at the bar" यह कारण था कि सरकारी स्तर नहीं बढ़ावे तो इस तरह से........राकेट करने का क्या कारण हो सकता है। तो इस तरह से बहुत बातें ऐसी होती हैं जिन को रोकने के बहाने तो बहुत हैं। कुछ भी कह दिया जावे। अगर भेड़िया मेमने को यह कह दे कि तुम्हारे बाप ने पानी गन्दा किया था जो मन में उसके आवे वह कह सकता है। मेमने की क्या हस्ती है उसका विरोध करने की। इसका ड्राफ्ट बनाने वाले आदमी वे ही थे। अगर हमें कहा जाता तो हम और ही इसका ड्राफ्ट करते और लिखते।

दूसरा यह कहा गया है कि "Salaries payable to the judicial services in these States." यह दूसरी धांधली है। मध्य भारत, सौराष्ट्र, हैदराबाद, इन राज्यों में भी सेलेरीज कम थीं। इनमें भी सेलेरीज़ और लेवल आफ इन्कम एट दी बार राजस्थान से भिन्न हो, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, माननीय उपाध्यक्ष।

अब देखिये उसमें। उसका जरा सा दूसरा रूप में आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ। मध्य भारत की हाई कोर्ट के सब जजेज मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के जजेज़ हो जायेंगे। उनको इस तब्दील से आज जो सेलेरीज २५०० रुपये मिल रही है वह बड़ी आसानी से ३५०० रु० मिल जायगी। हैदराबाद के जजेज़ की सेलेरी इस तरह से उनके मर्जर से और कुछ हो जायगी। इसी तरह से सौराष्ट्र के जजेज़ की सेलरीज का कोई प्रश्न नहीं होगा। यह रुकावट लगा दी गई है जो कि पुराने तीन राज्य हैं, राजस्थान, मैसूर, और केरल के जजेज़ की सेलेरी पर। और यदि सेलेरी यहां की जुडीशियल सरविसेज़ की ठीक नहीं है तो यह बहुत उचित होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान सरकार पर

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

दबाव डालती कि आपके यहां के जजेज् की और जुडीशियल सरविसेज् की सेलेरीज् ठीक नहीं है आप दुरुस्त कीजिये। यह जरूरी है लेकिन इसके विपरीत यह कहें कि चूंकि यह सेलेरीज् एप्रूव्ड नहीं हैं इस वजह से हाईकोर्ट के जजेज् को ज्यादा सेलेरीज् देने को तैयार नहीं हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष, सेलेरीज् का जो किया जाता है वह उनकी योग्यता का प्रश्न है। मैं बहुत ही निर्भिकता से आपके सामने कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि प्रेरकाइज्ड स्टेन्डर्ड आफ क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं तो उनको जजेज् मुकर्रर न किया जाय, लेकिन अगर सेलेरीज् ही कोई दूसरे ही मायने रखती हैं तो उनको दिया जाता। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि दूसरा मायने रखने में सिवाय इसके कि भेदभाव रखना है और कोई दूसरा मायना नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ा उसूल, सिद्धांत, एकॉनामी का यह है कि समान कार्य के लिये समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य तो इसलिये माना जाय कि राजस्थान हाई कोर्ट और इन दो राज्यों के हाईकोर्टस के कार्य की समानता में यहां हमारे जितने प्रश्न हैं या प्रापर्टी के जितने झगड़े हैं वे बिल्कुल दूसरे हैं ऐसा मान लिया जाय, वे एक दूसरी श्रेणी के हैं बमुकाबले दूसरे राज्यों के, इस बात का प्रश्न उपस्थित होता है। यह कहा जा सकता है कि यह नीचे की श्रेणी के जजेज् काम कर सकेंगे। अनुभव की बात तो यह है कि इस कमीशन ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया के समक्ष कुछ विचार व्यक्त किये हैं। पैरेग्राफ ८६१ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया हैं कि हमारे देश की युनिटी कायम रखने के लिए हाई कोर्ट में भी एक सी समानता लाई जाय। उन्होंने सिफारिश की है उसमें से कुछ शब्द आपके सामने उपस्थित करता हूं:—

"In making appointments to a High Court Bench, professional standing and ability must obviously be the over-riding considerations.'

यही कंसीडिरेशन होना चाहिए और इन्हीं दो बातों को विचार में लेकर हाई कोर्टस के जजेज् की नियुक्ति हो सकती है।....

"...But the suggestion we have made will extend the field of choice and will have the advantage of regulating the staffing of the higher judiciary as far as possible on the same principles as in the case of the Civil Service.

"...we would also recommend that atleast one-third of the number of Judges in a High Court should consist of persons who are recruited from outside that State." एक तरफ तो सीमा आयोग ने यह कहा कि इतने जजेज़ इन राज्यों में एक दूसरे में अपनी सीमाओं के बाहर के लोगों में से लिया जाय ताकि हमारे इस देश में एकता उत्पन्न हो, एकता दृढ़ बने। वहां से जो वह लोग लिये जायेंगे वह लाजिमी तौर से वहां की लेवल आफ इनकम एट दी बार क्या है, उसको देख कर करेंगे। इसलिए

[श्री. गुलाबचन्द कासलीवाल]

वहां से आना वाला व्यक्ति उस स्टेन्डर्ड का नहीं मिल सकेगा जो कि यहां की हाई कोर्ट में काम करने के लिए मिल सकता है। इसलिए यह स्पष्ट होजाता है कि यह सिवाय इसके कि हमारे शक्तिशाली बड़े भाई का अन्याय कहा जायगा जो कि जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा इस सदन के नेता को निवेदन करूंगा कि हमारी आवाज सेन्ट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तक पूरी शक्ति के साथ पहुँचा दी जाय। हम इस तरह की अलग अलग की भावनाओं को, पारशिलियेटी को, बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं।

एक और प्रश्न जो दर असल में सीमा आयोग से सम्बन्ध नहीं रखता है, किन्तु इस पर विचार करते हुए अजमेर की असेम्बली ने खड़ा कर दिया है। वह है प्रश्न राजधानी का। वहां इस हद तक कहा गया है कि राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन के रूप में दे दिया है कि अजमेर को राजधानी बनाया जायगा। मुझे यह सुन कर बड़ी प्रश्न्नता हुई कि ऐसे गलत स्टेटमेंट का हमारे इस सदन के माननीय नेता ने निर्भीकता से खन्डन किया। मैं उनको इस बात के लिए उनकी सराहन किये बिना, उनको धन्यवाद दिये बिना, नहीं रह सकता किन्तु, आखिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया। राजधानी के प्रश्न को लेकर माननीय सरदार पटेल ने बहुत ही दूरदर्शिता से काम लिया था। जिस समय की राजस्थान राज्य का निर्माण होने लगा उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की और उस कमेटी को हिदायत करते समय यह भी स्पष्ट रूप में कर दिया कि राजस्थान जिसमें से चार मुख्य नगर हैं प्रस्तुत हुए हैं उनमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हैं। इन चारों नगरों में से कौन सा नगर राज्य की राजधानी बनने की स्थिति में हैं। इस बात की वह पूरी डिटेल्स, पूरी तफसील, से जांच करके यह सिफारिश करे। उस समय यदि अजमेर को इस विचार से छोड़ दिया गया होता कि अजमेर राजस्थान में शामिल नहीं है तो आज फिर यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता था कि अजमेर और जयपुर में से कौन सा स्थान उपयुक्त हो सकता है, इस पर फिर से विचार कर लिया जाय। किन्तु उस समय अजमेर और जयपुर और इसके साथ साथ जोधपुर और उदयपुर, इन चारों नगरों की क्षमता पर विचार किया गया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अजमेर के लिए कमेटी ने सिफारिश की अजमेर तो किसी तरह से राजधानी के योग्य हो ही नहीं सकता। इसके मुकाबले में तो उन्होंने कहा कि उदयपुर में पैसा खर्च करके उदयपुर को हम बढ़ा सकते हैं और वहां राजधानी बना सकते हैं। और वहां राजधानी बना सकते हैं। जयपुर और जोधपुर के मुकाबले में यही बेहतर समझा गया कि जयपुर किन्हीं कारणे से उपयुक्त स्थान है इसलिए जयपुर को राजधानी बनाना चाहिए। जो नगर चौथे नम्बर पर रखा जाकर भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया गया कि किसी तरह से वह राजधानी के उपयुक्त है ही नहीं। आज इस सीमा आयोग की, राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न को लेकर यह आज आवाज उठा दी जाती है कि अजमेर को राजधानी बनाया जाय। असल में तो मुझे यह लगती है छोटे मुंह बड़ी बात। दूसरा यह प्रतीत होता है कि लोकल लीडरी जाते समय, राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन बदलते समय एक चीप पापुलेरिटी हांसिल करने का एक

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

स्लोगन रख दिया कि यहां राजधानी बनायी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई विचार नहीं है जयपुर, जोधपुर और अजमेर के शहरों की तुलना यहां उपस्थित करूं लेकिन ये बातें हम सुनते चले आ रहे हैं, हम ही नहीं, बाहर से जो लोग यहां आते हैं हम अपनी नजर से क्या देखते हैं वे देखते हैं, वे तुलना करते हैं और कहते हैं कि जयपुर का क्या रूप है "जयपुर इज दी पेरिस ऑफ इंडिया" और भी क्या कहते हैं, "पिन्क सिटी ऑफ दी वर्ल्ड"। इन ६०० वर्षों में कोई भी नगर ऐसी सुन्दरता से निर्माण नहीं किया गया था जितना कि आधुनिक तरीके से जयपुर शहर का निर्माण हुआ था। अभी भी इतने टेस्ट ऑफ टाइम को बर्दाश्त करके मैं यह क्लीयर बता दूं कि यह राजधानी बनने के सर्वथा उपयुक्त है। राजधानी केवल वही नगर बन सकता है जो राज्य की प्रमुखता को लिये हो। प्रमुखता की बात भी स्पष्ट मालूम हो जाती है। जयपुर के लिए कितने ही राजधानी बनने के लिए कोटेशन्स मौजूद हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ यही कहूंगा कि आज इस सदन के कमरे में बैठे हैं, अजमेर में तो स्वप्न नहीं ले सकते कि वहां ऐसा कमरा उपलब्ध हो सके और अगर नया बनाया जाय तो आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो बन पायगा या नहीं बनेगा। दूसरा है सेक्रेटेरियेट। कितने हजार व्यक्ति उसमें काम करते हैं एक भी बिल्डिंग, अगर अजमेर की सारी ऑफिशियल बिल्डिंगस को एक में कर दिया जाय तो भी उसकी केपेसिटी इतनी नहीं है। विचार तो इस बात पर होता है कि वहां दो चार बंगले नहीं है जहां राज्य के मिनिस्टर रह सकें, वे भी किराया के बंगलो में रहते हैं। जब यह स्थिति होते हुए यह कहा जाय कि अजमेर को राजधानी बना दिया जाय तो यही कहें कि छोटे मुंह बड़ी बात है। इस बात को भी छोड़ दें एक मिनिट के लिये। लेकिन इस बात को तो नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि गत सात वर्षों में राज्य सरकार के जयपुर नगर में ऑफिस एकोमोडेशन और गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस के रहने के लिए, कितनी कितनी सुविधायें बनायी हैं और जो फेसीलिटीज़ उनको यहां प्राप्त हैं उनका तो एक सौ वां अंश ही अजमेर में विद्यमान है। पब्लिक को कनवीनियन्स है, सेन्ट्रल प्लेस है, अगर अजमेर से दिल्ली जाना होता है तो पहले जयपुर तक आना पड़ता है, जयपुर से हवाई जहाज से जा सकते हैं, और जयपुर तक तो मोटर में आना पड़ता है। यही प्रश्न नहीं है। कुछ लोगों ने कहा तो मुझे बड़ा खेद हुआ और इस समय भी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने भी यह कह दिया कि अजमेर राजधानी होनी चाहिए। मैं आशा नहीं करता था कि वे इस चीप पापुलेरिटी को हांसिल करने में पड़ जावेंगे। परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए तो क्या कहूं, वे तो अजमेर के पड़ौस में रहते हैं अजमेर से सम्पर्क रहता है, यह कह देना कि अजमेर राजधानी होनी चाहिए, वह तो एक क्षेत्रीय भावना को लेकर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दो बातों के साथ साथ एक आध ऐसी बात पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विधेयक में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सही नहीं है, मैं इस बिल की दफा ६० की तरफ आपकी तवज्जह दिलाऊंगा। इस दफा के जरिये से, इस धारा के जरिये, से यह कहा गया है कि जो केसेज़ हैं, मुकदमें है, बम्बई हाईकोर्ट में इस हिस्से

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

के लिए पड़े हुए हों, जो राजस्थान में शामिल होने जा रहे हैं वे राजस्थान की हाईकोर्ट के सामने भेज दिये जावेंगे और जो मुकदमे अजमेर ज्युडिशियल कमीश्नरी के सामने हैं वे भी राजस्थान हाईकोर्ट के पास भेज दिये जावेंगे। यह तो प्रोविजन कर दिया लेकिन, उन मामलों का क्या होगा जो हमारे राज्य के एक हिस्से सिरोंज के हैं, जो कि वाजिब तौर पर मध्य प्रदेश में भेजे जावेंगे, वे राजस्थान के राजकीय अदालतों में ही रखे जावेंगे या मध्य प्रदेश में भेज दिये जावेंगे, इसके लिए इस विधेयक में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री चन्दनमल वैद—क्लॉज ५७ देखिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मैं तो दफा ६० के सब क्लॉज (२) का इतना मतलब समझा हूँ माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूँ इस समझ की कमी के लिये। इसमें तो केवल इतना ही उल्लेख है कि ऐसे मामले जो बम्बई हाईकोर्ट में पेन्डिंग होंगे वे राजस्थान हाईकोर्ट में भेज दिये जावेंगे और राजस्थान के उस हिस्सेन्मुक्त उपस्थित सिरोंज सम्बन्धी मामलों को दूसरे किसी स्थान पर स्थानान्तरितकर दिया ऐसा प्रोविजन इसमें मुझे नहीं मिला है। मेरा अभिप्राय यह था इस बारे में कि माननीय सदस्य कोई बतावेंगे।

श्री चन्दनमल वैद—यह प्रोविजन उसमें है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम हो जायगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मुझे खेद है कि मैं समझ नहीं सका। आप समझाने की कोशिश करेंगें।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो इसमें एक और छोटी सी है उसको मैं दफा ६३ में पढ़ कर सुना देता हूँ :

"Any person who immediately before the appointed day is an advocate entitled to practise, or an attorney entitled to act, in the High Court for an existing State and was authorise to appear or to act in any proceedings transferred from that High Court to any other High Court under any of the foregoing provisions of this Part shall have the right to appear or to act, as the case may be, in the other High Court in relation to those proceedings."

[श्री लालसिंह शक्तावत]

मैं नहीं समझा कि अजमेर राज्य के वकील लोग जो आज ज्युडिशियल प्रेक्टीशनर्स के तौर पर प्रेक्टिस करते हैं वे राजस्थान हाईकोर्ट के सामने इस दफा ६३ के जरिये से किस तरह से प्रेक्टिस कर सकेंगें। अजमेर में तो कोई हाईकोर्ट नहीं थी केवल ज्युडिशियल कमिश्नर कोर्ट है। मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस दफा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ज्युडिशियल केसेज में नये राज्य के बन जाने पर प्रेक्टिस कर सकेंगे। ये दो छोटी छोटी बातें मेरी निगाह में आई वे मैंने आपके सामने उपस्थित कीं। मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार किया जाकर इन्हें स्वीकार किया जायगा।

श्री श्रीभान सिंह— Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the resolution put forward by the Chief Minister only to the extent of reorganization of Rajasthan as bilingual State is concerned. Rajasthan uptil today without Ajmer and Abu was incomplete because these two areas are its historical, cultural and spiritual backbone, but by supporting the resolution on Rajasthan's reorganization I must make it clear that I ought not to be mistaken as a strong supporter and an advocate of the theory of one State, one language or as a supporter for the immediate implementation of this Bill. Mr. Deputy Speaker, Sir, the problem of formation of linguistic State is a problem that has to be viewed with reference to several factors, the most important of which is the unity and strength of the nation. The scheme of reorganization which undermines this unity must be shelved. Secondly, every step must be directed towards economic progress and development of the country. There may be a case and the country might be psychologically and sentimentally prepared for the reorganization of States on linguistic basis but, Sir, economically and intellectually it is not prepared. Therefore, I suggest the postponement of this Bill because this Bill seeks a cure without diagnosing the disease.

Mr. Deputy Speaker. Sir, there is some justification in the demand for rationalization of units and States by removing the constitutional classifications of the Units but to equate the demand for rationalization with the formation of linguistic State is, I may call, an logical absurdity. Not only this, if the meaning of the two terms was same then I would call this thought as baseless because in a country where poverty, illiteracy and ignorance abounds, first things must come first. We must give priority to them. Not only this, Sir, while the demand for rationalization is a very old demand, the demand for linguistic States has its origin in the later half of the nineteenth century when the country witnessed a phenomenal rise of regional languages with the result that several commissions were appointed

[श्री श्रीमान सिंह]

to go into the matter of rationalization of States and those commissions while commended the principle of rationalization, warned the country against the formation of linguistic States. They put forward a principle that formation of linguistic States should follow rather than to precede but unfortunately this warning went unheeded and a blunder was made in the beginning of 1953 with the formation of Andhra. It is here the result of this error of judgment where we placed the cart before the horse that this Bill has come.

I need not draw the attention of this House to the incidents of 1952 and 1953 that led to the formation of Andhra but will show to the House the recent incidents in the country where violence and terrorism was let loose by one language group upon the other. I will not take this House as to how far these activities are conducive to the unity and strength of the nation. Not only this the House is well aware that the unification of the country is a recent achievement. It was with the departure of the alien ruler and the integration of the princely States that the Indian Union was formed. In the words of the Commission this unity is of recent origin and it has not only to be watered and nourished but has to be protected against hale-storms, gales and bad climate. Similarly our nationalism has yet to develop and become strong in order to survive those narrower logathies.

Now I would draw the attention of this House as to how far this Bill will be implemented. You can go ahead and implement this Bill but you must at the same time forget the bitter fights for liberty, the heroic achievement and the sacrifices of the younger people that made this country a free nation.

We are about to implement the second Plan for which you will have to muster all human, money and material resources. And, Sir, we are a poor country. We do not have enough money to finance it. The amount of human and material dislocation that the implementation of this Bill will bring about will be wasteful and unproductive which otherwise could be incurred in long term development activities. No country can possibly undertake on the one hand to stabilize the administrative machinery and maintain a tempo of economic progress.

While I speak, this House is quite aware that on the international front the war drums of Pakistan are active oe the Kashmir side. This Bill goes at the very root of unity and strength, our economic stability and culture. In the end I cannot help but congratulate the sponsors of

Page No 54

[श्री श्रीमान सिंह]

the Bengal Bihar mergor. This move is in the right direction. To day the needs and requirements of complex human modern life need bigger resources, bigger money and men and these bigger units are the only units that can cater to the repuirements. The move towards bigger units may be delayed but it cannot be reversed and the Zonal Councils are a sufficient indicator towards this direction. Therefore, I am one, who would like to advocate for the formation of a Paschim Pradesh. Not only this, Sir, today with our intellectual advancement in the modern times to think of the virtues oi a linguistic State is a primitive idea. We must draw lessons from Switzerland and bring about a system where different language and cultural groups can live and develop with in the ambit of bi-or multi-lingual States. There may be difficulties of organization and administrations but they are not in-surmountable and the advantages of bigger units far outweigh the de-merits in the sphere of natural strength and prosperity of the country.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पर काफी चर्चा हुई इस सदन में और बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है देश के सामने। देश में काफी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की रही है जो यह सोचते रहे हैं कि इस स्टेज पर संभवत: इस प्रश्न को न उठाया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं भी इस समय ऐसा सोचने वाले लोगों में से हूँ। पर अब इस विषय पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। देश के कर्णधारों ने यह आवश्यक समझा कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाय, देश की एकता की दृष्टि से, देश की उन्नति की दृष्टि से, शासन को अधिक सुगम और व्यवस्थित करने की दृष्टि से और बहुत उच्च श्रेणी के लोगों ने इस काम को हाथ में लिया और पूर्ण निष्पक्षता, दक्षता के साथ और साहस के साथ उन्होंने अपना निर्णय दिया।

देश के भिन्न भिन्न भागों में इसकी प्रतिक्रियाएं हुई, दुर्भाग्यवश कई जगह अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं हुई लेकिन उस सीढ़ी से, उस अवस्था से भी हम आगे बढ़े हैं और आज एक निर्णायक स्थिति में आ पहुँचे हैं कि देश में बड़े बड़े राज्य हों, खुशी के साथ संकेत किया जाता है जोनल कॉन्फ्रेन्सेज की ओर, अथवा इतने बड़े राज्य न हों इस विषय पर भी एक राय नहीं हैं। यह कहने को भी कारण है कि बड़े बड़े राज्य हों और देश की उन्नति में ज्यादा सहायक हों। ऐसी आशंकाएं करने के भी आधार हैं कि इतने बड़े बड़े राज्यों का होना संभवत: जिस उद्देश्य को लेकर समर्थन किया जाता है वह उस उद्देश्य, एकता के उद्देश्य के खिलाफ भी पड़ सकता है। बहरहाल यह प्रश्न भी सामने है नहीं इसलिये इस पर भी बातचीत वाद-विवाद का अवसर नहीं रह जाता। इस समय जो विधेयक सामने आया है वह कुल मिला कर संतोष की चीज है और जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, मैं यह मानता हूँ कि राजस्थान की दृष्टिसे इसको सर्वथा संतोषपूर्ण ही आम तौर से माना जाना चाहिये। यह ठीक है कि एक दो बातें ऐसीं हैं जिनके बार में

[श्री टीकाराम पालीवाल]

हमें कहना है और कहना भी चाहिए पर कुल मिला कर राजस्थान के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की और विधेयक के रूप में प्रस्ताव रखा है वह राजस्थान की दृष्टि से पूर्ण रूप से संतोषजनक मानना चाहिये। संतोषप्रद है तो मुझे कोई नाराजी का कारण दिखता नहीं।

जो क्षेत्र राजस्थान से बाहर थे और जिनको न्यायपूर्वक हम राजस्थान में मिलाना चाह सकते थे वे राजस्थान को दे दिये गये। एक दो क्षेत्र जो राजस्थान से बाहर गये हैं उनके विषय में दो राय नहीं कि न्याय की दृष्टि से, शासन में सुगमता की दृष्टि से वे उधर जाने चाहिए। ऐसी सूरत में हम बधाई देना चाहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग को और भारत सरकार को जिन्होंने यह कानून बनाने का प्रयास किया।

जिन बातों की मैं चर्चा करना चाहता था, सर्वथा आम तौर से संतोषप्रद होते हुए भी एक दो बातें भिन्न तरीके से होतीं तो ज्यादा अच्छा होता, वह है, हाई कोर्ट के जजेज की सेलेरी के बारे में। कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक नहीं सुधर जाती, जो राज्य कर्मचारियों का वेतन है वह भी ज्यादा ही आम तौर से कम रखा जाता तो अच्छा होता। पर केवल एक दिशा में ही वेतन की भिन्नता के बारे में सोचा और वह जुडिशियरी के बारे में। मेरी यह मान्यता है कि जुडिशियरी के वेतन स्तर को जितना ऊंचा करना आवश्यक है उतना दूसरे विभाग का नहीं है। हमारे दूसरे विभागों के कर्मचारियों को जितना ज्यादा वेतन दिया जा सकता है उनसे भी ज्यादा अगर किसी को दिया जा सकता है तो जुडिशियरी को दिया जाना चाहिए क्योंकि ऊंची से ऊंची प्रतिभा के, प्रामाणिकता के, इन्टेग्रिटी के लोग वहां होने चाहिये और इसके लिये अगर हमारी शक्ति, सामर्थ्य से भी अधिक देना पड़े तो देना चाहिये। इस दृष्टि से इस सदन में विचार प्रकट किये गये हैं कि हमारे यहां के हाई कोर्ट्स के जजेज का वेतन भी उसी स्तर पर रखना चाहिए था जैसा कि दूसरी जगहों पर हाई कोर्ट्स के जजेज का रखा है। मैं इससे पूर्ण सहमत हूं और मैं यह भी रखना चाहता हूं कि वेतन में जो यह भिन्नता रखी है वह नहीं रखी जानी चाहिये, हालांकि मैं यह नहीं देखता जैसा कि सदन में माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया। मैं ऐसा नहीं देखता कि वेतन में भिन्नता रखनेवालों की दृष्टि में राजस्थान के जजेज की कम हैसियत रही हो, ऐसी चीज मुझे नहीं दिखती। जहां उन्होंने कारण दिये हैं कम वेतन रखने के, उन्होंने काम की जिम्मेदारी या योग्यता की कमी के कारण नहीं रखे हैं। शब्द साफ तौर से ये हैं: "Taking into account the level of income at the bar and salaries payable to the judicial services in these States, it is considered that there is no need to increase the salaries payable to the Judges of these High Courts to the level of the other High Courts."

तो कम वेतन रखने में विचार रखा गया है वह यह नहीं कि हमारे हाई कोर्ट्स या दूसरे दो तीन हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेज की योग्यता कम है। कम तनख्वाह रखने का कारण आर्थिक अवस्था और जुडिशियरी की इस समय की तनख्वाहें हैं उनको निगाह में रखते हुए तनख्वाहें कम

[श्री टीकाराम पालीवाल]

रखीं हैं। इसके माने यह नहीं होते कि हमारे दिमाग में यह चीज बैठी रहे कि हमारे यहां के हाई कोर्ट्स के जजेज को इन्फीरियर माना है। फिर भी मैं यह चाहता हूँ कि दूसरे हाई कोर्ट्स के जजेज के मुकाबिले में हमारे यहां के जजेज के भी वेतन रखे जाने चाहियें। एक बात और कही गई और मेरे एक साथी ने कुछ ग्रीवेन्स के साथ कहा और कहा कि दूसरी जगह कौंसिल ऑफ स्टेट है, मगर हमारे यहां ऐसा नहीं किया गया। हमारे यहां राजस्थान में कौंसिल ऑफ स्टेट नहीं बनाकर दुर्व्यवहार किया गया। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा खयाल है कि आम तौर से प्रजातन्त्र की प्रणाली को अधिक सफल बनाने के लिये यह तरीका ठीक है। आम तौर से यह विचार रहा है कि बाई केमरल लेजिस्लेचर से युनिकेमरल लेजिस्लेचर ज्यादा अच्छा माना गया है। अगर इस दृष्टि से बाई केमरल लेजिस्लेचर नहीं बनाया गया तो मैं उसके लिये भी धन्यवाद का कारण अवश्य मान सकता हूँ। मैं समझता हूं कि हमको इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिये। हमें नाराज नहीं होना चाहिये कि दूसरी जगह बाई केमरल लेजिस्लेचर हैं और हमारे यहां पर नहीं। यह होने वाला नहीं है। इस दृष्टि से हमें मानना चाहिये। यही दो-तीन बातें थीं जिन पर मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता था।

इसके अलावा यहां पर केपिटल को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं और इस पर काफी आग्रह किया और नाराज हुए। मैं इसको बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं मानता। राजधानी कहीं भी हो, जहां शासन व्यवस्था ठीक तरह से हो सकती हो और लोगों को अधिक सुविधा हो, इसमें कोई आग और नाराजगी की बात नहीं है। अगर यह देखा जावे कि अजमेर में शासन की ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं तो कोई कारण नहीं कि अजमेर को राजधानी क्यों नहीं बनाया जावे, जरूर बनाया जाना चाहिये; लेकिन अगर हम व्यवहारिक आदमी की तरह से देखें और सुविधाओं का ध्यान रखें तो कह सकते हैं कि फलां स्थान राजधानी के लिए उपयुक्त है। केवल नारों से काम नहीं चलेगा और न कोई पक्षपात की बात है। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि जो जो बातें किसी प्रान्त की राजधानी होने के लिये आवश्यक होनी चाहिये वह दुर्भाग्य से अजमेर में है नहीं। जो जो सुविधाएं वहां पर नहीं हैं उनको हम अगर अब बनाने लगें तो मैं यह कहूँगा कि धन का बहुत बड़ा अपव्यय हो जावेगा।

मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को आज नये सिरे से उठाने की कोई जरूरत नहीं। यह प्रश्न तो पहले पहल जब राजस्थान बना उस समय तय हो चुका था और इस पर गंभीरता से विचार किया गया था और एक कमेटी बनी, उसके द्वारा जांच हुई। उसने सब चीजों को देखकर और सब सहूलियतों को देखने के बाद जयपुर ही राजस्थान की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान समझा गया। राजधानी की स्थिति के हिसाब से एक्सपेन्शन के हिसाब से, यातायात के हिसाब से, पानी आदि के हिसाब से यह जयपुर ही राजस्थान की राजधानी के लिए उपयुक्त समझा गया, इन सब दृष्टिसे अजमेर उपयुक्त स्थान नहीं समझा गया था। नये प्रांत मिलने के बाद इस पर गंभीरता से विचार किया जावेगा। अगर कोई शासनकी सुविधाकी संभावना हो तो विचार किया भी जा सकता है। इसमें चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसके अलावा एक बात जो कही गई और मैंने सुना है वह यह कि जयपुर की विधान सभा में ऐसी चर्चा हुई बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कोई वायदा अजमेर के साथ किया कि अजमेर राजस्थान में मिलेगा तो अजमेर को राजधानी बना दिया जावेगा। जहां तक मैंने सदन के नेता को सुना है, उन्होंने इस बात से साफ इन्कार किया है। जब तक मैं चीफ मिनिस्टर रहा, मैं कह सकता हूं कि मैंने कोई इस प्रकार का सौदा नहीं किया या वायदा नहीं किया। इसलिए यह कोई प्रश्न सौदे या वायदे का रह नहीं जाता। मुझे याद पड़ता है कि जब अजमेर की विधान सभा का उद्घाटन हुआ था उस समय मैं भी वहां गया था। काटजू साहब भी वहां पर थे। उस समय इस विषय पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि अजमेर को राजधानी बना दिया जाए, इस पर आप तैयार हैं क्या? यह बात उन्होंने हंसी में कही थी। मैंने भी उस समय हंसी में कहा, माफ कीजिये, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं यह कह सकता हूँ कि इस तरह की कोई बात या चीज हुई हो मुझे याद नहीं। न तो इस प्रकार का वायदा और सौदा करने की कोई स्थिति थी और न कर सकते थे। आगे के विचार के लिए कोई आधार हो सकता है। आज भी हो सकता है। यदि यह देखा जावे की शासन की दृष्टि से अजमेर राजधानी ज्यादा अच्छी रहेगी और उसके लिए जो व्यय होना चाहिए वह जस्टीफाइ होगा और अपव्यय नहीं होगा, व्यय किया जावेगा। मगर किसी भी साधारण तौर से, विचार से देखा जावे तो यह आगे की चीज होगी। इसलिए इसका कोई महत्व मालूम नहीं पड़ता।

अन्त में मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा न कह कर, ज्यादा मुझे बोलना नहीं था और न मेरा विचार इस पर कोई बोलने का था लेकिन कुछ बातें ऐसी आई जिससे कि मुझे बोलना पड़ा। मैं समझता हूं कि राजधानी के सम्बन्ध में तो हमें भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही न्यायपूर्ण दृष्टि से जयपुर को केपिटल रखा है।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अब राजधानी का प्रश्न क्यों राइज किया जावे। एस० आर० सी० रिपोर्ट आई है उसमें जैसा कि माननीय पालीवालजी ने कहा कि उसमें राजधानी का प्रश्न नहीं है। मेरी भी यही मान्यता है कि इस प्रकार का प्रश्न क्यों उठाया जाता है? मैं यह कहूंगा कि माननीय चीफ मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इतनी ही बातें अगर इसमें होतीं तो शायद इतने लोगों को इस पर बोलने की जरूरत नहीं थी। इसमें और भी कई बातें हैं जिन पर कहना मैं जरूरी समझता हूँ।

भाषावार प्रांत के सिलसिले में हमारे विरोधी दल के नेता ने और दूसरे लोगों ने काफी चर्चा की। उन्होंने कहा उनकी ऐसी मान्यता है कि कांग्रेस ने १९२० में यह प्रस्ताव पास किया था कि भाषावार प्रान्त का निर्माण हो। आज कांग्रेस पॉवर में आई है मगर वह इसको कार्यान्वित नहीं

[श्री चन्दनमल वैद]

कर रही है । मैं यह कहूँगा कि १९२० को गुजरे आज २५ वर्ष हो गये, २५ वर्ष पूर्व किये गए वायदों पर अगर इधर उधर की बातें हो जाने के बावजूद भी कायम रहना मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी की बात नहीं होगी । मैं समझता हूँ कि किसी समय कांग्रेस सरकार ने यह भी प्रस्ताव पास किया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, उस पर कायम रहते तो आज यह स्थिति नहीं देख पाते ।

श्री वेदपाल त्यागी—१९४५ में कांग्रेस इस पर कायम रही थी ।

श्री चन्दनमल वैद—उस समय आजादी का विधान नहीं बनाया गया था । इसलिए पुरानीबातों पर कायम रहना ठीक नहीं होगा । आपने पुरानी बातों की चर्चा करके भाषावार प्रांत का जिक्र किया, और कहा कि सरकार को अब कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए । मगर मैं यह कहूँगा कि अगर हम अपना पैर पीछे नहीं हटाते हैं, यह जानते हुए भी कि यह गल्त कदम है तो गल्ती होगी । मैं भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य की राय से सहमत हूँ कि हम अपने वायदों पर डटे रहें । लेकिन यदि हम यह समझें कि हमारा कदम किसी गल्त चीज पर पड़ गया है तो हमें उस कदम को फौरन पीछे हटाना चाहिये । भाषावार प्रांत का कदम गल्त उठाया गया था और उसको हटाने में किसी तरह से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिये ऑर्डिनरिली मेरा यह मानना है और नम्र निवेदन है कि आन्ध्र का निर्माण भाषावार प्रांत के आधार पर हुआ, यह हमारी कमजोरी थी । हम दबाव के कारण से या आन्दोलन के कारण से दब गये और इस वजह से आंध्र का निर्माण हुआ । मेरा यह भी मानना है कि एस० आर० सी० कमेटी बनी, वह भी हमारा एक तरह का गल्त कदम था और उसके बाद उसने रिपोर्ट पेश की और उसके किये को नहीं मानना भी गल्त है । यह कमेटी हमारे देश के माने हुये व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई थी और इस पर लाखों रुपया खर्च करके उन्होंने गवाहियें लेकर जगह जगह घूम कर अपनी रिपोर्ट पेश की और वह रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से पेश हुई । उसकी रिपोर्ट होने के बाद भी इस रिऑरगेनाइजेशन के प्रश्न को री-ओपेन करना चाहते हैं, यह भी गल्ती हुई है । इसके बाद बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दूसरे देशों में जो वारदातें हुईं, उपद्रव हुए उनसे हमने मान लिया कि भाषावार प्रांत का फौर्मुला जो अपनाया गया था वह गल्त था और देश के लिये घातक था ।

यह हम चौथी गलती कर रहे हैं जो हम भाषावार प्रान्तों की रचना के पक्ष में कदम उठा रहे हैं । तीन गलतियें करने के बाद भी हमें चौथी गलती नहीं करनी चाहिये, केवल भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना नहीं करनी चाहिये इसके अलावा दूसरा आधार भी प्रान्त निर्माण का होना चाहिये । वह आधार यह होना चाहिये कि किस हिस्से के साथ जुड़ने से इसका डेवलपमेंट ज्यादा हो सकता है । आज जिस प्रकार बंगाल और बिहार के विलय का प्रस्ताव हमारे देश के सामने हैं, जिस प्रकार बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने जो देश को प्रेरणा दी उसका सारे देश को अनुकरण करना चाहिये । जिस प्रकार बंगाल और बिहार के मुख्य मंत्रियों ने मिलकर जिस प्रकार बंगाल और बिहार के विलय का प्रस्ताव रखा देश के सामने उसी तरह का प्रस्ताव हमारे मुख्य मंत्री और अन्य साथी प्रान्तों के मुख्य मंत्री मिल कर रखते तो मैं समझता हूं हम भी देश के सामने

[श्री चन्दनमल वैद]

अच्छी मिसाल रखते । राजस्थान के सिलसिले में एक प्रस्ताव आया था राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर पश्चिमी प्रदेश का निर्माण किया जाय । इसके बारे में अखबारों में सुना था कि इस संबंध में वार्ता करने के लिये बम्बई के मुख्य मंत्री भी यहां पधारे थे । मुझे नहीं मालूम उस योजना में कहां पंक्चर हो गया, उस समय क्या क्या वार्ता हुई अगर उसके संबंध में कुछ जानकारी मिलती और वह हो जाता तो हमारे लिये एक बहुत ही उन्नति का मार्ग खुल जाता । जहां महाराष्ट्र के मराठा और राजस्थान के वीर राजपूत एक तरफ मिलते वहां दूसरी और राजस्थान के मारवाड़ी और गुजरात के गुजराती जो आज कुशाग्रबुद्धि के लिये और व्यापार के लिये हिन्दुस्तान में प्रख्यात हैं, इन सब के मिलने के बाद जो प्रान्त बनता निश्चय ही उसका अन्य प्रान्तों के मुकाबले नंबर वन ए होता और प्रगतिशील प्रान्त बनता । यह क्यों नहीं हुआ, यह मैं कह नहीं सकता । एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जोनल कोन्सिल्स जो बनाई गई हैं वह इसी का रूप हैं । मैं ऐसा मानता हूँ कि आज नहीं तो आगे चलकर इस पर अवश्य विचार किया जायगा । यह एक ऐसी चीज होगी जिससे हमारे देश में जो कई तरह के जहर फैले हुए हैं वे भी मिट सकेंगे, क्षेत्रीय भावना, जातीयता का जहर, जो पहले से हैं अब यह नया भाषा का जहर है । यह तीसरा है । इसका नतीजा हम देख चुके बम्बई में, उड़ीसा में, कलकत्ते में, जो भी उपद्रव हुए वह इसी भाषायी प्रान्त की रचना के कारण हुए । महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी इस प्रकार के जहर का असर है । देश इन जहरों से बाज आये जब कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गड़बड़ी हो रही है, पाकिस्तान अमेरीकी सैनिक सहायता लेकर हिन्दुस्तान पर हमला करने की सोच रहा है; ऐसी जब हमारे देश में हालत है तो हमें इन जहरों से बाज आना चाहिये । आज हमें चाहिये यह कि महाराष्ट्र के मराठे और राजस्थान के राजपूत दोनों मिलकर यदि एक प्रान्त बनाते हैं तो इससे हमारे पश्चिमी सरहद की रक्षा हो सकती है और इस तरह से हम अपने पश्चिमी सरहद को मजबूत बना सकते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के उस आश्वासन का स्वागत करता हूँ जो उन्होंने परसों बीकानेर में एक भाषण में दिया, वह हमने अखबारों में पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी पुरानी परम्पराओं के अनुसार सीमा की पूरी रक्षा करेगा, अपने रक्त की अन्तिम बून्द तक सीमा की रक्षा करेगा । उन्होंने यह आश्वासन उस मौके पर दिया और भारत के गृहमंत्री के सम्मुख दिया । लेकिन मेरे दिल में एक शंका पैदा होती है कि आखिरकार हम रक्षा किस प्रकार कर सकेंगे ? केवल ! सुखाडियाजी या चन्दनमल वैद तो नहीं कर सकेगा । हम तो केवल कलम का काम कर सकते हैं, तलवार का काम तो जिन्होंने तलवार चलाई वे ही कर सकते हैं, जिनके उपर शुरू से देश की रक्षा का भार रहा है उन्हें तो हम आज नाराज करके बैठे हैं, उनको आज उनके घरों से महरूम किया जा रहा है, खेतों से महरूम किया जा रहा है । देश के सामने जब ऐसी समस्या है तो यदि हम इन लोगों को खुश नहीं कर सके तो यह हमारे देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । मुख्य मंत्रीजी को चाहिये कि आज जो यह समस्या राजस्थान में फैली हुई है उसको समझदारी और मानवता से सुलझाने की कोशिश करें ।

[श्री चन्दनमल वैद]

इसके बाद एक और निवेदन करना चाहता हूं कि एस. आर. सी. में इस बात का जिक्र नहीं है लेकिन अजमेर विधान सभा में भी इस बात की चर्चा हुई कि अजमेर को राजधानी रखा जाय। यहां पर भी कइयों ने कहा कि अजमेर रखा जाय और कइयों ने जयपुर को राजधानी रखने को कहा। हमारे विरोधी दल के नेता ने भी अजमेर को राजधानी बनाने का जिक्र किया, उन्होंने सोचा कि मैं तो अब जा रहा हूँ; अजमेर और जयपुर को लड़ाता चलूं और मैं पार्लियामेंट में बैठ कर उसको देखा करूं।

श्री वेदपाल त्यागी—आप इनकी नीयत पर हमला मत करिये।

श्री चन्दन मल बैद—(जारी रखते हुए) मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी जो मजाक की प्रवृति है उसका उल्लेख कर रहा हूँ। इनके अलावा मेरे सामने बैठने वाले किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा कि अजमेर राजधानी होनी चाहिए, उसमें कुछ तथ्य है। अजमेर उनके नजदीक है उनके ख्याल से अजमेर राजधानी के लिए बुरा नहीं। लेकिन मेरा यह विचार है कि राजस्थान के बनने के छः सात साल बाद यह सोचना कि जयपुर से हटा कर अजमेर राजधानी बनादी जाय तो हरेक आदमी को यह कहना पड़ेगा आज की जो स्थिति बदली हुई है उसमें अजमेर को राजधानी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अजमेर विधान सभा में अजमेर के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान के साथ मिलने से सतारूढ़ दल में जो कटुता है उसको हम कम करेंगे, इस बात की हमें बड़ी खुशी होगी। अजमेर हमारे साथ मिल जाय और अजमेर के मिलने के बाद हरिभाऊ उपाध्यायजी के मिलने से हमारे आपस में यदि कुछ कटुता है उसमें कमी हो तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई बात हो तो उसके विषय में मुझे जोर्ज बर्नार्ड शा की एक स्मृति याद आ गई। जोर्ज बर्नार्ड शा एक दफा किसी भोज में सम्मिलित हुए। उनके पास ही में एक रमणी बैठी हुई थी। उसने शा से कहा क्या ही अच्छा हो कि आपके सहवास से मुझे सन्तान की प्राप्ति हो जिसमें दिमाग आपका हो और सुन्दरता मेरी हो। इस पर शॉ ने मुस्कराते हुए कहा, श्रीमती जी अगर उसमें ऐसा हुआ कि दिमाग आपका मिले और कुरूपता मेरी मिल जाय तो क्या आपको खुशी होगी। इसी प्रकार बड़ा अच्छा हो कि अजमेर के भाइयों के आने के बाद यहां कुछ भी कटुता हो तो उसमें कमी हो, लेकिन अगर इससे उल्टा हुआ, अगर अजमेर मिलने से कटुता बढ़ी तो वह बहुत बुरा होगा। इस वास्ते हम अजमेर के मुख्य मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करेंगे कि अगर आप सौहार्द्र और भ्रातृभाव की भावना लाना चाहते हैं तो वह लेकर आइये और कटुता के जो भाव हों वह अजमेर में ही छोड़कर आवें, तो यह हमारे राजस्थान प्रान्त के लिये बड़ा हितकर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर और अजमेर राजधानी के सिलसिले में जिक्र कर रहा हूँ। जयपुर में इन ५-६ सालों में करोड़ों रूपया राजस्थान सरकार का खर्च हुआ है; इमारतें, हाईकोर्ट, माननीय सदस्यों के लिए निवास गृह और क्लर्क व आफिसर्स लिये बंगलोज का निर्माण हुआ है।

रावत श्री शम्भूसिंह:—कुछ माननीय सदस्यों ने खुद ने भी तो बनाये हैं।

श्री चन्दनमल बैद:—(जारी रखते हुए) बहुत से लोगों ने खुद ने भी अपने मकान बनाये हैं उसका फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं, वे अपने आप शान्ति कर लेंगे ऐसा मैं समझता हूं। अजमेर में पानी की कमी है और बिल्डिंगों की भी कमी है। इन सब कमियों को पूरा करने के लिए हमको करोड़ों रुपयों का अपव्यय करना पड़ेगा जो सब सुविधा जयपुर में प्राप्त हैं, उससे वंचित रह कर अजमेर को राजधानी बनाने पर इन्हीं कार्यों के लिये करोड़ों रुपयों का खर्चा करना पड़ेगा। आज जब दूसरी पंच वर्षीय योजना में हमें करोड़ों रूपया खर्च करना है, अगर हम इस तरह से जयपुर से राजधानी हटाकर अजमेर कर देते हैं तो यह मोहम्मद तुगलक का अनुकरण करना होगा। ऐसी स्थिति अभी तो नहीं है कि अजमेर को राजधानी रखो जाय। हो सकता है किसी समय यह स्थिति हो सकती है कि अजमेर राजधानी रहकर राजस्थान का शासन अच्छी तरह से चलाया जा सके। अगर आज की स्थिति में ऐसा किया जाता है तो मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में मोहम्मद तुगलक का कार्य होगा।

इसके अलावा मुझे एक बात का और जिक्र करना है, वह है लोहारू के बारे में। मैं इस बात को मानता हूँ कि देश का एक हिस्सा चाहे इधर रहे या उधर जाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आज जो यूनिट बन रहे हैं वे बड़े बनते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति तो मुझे इस बात की है कि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल में एक बात लिखी गई है वह कहां तक सच है।

"This is because there is now general agreement that the existing position need not be disturbed."

इसमें पहले पेजों पर एक्सप्लेनेटरी नोट दिया गया है, उसमें लिखा है लोहारू के लिये जनरल एग्रीमेन्ट किया गया है, उसमें डिस्टरबेन्स नहीं किया जावे। मुझे नहीं मालूम कि वह जनरल एग्रीमेन्ट कहां से आया। मन्त्रीजी जब जवाब दें तो बतावें कि क्या राजस्थान ने यह एग्रीमेन्ट कर लिया था। अगर किया था तो किस आधार पर किया था और क्यों नहीं इसमें सदन की राय ली गई और उस क्षेत्र से आने वाले एम. एल. ए. से भी और बीकानेर डिवीजन के एम. एल. एज़ से क्यों नहीं पूछा गया? लोहारू का राजस्थान से तीन, साढे तीन सौ वर्षों का सम्बन्ध है। यह मेरा कहना नहीं है, एस. आर. सी कमीशन का कहना है। पंजाब में मिलाने से पहले लोहारू बीकानेर में मिला हुआ था। पर चूंकि उस वक्त राजस्थान का निर्माण हुआ नहीं था इसलिये पंजाब से मिला दिया गया था। अब भी अगर हमारा नक्शा देखा जाय राजस्थान का तो लोहारू राजस्थान का एक अभिन्न अंग मिलेगा। बीकानेर और उधर के इलाके में अगर आज भी जाना होता है तो लोहारू होकर ही जाना पड़ता है। इस सब दृष्टि से मैं समझता हूँ कि लोहारू राजस्थान में मिलना जरूरी था।

Page No 62

[श्री चन्दनमल वैद]

अब नहीं मिला इसके लिए दुख नहीं है, पर दुख इस बात का है कि जनरल एग्रीमेण्ट की बात कही जा रही है जिसकी हमें मालूम तक नहीं कराई गई। अगर यह कहा जाता कि देशहित में ऐसा किया गया, देशहित के लिये जरुरी हो गया इसको पंजाब से मिलाना तब तो इस पर कोई दुःख नहीं होता। पर जनरल एग्रीमेन्ट के आधार पर चला जावे, यह ठीक नही है और अगर ऐसा कोई एग्रीमेन्ट रिटन या वरबल कभी कोई किया गया हो तो माननीय मन्त्री जी यह बतावें।

सारे हिन्दुस्तान में हाई कोर्ट बनेंगे। इनमें तीन हाईकोर्ट्स उच्च श्रेणीमें रक्खे गये। बाद मे पार्ट ए बी, सी, समाप्त किया गया और केवल एक ही श्रेणीके राज्य रक्खे जावेंगे ऐसा ऐलान किया गया, तो जानकर हमें खुशी हुई। पर जब एस.आर. सी बिल आया उसमें पढ़ा तो मालूम हुआ कि वह श्रेणी भेद अब भी रक्खा गया है। केरल, मैसूर, और राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तनखा और जजों की तनखाओं में दूसरी जगह के हाईकोर्टों से हजार कम मिलेंगे। मैं साफ बता दूं कि तनखा बढाने और घटाने का कोई खास सवाल नहीं है। मैं वैसे भी विरुद्ध हूँ तीन हजार की तनखा रखने के। हम जो समाजवादी राज्य की व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो यह तो हमें करना होगा कि हमारे यहां तीन हजार का वेतन किसी को नहीं मिलेगा। पर यह बात भी साथ ही मानने को तैयार नहीं कि इस तरह से किसी प्रदेश की तोहीन और बेइज्जती की जावे कि यहां के हाई कोर्ट, यहां के चीफ जस्टिस, यहां के जज इस लायक नहीं जैसे दूसरी जगहों के हैं जहां कि उनको तीन हजार मिलते हैं इसलिए उनको तनखा कम मिले। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं चाहूँगा कि चाहे तनखा कम रक्खी जावे या ज्यादा रक्खी जावे पर एक बात चाहूंगा कि हमारी तनखा का स्तर दूसरों के स्तर के बराबर रक्खा जावे। अगर कम किया जावे तो सबका किया जावे। किसी भी हालत में उनसे कम नहीं रक्खा जावे, नहीं तो वह हमारे लिये अपमान, वेइज्जती, तोहीन की बात होगी। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर ध्यान दें मुख्यमन्त्रीजी, और इस मामले को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने भी रिप्रेजेन्ट करें। इस सिलसिले में एक बात मैं और अर्ज कर दूं। वह अगर नहीं करूंगा तो अपने कर्तव्य से च्युत होऊंगा। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की मार्फत यहां के चीफ जस्टिस से पूछा था इस बारे में कि इस बारे में उनकी क्या राय है? तनखा मुकर्रर करने के पहले भारत सरकार ने यह सोचा था कि उनकी राय ले ली जाय और अगर उनको यह पसन्द नहीं आया तो उनकी राय के अनुसार इसे करेक्ट कर लेंगे। राजस्थान सरकार के मार्फत इस आशय का पत्र सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने भेजा था। इस पर चीफ जस्टिस ने अपनी राय भी भेज दी, पर किन्हीं कारणों से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास वह दबी रही और वह कहते हैं कि इस वजह से दबी रह गई कि चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत से राजस्थान के रहने वालों की पे उनसे ज्यादा हो। इसलिये, चीफ जस्टिस साहब के कागजात चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में रह गये। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने सोचा कि जब जवाब नहीं आ रहा है तो चलो उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं मालूम होती है, तो फिर हमें क्या आपत्ति है, यह रख दी जाय। मुझे खुशी होगी, अगर यह बात सही न निकले तो और अगर सही निकले तो माननीय मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। लेकिन अगर जरा भी सच्चाई है इसमें तो यह हमें बताती है कि हमारे इन अधिकारियों की क्या

[श्री चन्दनमल वैद]

प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति का नमूना उन्होंने अभी बताया इन पे स्केल्स के बारे में । अपनी अपनी तनखा तो उन्होंने खूब बढ़ा ली और दूसरे कर्मचारियों की नहीं बढ़ाई । अगर यही मनोवृत्ति इनकी है तो इसको कड़ाई से चेक किया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, और एक बात का जिक्र कर देता हूँ और फिर समाप्त कर देता हूँ । वह है जोन का प्रश्न । अगर सचमुच में बड़ी स्टेट्स बनती हैं तो राजस्थान का भविष्य वेस्टर्न स्टेट के साथ जाने में है । पर जैसा एडवाइजरी बोर्ड बनाने का है एस. आर. सी में बताये अनुसार तो फिर वैसा बनने में हमें कोई एतराज नहीं है । क्योंकि वैसे हमारा सम्पर्क पंजाब, पेप्सू से भी भाखरा आदि के द्वारा ज्यादा जुटा हुआ है । आज भी हमें इस बारे में सलाह मशविरा उनसे करना ही पड़ता है । इनके बारे में तो इस जोन के इस पर पज से बनने पर इन बातों में हमें और सहायता ही बनेगी । इस दृष्टि से हमारा नोर्दर्न जोन में रहना ठीक ही है । इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हुआ और सदन से प्रार्थना करता हुआ कि इसे पारित किया जाय; अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस. आर. सी. की रिपोर्ट के बारे में जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसके विरोध में कुछ शब्द मैं कहूं इससे पहले मैं सदन के समक्ष एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह बात यह है कि मैं यह एक स्टेटमेन्ट लाया हूं लिखित, जिसमें लिखा है कि:

"Honourable Mr. Speaker,

I hereby dissociate myself from the congress, a party, irredeemably corrupt to the core, a harbourer of narrow parochialism and rank communalism.''

(घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई माननीय सदस्य अपनी पार्टी से अपने को डिस्सोसियेट करना चाहते हैं तो इसका सदन से क्या ताल्लुक है ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए जरूरी है कि मैं यह बता कर उधर ("विरोधी पक्ष की बैंच," विरोधी पक्ष की बैंच") बैठूंगा और फिर उधर से बोलूंगा ।

(घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

"of blatant favouritism and unscrupulous nepotism, a power tipsy junta as determined to violate all noble traditions and canons of Bharatiya culture as it is to establish a totalitarin.........."

(घंटी) एक लाइन और है, उपाध्यक्ष महोदय ।

"undemocratic, one--party--rather, one--group regime."

ये चन्द शब्द निवेदन करके मैं अपनी कुर्सी बदलकर (माननीय सदस्य सरकारी बैंचों से निकल कर विरोधी बैंचों पर चले गये) और यह टोपी (खादी कैप) सदन की मेज पर अपने मित्रों (सरकारी पक्ष के सदस्यों) के लिए पेश करके अब इधर से बोलता हूँ ।

एस. आर. सी की रिपोर्ट के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट के अन्दर राजस्थान को जो नोर्दर्न जोन में मिलाया है यह एक बहुत ही खतरनाक काम किया गया है । इसके बारे में मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान हर प्रकार से आप देखें तो मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र इनसे मिला हुआ है, राजस्थान और इन प्रान्तों की संस्कृति भी देखी जावे तो इस लिहाज से भी हम लोग उनसे अधिक मेल खाते हैं, पंजाब से कभी मेल नहीं खाते । बहुत मुमकिन है कि राजस्थान का एक कोना गंगानगर पंजाब से मेल खा सकता है पर बाकी जो है वह पंजाब से कभी मेल नहीं खाता है ।

इसलिये जो यह जोनल सिस्टम बनाया गया है इसके अन्दर राजस्थान को, नोर्दर्न जोन के साथ में रक्खे जाने की जो बात कही गई है उसका मैं कड़े शब्दों के साथ विरोध करते हुए निवेदन करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर राजस्थान् को वेस्टर्न जोन में रक्खा जाना चाहिए ।

नोदेर्न जोन में रखकर राजस्थान का अहित सोचा गया है । नोर्दर्न ज़ोन से हम किसी प्रकार के न्याय की आशा नहीं कर सकते । वेस्टर्न जोन में जाते तो वहां पर मुरारजी देसाई जैसे काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हमको मिलते तो उससे यह आशा कर सकते थे कि उसका राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ असर पड़ेगा । उनकी राय मशवरे से यहां के लोगों के दिमाग कुछ ठीक होंगे, यह भी आशा कर सकते थे । लेकिन पंजाब तो दूसरा राजस्थान है । वहां भी रोज मिनिस्ट्री बनती है और बदलती है । पंजाब वह प्रांत है जहां की बहुत सी बातें राजस्थान से ज्यादा नहीं हैं, तो बराबरी पर हैं । अगर इस प्रकार का हमारा टूटा फूटा घर है और वहां के टूटे फूटे घर में जावेंगे तो अनुकरण करने के लिए गुंजायश नहीं रहेगी । अगर हम मुरारजी देसाई के रेजीम के साथ एसोसियेट करते तो उन लोगों में स्टेब्राइटी आती, हम लोग भी कुछ स्थिर विचारधारा के होते, और मैं आशा करता कि रोज अखबारों के अन्दर बातें आती हैं कि मंत्री मंडल बदल रहा है इन बातों में स्थिरता आती । तो मेरी राय के अन्दर वेस्टर्न जोन बनाकर

[श्री मानसिंह महार]

महामालव प्रदेश कायम करना चाहिये । मैं इसका बड़ा समर्थक हूं और जो हमें नोर्दर्न जोन के साथ अटैच किया गया है इसका विरोध रखता हूं ।

इसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत से लोग उत्सुक हैं, लेकिन फिर भी एक दो मुद्दों पर और कहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मैंने देखा है कि हमारी जो वाजिब बात है, जो भाग दूर थे और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से नहीं बैठते थे उनको दूसरे प्रांतों को दे दिया गया, लेकिन मध्य भारत के नीमच का हिस्सा है वह हमारे राजस्थान से मिला हुआ हिस्सा है । वह हमारे राजस्थान का एक प्रकार का अंग है, उस हिस्से को हमें नहीं दिया गया है । यह भी हमारे साथ अन्याय किया गया है ।

तीसरी बात, मुझे सदन के अन्दर यह सुनकर बड़ा ही रंज हुआ मैं, समझता हूं कि वह बात तो मुझे एक बड़ी भारी कोन्स्पीरेन्सी मालूम हुई । वह राजधानी के बारे में है । राजधानी के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अजमेर और जयपुर का कई दृष्टियों से मुकबला कर लें । जयपुर के मुकाबले में किसी भी दृष्टिकोण से अजमेर टिक नहीं सकता । कहां जयपुर और कहां अजमेर ! जहां जयपुर इतना बड़ा होते हुए भी यहां पानी की उतनी जटिल समस्या नहीं है जितनी की अजमेर के अन्दर है । अगर अजमेर के अन्दर हमारी राजधानी करदी जायगी और अगर यहां से सारे दफ्तर शिफ्ट किये जायेंगे तो ऑफिसर्स के लिए वहां जगह नहीं है तथा इसके अलावा पानी की दिक्कत है । यह कोई खुशी की बात नहीं है कि जयपुर आते हुए उदयपुर वालों का रास्ता अजमेर में है इसलिए यह कह दिया जाय कि अजमेर को राजधानी बना दिया जाय। अजमेर एक छोटा सा टापू (भू-भाग) है जिसको कि आज हमारे अन्दर मिलाया जा रहा है और मिलाते ही उसको इतना महत्व दिया जाय, यह तो स्वप्न में भी खयाल नहीं करते थे कि इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी कोई इस सदन में प्रस्तुत करे । लेकिन यह राजस्थान का दुर्भाग्य है । यह मैं मानता हूं और यह यहां के सत्तारूढ़ दल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि इस प्रकार का उन्होंने हिन्ट दिया है कि अजमेर राजधानी होगी । यह कोई उनके लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि राजस्थान की राजधानी, राजस्थान बना उस दिन से जयपुर चली आ रही है और सत्तारूढ़ दल या और कोई भी दल हो, अजमेर की कितनी ही वकालत करें लेकिन सेन्टर में थोड़ी बहुत भी अक्ल है उस वक्त तक जयपुर से राजधानी शिफ्ट होने वाली नहीं है । जयपुर से राजधानी शिफ्ट होने का चन्द उन लोगों के दिमाग में आ सकता है जिनको यह कहना चाहिये कि वे कोस्मोपोलिटन नहीं हैं । कोस्मो-पोलिटन आदमी जयपुर जैसे नगर के लिए ऐसी बात नहीं कर सकता ।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सरविसेज के बारे में भी निवेदन करूंगा । हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी अजमेर पधारे तो उन्होंने अजमेर में यह घोषणा की कि अजमेर में जिन अफसरान को, जिन फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स को जो भी रिम्युनरेशन मिलता आ रहा है वह मिलेगा । यह खुशी की बात है लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अजमेर पुलिस के सिपाही को राजस्थान के

[श्री मानसिंह महार]

पुलिस के सिपाही से दुगुनी तनख्वाह मिलती है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात होगी कि वहां के फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स को यानी चपरासी को राजस्थान के चपरासी से ज्यादा तनख्वाह मिले, वह वहां से आयेगा और जयपुर के सेक्रेटेरियेट में बराबरी का काम करेगा तो फिर भी असमानता होगी तो वह वाजिब चीज नहीं है। इसमें राजस्थान सरकार को घबराना नहीं चाहिए। यह कोई जटिल समस्या नहीं है; आम एलान कर दीजिये, मैं कहूँगा कि आज ही कर दिया जाय। हमारे मुख्य मंत्री तो इसमें माहिर हैं। फोर्मर राजस्थानका मर्जर हुआ हमारे राजस्थानमें तो उस वक्त वहांपर काफी तनख्वाहें बढ़ाई थीं। आज उचित तरीका है, उचित बात है। हम राजस्थानियों के लिए यह बहुत उचित मौका है कि हमारी सरविसेज का स्तर भी उतना ही होना चाहिए, हमारी सरविसेज की पे स्केल्स भी उतनी ही कर दी जायं जितनी कि अजमेर वालों की है। कोई डिपार्टमेंट में अजमेर वालों की पे स्केल कम है तो वहां भी बढ़ा दिया जाय। आप डरिये मत। आज के युग में डेफिसिट फाइनेंसिंग कोई बुरी बात नहीं है। एक, दो करोड़ का और घाटा सह लीजिये। आपकी जेब से आयगा नहीं। राजस्थान की जनता को देना पड़ेगा, लेकिन यह पैसा भी राजस्थान की जनता में ही जायगा....

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरु ही किया है।

श्री उपाध्यक्ष—एस. आर. सी. पर बोलिये।

श्री मानसिंह महार—आज मैं इस इम्पोर्टेंट जगह पर से बोल रहा हूँ। पांच मिनट और दे दिये जाय।

तनख्वाह के बारे में मैं निवेदन कर रहा था वह हम राजस्थानियों की बड़ी उचित मांग है। बहुत मुमकिन है कि हमारे मुख्य मंत्री जी जवाब में यह फरमायेंगे कि वहां की मंहगाई ज्यादा है। तनख्वाहें राजस्थान और अजमेर में करीब करीब बराबर हैं। कोई हर्ज नहीं। राजस्थान में मंहगाई कम है तो राजस्थान वालों को मंहगाई ही अधिक दे दी जाय। हम यह नहीं कहते कि किसी प्रकार का कोई सा काम किया जाय। पहले उसमें समानता लाई जाय, दोनों जगहों के कर्मचारियों को एक लेवल पर लाया जाय। वह तभी ला सकते हैं कि उन लोगों की तनख्वाहें बढ़ायें। यह बहुत उचित मांग है। मैं यह कह सकता हूं दावे के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की सर्विसेज की इस प्रकार से तनख्वाहें नहीं बढ़ावेंगे और उनको बराबर के स्तर पर अफसरान और दीगर कर्मचारियों को बराबर की तनख्वाहें नहीं दी जायंगीं, चाहे मंहगाई है या तनख्वाह, तो उन लोगों पर बड़ा अन्याय होगा। मैं यह समझता हूं कि इस बात को मर्जर से पहले तय कर देना चाहिए। आज ही उपयुक्त समय है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं यह समझूंगा कि वह कोई वाके में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि राजस्थान की सरविसेज़ में कोन्फीडेन्स बढ़ा है। तो मैंने यह एक बात सरविसेज के बारे में निवेदन की।

एक बात को देखकर मैं असमंजस में पड़ा और वह थी कि राजस्थान के जजेज़ की तनख्वाहों के बारे में। मेरे कई माननीय मित्रों ने इस संबंध में कई बातें निवेदन कीं। मैं यह

[श्री मानसिंह महार]

समझता हूं कि भारत सरकार ने यह जो तनख्वाहें कम करने की बात रखी है उस सिलसिले में मेरा तो एक ही खयाल है कि भारत सरकार यह समझती है कि राजस्थान के हाई कोर्ट के जजेज़ वगैरह जो हैं वे लोग जो हैं हमारे दूसरे प्रांतों के जजेज़ हैं उतने काबिल नहीं हैं। उसकी मिसाल भी है। वह कुछ हद तक सही भी है। राजस्थान एक एतिहासिक प्रांत है कि जहां ६, ६ महीने से एडवोकेट जनरल का एप्वाइन्टमेंट नहीं हुआ है। राजस्थान ही एक प्रांत है। तो वह यह समझते हैं कि राजस्थान के अन्दर ऐसे योग्य जजेज़ नहीं हैं कि काबिल एडवोकेट जनरल की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां तो जो उनके नीचे असिस्टेन्ट्स हैं वही काम चला सकते हैं। तो ऐसी सूरत के अन्दर यह भी आवश्यक हो जाता है कि इन सरविसेज को हम लोग कम तनख्वाह दें। तो यह एक राजस्थान के लिए शर्म की बात होगी कि हमारे न्यायधीशों को और प्रान्तों के न्यायाधीशों से कम वेतन मिले। इसके लिए हमारी सरकार को बड़े जोरदार शब्दों में सेन्टर के पास रिप्रेजेन्ट करना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है। भारत के और दूसरे प्रान्तों में जजेज़ को अधिक वेतन मिले और हमारे यहां के न्यायाधीशों को उनसे कम मिले, यह सरासर अन्याय है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो बड़ा विचित्र प्रश्न है और मैं आशा करूंगा कि हमारे इस प्रश्न को उचित तरीके से आगे ले जाकर हल करेंगे।

इसके बाद मैं अधिक निवेदन नहीं करूंगा क्योंकि कई मित्र बोलना चाहते हैं शायद। अगर हिन्दुस्तान के अन्दर युनिटरल फोर्म ऑफ् गवर्नमेन्ट, ये अलग अलग मिनिस्ट्रियां बनाकर दल-दल बनाया है, काफी अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है, वह यह है कि मध्य प्रदेश हमारा नजदीक का प्रान्त है वहां पर दो हाउस रखे गये हैं लेकिन न मालूम राजस्थान ने क्या किया कि जहां पर अपर हाउस जैसी चीज़ को उड़ा दिया जाता है। सरकार की नीति एक होनी चाहिए। या तो सब जगह हिन्दुस्तान के प्रान्तों में दो हाउस रखने चाहिए थे या सिंगल चेम्बर रखना चाहिए था। यह भी अधूरी नीति सरकार की है उसका विरोध करता हूं और सरकार से आशा करूंगा कि या तो भारत के और प्रान्तों में अपर हाउस को उड़ा देना चाहिए और नहीं उठा दिया जाता है तो राजस्थान में भी जरूर होना चाहिए। राजस्थान किसी प्रान्त से कम नहीं है। ये चन्द शब्द कह कर इस एस. आर. सी. की रिपोर्ट को २० वर्ष के लिए स्कोप कर दिया जाय, इसको नहीं रखा जाय तो अच्छा है।

श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष—१२। बजे तक इसको समाप्त कर दें, अभी रिप्लाई देना है '

एक माननीय सदस्य—Half an hour will be take to reply.

श्री अध्यक्ष—Half an hour discussion also.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष—जो लोग सोते रहते हैं उनकी बोलने की इच्छा है।

(हंसी)

श्री गोपीलाल यादव—नहीं साहब, सब जाग रहे हैं।

श्री भोलानाथ—माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष—Very brief and to the point.

श्री भोलानाथ—एस. आर. सी. बिल पर जो बहस चल रही है वास्तव में राजस्थान के बारे में कहना था, इसलिए जो समय दिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी उत्सुकता लगी कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाय। मुझे समय दे दिया गया है। मैं इन सब साथियों की सिफारिश आपके जरिये करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इससे एस. आर. सी. के लिए आज समय बढ़ने वाला नहीं है।

श्री भोलानाथ—एस. आर. सी. का बिल आया यह एक ऐतिहासिक घटना है। एक समय वह था जब कि हिन्दुस्तान की आजादी के बारे में चर्चा हुई थी और उस समय गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। उस समय यह सोचा गया कि हिन्दुस्तान में कुछ नये प्रान्त बनाये जांय और उसी समय रियासतों के बारे में भी सोचा गया कि कुछ रियासतों को कम करना चाहिए और एक नया Criteria बनाया गया था। Viable unit बनाने की बात की जिससे ३०, ३५ के करीब रियासतें हिन्दुस्तान में रह जाती थीं अलवर जैसी छोटी रियासत भी थी वह भी उस स्तर पर आगई थी। आज हम यह देखते हैं कि अलवर रियासत का सवाल नहीं है, हिन्दुस्तान की तमाम रियासतों को एक प्रान्त के स्तर पर या तो उनका विलीनीकरण कर दिया गया है या जो कुछ रह गई हैं वे बड़े बड़े सूबों में एक होने जा रही हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है। उसके पीछे जो भूमिका है वह केवल राजनैतिक ही नहीं है किन्तु और भी है जो देश में नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हुई हैं और हो रही हैं वह भी असर डाल रही हैं।

लिंग्विस्टिक प्रोविन्सेज की भावना के बारे में यह कहा गया कि कांग्रेस ने यह कहा कि भाषावार प्रान्त बना दिये जांय और इनसे आपसी झगड़े खत्म हो जायेंगे। मैं उस इतिहास को इसकी बेकग्राउन्ड में रखना चाहता हूं जो कि आज तक काम करता था। कांग्रेस ने, उस वक्त आजादी के लिए लोगों को तैय्यार कर रही थी और भाषावार प्रान्तों का बेसिस इसलिए अपनाया था कि अपनी भाषा में अपनी बात आसानी से जनता को कही जा सकती है और जनता में एक वातावरण पैदा किया जा सकता था, लेकिन आज वह वातावरण तैयार करने का सवाल नहीं है, आज हमारे सामने जो सवाल हैं वे दूसरे प्रकार के हैं और उनका

[श्री भोलानाथ]

बेक ग्राउन्ड दूसरा है। आज सवाल है जो साधन उपलब्ध हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाय। जब हमारे यहां पर क्रिप्स मिशन आया था और चर्चा हुई थी और हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात हुई उस वक्त भी इस सम्बन्ध में एक स्कीम रखी गई थी। कूपलैंड ने उस समय 'इन्डिया फ्यूचर' के नाम से एक पुस्तक लिखी थी और उसमें लिखा था कि हिन्दुस्तान को रीजन्स में बांट देना चाहिए। इस प्रकार जोन्स या रीजन्स का पहली बार जिक्र हिन्दुस्तान के इतिहास में आया था। यह कूपलैंड की रिपोर्ट थी, जो बेकग्राउन्ड उस समय रखा था यह दूसरा था, उसमें राजनैतिक चाल दूसरी थी क्योंकि उस समय हिन्दू और मुसलमानों का सवाल था और वे यह चाहते थे कि हिन्दू मुसलमानों को बेलैंसिंग रखा जाय किसी भी तरह से। मैंने उसको देखा है और पढ़ने की कोशिश की है जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि पं० नेहरू ने पहली बार पार्लियामेन्ट में इसकी घोषणा की। मुझे एक किताब मिली है अपनी लायब्रेरी से जो डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा 'इंडिया डिवाइडेड' के नाम से है, उसमें इस सम्बन्ध में रिलेवेन्ट पैराग्राफ्स को देखा है। उसमें लिखा है

"Northern India should be delimited in three river basins.
From Kashmir to Karachi

(अश्रव्य)

इस तरह से इनको चार जोन्स में बांटने की बात थी लेकिन इसमें भी कई लिंग्वेस्टिक बेसिस थे और जैसा कहा गया था कि हिन्दुस्तान को डिवाइड करने की बात थी, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि:—

"According to Coupland,

The facilities of economic growth for use of its water, power and hydro-electric installations and full utilisation of rivers demand a long range plan which cannot be carried out within the separate areas or with separate resources of the provinces and it needs provincial coordination and cooperation and requires co-operation and control which can be only on regional basis."

मैं समझता हूँ कि पंडित जी के सामने यह सवाल आ गया होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है और जोनल कौंसिल के सिस्टम को सामने लाने का कारण बना हो हो। जोनल सिस्टम जिस एक तरह से सोचा गया है, वह बड़े प्रान्त बनाने का सवाल ही मालूम पड़ता है, जैसा कि सेन्सेज कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मि० हट्स ने कहा था:—

Page No 70

[श्री भोलानाथ]

"For 50 years a planned development of India's water, and power resources are to be considered."
५० इयर्स का प्लान पहले सोचा गया था ! वाटर सोर्सेज को किस तरह से युटिलाइज किया जाय, इस पर विचार किया गया था।

यह मैं डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी की किताब से पढ़ रहा था।

सबसे पहले जोनल सिस्टम का नाम आया वह दूसरी जगह से आया। वह सर सिकन्दर हयात खां की रिपोर्ट में था जो इन्होंने पेश की। उसमें लिखा है:—

"For the purpose of establishing an all-India federation on a regional basis, the country shall be demarcated in seven zones."
उस समय वे भारत को ७ जोन्स में बांटना चाहते थे। वे सात जोन थे (१) आसाम, बंगाल (२) बिहार–उड़ीसा (३) यू. पी. (४) मद्रास ट्रावनकोर (५) बाम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सी. पी. (६) राजपूताना और (७) पंजाब व नोर्थ वेस्ट फ्रान्टियर। इस तरह काश्मीर वगैरा को पहले ही पंजाब के साथ निकाल दिया था।

कोई चीज रखी जाती है तो उसकी बुनियाद जरूर होती है और उसके पीछे कुछ कल्पना जरूर होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यहां पर हम आज जोनल सिस्टम और एस.आर. सी. बिल पर विचार कर रहे हैं इसके पीछे सेन्टीमेन्टल भावना नहीं है जो आम तौर से लोग विचार करते हैं कि बडे राज्य बनेंगे और हमारी छोटी छोटी एसेम्बलीज खत्म हो जावेंगी। मेरे ख्याल से पंडित जी के सामने यह सवाल उस समय आया जब कि पंजाब के झगड़े खड़े हुए। उस समय रीजनल कौंसिल्स बनाने का प्रश्न आया होगा। पंजाब में हिसार का इलाका सरकार के विरोध में था। उनका मिनिस्टरी में कोई रिप्रजेन्टेशन नहीं था और नही उनके यहां कोई डेवलपमेंट के कार्य हो पाते थे। जालन्धर के आस पास के लोग ज्यादा शेयर गवर्नमेंट से लेते थे। वास्तव में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं तो लोगों को मौका मिलता है कि जो बात चुभती है उसको पूरा करने के लिए जोर डाला जाता है इसलिए पंजाब के बारे में भी काफी एकसा विकास के लिए जोर डाला गया। इसलिये उसका नतीजा यह हुआ कि आम लोगों को विश्वास प्राप्त करा सके कि रीजनल कौंसिल के प्रस्ताव में पंजाब के लिये पेश किये गये हैं।

पिछली बार मैंने अर्ज किया था कि हम जो डेवलपमेंट करना चाहते है उसका नक्शा हमारे सामने साफ होना चाहिये कि हम कहां लेजाना चाहते हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना हमारे सामने आ गई है लेकिन हमारे सामने नक्शा नहीं है। यदि हमारे सामने कोई नक्शा नहीं है तो यह अविश्वास पैदा करने का कारण बनता है। यदि यह अविश्वास का कारण है तो ऐसी तरकीब निकालते जिससे कि अविश्वास बढ़े नहीं। इसीलिये जोनल कौंसिल तय की हैं कि हम अपनी समस्याओं को

[श्री भोलानाथ]

हल करने के लिये आपस में मिल कर तय करें। पिछली बहस में डाक्टर मंगलसिंहजी नाराज हुए। वे मेरे परम मित्र हैं मेरे साथ गवर्नमेंट में भी रहे हैं। मैं उनका दर्द जानता हूं वास्तव में यदि धौलपुर हमारे साथ रहता है और वहां सड़क बन नहीं पाती तो यह ठीक नहीं है और उसके लिये नाराजगी होना स्वाभाविक है। इस कारण से डाक्टर साहब दुबारा चुनाव लड़ने का चेलेन्ज दे सकते हैं। भरतपुर में काम हुआ है और धौलपुर में भी काम हुआ है। धौलपुर में राजस्थान की तरफ से खर्च किया जा रहा है वह काफी से ज्यादा है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट को कहूँगा कि केवल सड़क के लिये उनको नाराज नहीं करें और नाराजगी के कारण से उनको दूसरी तरफ नहीं जाने दें। हम ८५ लाख रुपये वहां पर पार्वती बांध पर खर्च कर रहे हैं और ५-७ लाख रूपये और खर्च नहीं करने के कारण वह यू. पी. में चला जायगा तो अच्छी बात नहीं है। मैंने सुना है कि लालबहादुर शास्त्री आ रहे हैं। सरमथुरा को केवल छोटी लाइन से ही नहीं लेकिन बड़ी लाइन से भी मिलाने की कोशिश की जा रही है। यदि ऐसी बात है तो हाउस में कहा जाये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुँचा जाय और यह कहा जाय कि हमें किस रीजन से निग्लेक्ट किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का यह कहना है कि किसी एरिया किसी जोन और किसी रीजन को निग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सामुहिक विकास हिन्दुस्तान का करना चाहते हैं। पिछली बार अमृतसर में पंडितजी ने इसी भावना को सामने रख कर कहा कि हम लिंगविस्टिक बेसिस पर बनाने वाले प्रान्तों को खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं था कि हम किये हुए वादे से हटना चाहते हैं बल्कि परिस्थिति जो बन गई हैं उनको फेस करना चाहते हैं इसलिये जोनल सिस्टम प्रस्तुत किया है। मैंने डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की रिपोर्ट, सर सिकन्दर हयात की रिपोर्ट और सेन्सस कमिश्नर मिस्टर यीट्स का हवाला दिया और उनकी क्या कल्पना थी यह बतलाया। उनके सामने सारे हिन्दुस्थान की तरक्की करने का नक्शा था यह नहीं कि सरदार लोग मिल जांय या vested interest मिल जांय और अपना अपना भला सोचें और बाकी देश के लिये कुछ नहीं सोचें। सरदार कहलावें एक भाषा वाले कहलावें यह कैसी बात है। काश्मीर, पंजाब और राजस्थान के मिलने का प्रश्न आया वह एक दम प्रेक्टिकेबल है। वाटर और पावर का हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा सवाल है। इनके डेवलपमेंट पर प्रान्त की जिंदगी मुनस्सर है। गंगानगर का इलाका जहां गंग केनल आई है उसका दूसरा हिस्सा रेगिस्तान कहलाता है। वहां न पूरी आबादी है और न खाने को मिलता है। इस हिस्से को ऐसे डेवलप्ड हिस्से से मिलाते हैं जो ज्यादा उन्नति कर सकता है तो ऐसी स्थिति में एस. आर. सी. की रिपोर्ट में जो प्रस्ताव रखा है उस पर विचार करें यह सोच कर कि हमारा इस में हित है या नहीं केवल शासन की दृष्टि से सोचना नहीं है कि किसी से शासन की दृष्टि से मेल खाता है या नहीं। वास्तव में यहां शासन और भाषा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक साथ कैसे मिल कर काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लिये पंडितजी ने National Development Board बनाया है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स बैठते हैं चर्चा करते हैं। और योजना बनाते हैं इसी तरह से दो तीन रियासतों के लोग मिल कर कॉमन प्रोब्लम्स पर विचार करें तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? क्यों कि आज जो नया सिस्टम शुरू हुआ है

[श्री भोलानाथ]

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद डेवलपमेंट कमेटियां बनी हैं, समस्त काम को नया तरीका दिया है उसमें जब तक जनता को कोन्फीडेन्स में नहीं लेते तब तक चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों न हो, समझ में नहीं आयेगा और कामयाबी नहीं होगी, इसलिए आवश्यक है कि चाहे हम फोरमल तरीके से या चाहे इन्फोर्मल तरीके से, चाहे कानूनी तरीके से मिलें लेकिन वास्तव में मिल कर समस्याओं के बारे में चर्चा करें। इसको फोरमल रूप देने के लिये पण्डितजी ने जोनल सिस्टम निकाला है। मैं इसे बहुत पसन्द करता हूं और पूरी ताईद करता हूँ। यह आज का तरीका नहीं है। यह डाक्टर राजेन्द्र-प्रसादजी, सर सिकन्दर हयातखां और यीट्स ने इसके बारे में काफी चर्चा की है। यीट्स ने तो यहां तक कहा कि ५० साल तक जोन्स बना कर आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। इसी दृष्टिकोण पर एस. आर. सी का प्रस्ताव आया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ स्टेट्स का हिस्सा इधर से उधर जायगा। लेकिन क्या ये पोलिटिकल रीजन्स से मिलाये जा रहे हैं? यह नहीं समझना चाहिये कि पोलिटिकल रीजन्स से मिलाये जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे सामने हैं। पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं इनको हमें मिल कर चलाना है। मैंने देखा कि मैसूर के हिस्से बेलाडी को आंध्र वाले क्लेम कर रहे थे। वहां पर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो रायलसीमा को फायदा पहुँचाने वाला है। यदि यह हिस्सा मैसूर से निकल गया तो वहां के डेवलपमेंट्स के काम रुक जाते हैं इस लिये इसके बारे में काफी जोर दिया गया लेकिन इस पर विचार किया गया इस दृष्टि से कि मैसूर वाले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं या नहीं और आश्वासन मिल गया कि मैसूर वाले काम कर सकते हैं इसलिए इसको मैसूर के पास ही रखा है। मेरे दिमाग में भी एक बात आई कि क्यों नहीं चम्बल को क्लेम करें कि यह सी. पी. या मध्य प्रदेश में न रह कर हमको मिल जाय। मध्यभारत से हमारा अच्छा सम्बन्ध था यदि सी. पी. के साथ सम्बन्धित होजाता है तो हमारा शेयर भी इसमें होना चाहिये। डेवलपमेंट प्लान चम्बल का चल रहा है उससे फायदा है या नहीं, हमसे किस प्रकार कंपेनसेट किया जाता है? इसके डेवलपमेंट के लिये हाई पॉवर कमेटी बनाई गई है। लेकिन प्रोविंशियल बेसिस पर विचार करें तो बुराई की बात नहीं है. लेकिन कहा जाता है कि काश्मीरसे आने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे फायदा होने वाला है। इस दृष्टि से चम्बल पर विचार नहीं किया गया है। लेकिन जो एश्योरेंस दी है कि आयन्दा कोई घाटा नहीं आने वाला है। मैं समझता हूं एस. आर. सी. बिल से हमें सब तरह से फायदा है।

राजधानियों के बारे में मैं जरूर दो लफ्ज कहूँगा, इस बारे में कई साथियों ने असन्तोष और गुस्सा प्रकट किया है, जोश भी उन्हें आया है। यह बात सही है कि पुरानी राजधानियों को हम डवलप नहीं कर पाये हैं। हिन्दुस्तान में दिल्ली राजधानी है परन्तु वह सबसे बड़ा शहर नहीं है, कलकत्ता और बम्बई वगैरह दिल्ली से बड़े शहर हैं, इस वजह से कि दिल्ली राजधानी होते हुए भी दूसरे शहरों की उपेक्षा नहीं की गई। अमेरिका में न्यूयार्क बहुत बड़ा शहर है और वाशिंगटन जोकि वहां की राजधानी है उससे छोटा है, इसका कारण यह है कि वहां की सरकार ने राजधानी नहीं होते

[श्री भोलानाथ]

हुए भी उसके महत्व को बनाये रखा। यू. पी. में लखनऊ वहां की राजधानी होते हुए भी छोटा शहर है और कानपुर उससे बहुत बड़ा शहर है।

खास बात यह है कि पुरानी राजधानियों के महत्व को बनाये रखने के बारे में जो नक्शा हमारे दिमाग में हो वह साफ होना चाहिये उनके महत्व को बनाये रखने के लिये जो नक्शा आपके दिमाग में है उसके माफिक कार्य करते रहिये और जयपुर से शासन चलाते रहिये। पंचवर्षीय योजना की रकम समान रूप से सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटी जाय सब इलाकों में समान रूप से बांटी जाय और जो खास खास काम हैं, जहां ज्यादा खर्च करना जरूरी है जैसे गंगानगर का इलाका है, हरी केनाल है, चम्बल है वहां पर विशेष खर्चा किया जाय और सब जगह समान रूप से किया जाना चाहिये, सब जिलों पर पूरा पूरा समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। पुरानी केपिटल्स को डेवलप करने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। ढ़ाई करोड़ रुपया ओल्ड स्टेट्स केपिटल्स को डेवलप करने के लिए मंजूर हुआ था उसमें से सिर्फ ५० लाख ही हम खर्च कर पाये बाकी २ करोड़ रुपये लेप्स हो गये वह भी टी०सी०एम० के जरिये हमें मशीनें मिलने वाली थीं वह हमें नहीं मिलीं। इसका नतीजा यह हुआ कि डवलपमेन्ट का काम भी नहीं हुआ और टी०सी०एम० के जरिये मशीनें मिलने वाली थीं वह भी हमें नहीं मिलीं। अब एस०आर०सी० का मसला आया उसमें जोन्स एक इलाज बताया गया है वह बहुत सुन्दर इलाज है। इस बिल के जरिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—और कितने बोलने वाले हैं?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—पांच-छः।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—इसका मतलब यह हुआ कि इसका जवाब आज न होकर फिर होगा।

श्री अध्यक्ष—१५-२० मिनिट और हैं, जितना बोलना चाहें बोल लीजिये, फिर जवाब दूसरे दिन के लिये रक्खा जायगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, स्टेट्स रीओर्गेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट आई उस समय हमारे सदन में उस पर वाद विवाद हुआ, उसके बाद स्टेट्स रीओर्गेनाइजेशन बिल हमारे सामने है।

इस बिल को लेकर जो बवंडर हमारे देश में उठ खड़ा हुआ है और इस सदन के सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोण सुनने को मिले उनमें मुख्य तौर पर भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने का था।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

यह प्रश्न किया जाता है कि हमारे यहां स्टेट्स हों वे लिंग्विस्टिक बेसिस पर हों या बिना भाषा के आधार पर हों। इस बात को ले कर देश में वाद-विवाद फैला है और इस बात को लेकर देश में कई जगह अशांतियां फैली हैं।

जहां जहां भाषावार प्रान्त बनाने का प्रश्न है वह बेजा नहीं है। कांग्रेस ने भी एक अर्से पहले इस सिद्धान्त को स्वीकार कर के एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया था, मुझे आश्चर्य है कि बहुत से कांग्रेसी भाई भी उस प्रस्ताव के विरोध में बोलते हैं और कहते हैं कि वह बहुत पहले पास हुआ था पहले जिन परिस्थितियों में वह प्रस्ताव पास हुआ था वह परिस्थितियां अब नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे परिस्थितियां नहीं हैं तो उनको चाहिये था कि अभी कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें नया प्रस्ताव पास कर लेते। जब तक दूसरा प्रस्ताव पास नहीं हो जाता तब तक वह प्रस्ताव तो स्टेन्ड करता है।

तो इस तरह एक पार्टी में भी अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलीं। यह जो कहा जाता है कि भाषावार प्रान्त बनाने से देश की एकता में फरक आता है, ऐसा मैं नहीं समझता भाषावार प्रान्त बना देने से वहां के स्थानीय लोग वहां की स्थानीय भाषा में काम कर सकें, वहां की स्थानीय भाषा में ज्यादा ज्ञानोपार्जन कर सकें अपनी अपनी भाषाओं को ज्यादा डेवलप कर सकें, इसमें किसी को क्या एतराज है। भाषावार प्रान्त बनाने से जो देश की एकता खत्म होने की जो आशंका जाहिर की गई है कि इससे देश की इन्टीग्रीटी को धक्का लगेगा यह मैं नहीं समझता। हमारा राष्ट्र बहुसंख्यक हिन्दू लोगों को ले कर बना हुआ है और इसी आधार पर यह हिन्दू राष्ट्र है। यहां की विचार धारा को ले कर आपसे कोई बात छुपी नहीं है फिर भी मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ।

हमारे तीर्थ स्थान भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, बद्रिकाश्रम एक तरफ है, रामेश्वर दूसरी तरफ है द्वारकापुरी कहां है, जगन्नाथपुरी कहां है. वहां विभिन्न भाषाएं हैं पर उनसे कोई अन्तर नहीं पड़ता और हम हमारी सांस्कृतिक विचार धाराओं को लेकर तीर्थस्थानों में जाते हैं और इस तरह हमारी एकता को निभाते हैं। इसी तरह हमारे यहां देश में त्यौहार मनाये जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहां होली का त्यौहार मनाते हैं और बंगाल में या महाराष्ट्र में होली नहीं मनाते। मतलब कहने का यह है कि विभिन्न भाषाएं होते हुए भी हमारे देश में धार्मिक और सांस्कृतिक विचार धारा एक है। तो उन्हें उनकी भाषा की तरक्की करने का मौका देने में कोई हानि नहीं है। भाषावार प्रान्त बन जाने पर भी हमारी संस्कृति और विचारधारा तो एक ही बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ हमारे देश की संस्कृति के बारे में विचार अब मैं हमारे यहां के प्रान्तों का किस प्रकार निर्माण किया गया है उस पर विचार प्रकट करता हूं।

इसमें जोनल कौंसिल का सुझाव दिया है पर यह विचार उसी प्रकार समझ में आता है जब हमारे देश में सर स्टेफर्ड क्रिप्स आये थे और हमारे देश में जोन्स कायम करने की स्कीम रखी थी अगर

[रावत श्री शंभूसिंह]

उस वक्त उस स्कीम को मान लिया जाता तो शायद पाकिस्तान बनने की नौबत नहीं आती । उस वक्त वह स्कीम नहीं मानी अब यह जोन्स बनाने की स्कीम है वह अच्छी है इसमें कोई हानि नहीं है ।

पर राजस्थान को जो उत्तरी जोन में रखा है वह मतभेद की बात है । राजस्थान को पश्चिमी जोन में रखा जाता है और मालवे को मध्य प्रदेश में न मिलाकर मध्य भारत को अलग स्टेट रखा जाता और हमारे जोन में रखा जाता । मालवा, भाषा, रहन-सहन और सांस्कृतिक विचारधाराओं के लिहाज से राजस्थान के बहुत नजदीक है, मध्यभारत को भी इसी जोन में आने का मौका मिलता पर यह तभी हो सकता है जब कि इसे एक इकाई माना जावे ।

पंजाब में दो रीजनल कमेटियां बनाई यह एक अटपटी बात है, हमारे देश में भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोग रहते हैं ये लोग सम्प्रदायी कार्य करने के लिए तैयार होजावेंगे । इस प्रकार की रीजनल कमेटी या कौंसिल बनावेंगे इसको मैं बहुत बड़ा साम्प्रदायिक कदम कहूंगा । पहले पाकिस्तान बनाते समय यही कदम उठाया गया और उसका परिणाम क्या हुआ वह हमारे सामने है । इस प्रकार के सम्प्रदायी कदम हमको नहीं उठाना चाहिये । मगर इस देश में सत्ताधारी दल जो है, मैं समझता हूँ वह साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्साहन दे रहा है । इस तरह से कार्यवाही की जाती है वह अनावश्यक है ।

इसके बाद बंगाल में बंगला भाषा जहां पर बोली जाती है उन जिलों को बंगाल के लिये जाने की मांग की गई थी और मैं कहूँगा कि यह बिल्कुल वाजब मांग थी और यह तजवीज करदी गई थी कि वह इलाका इसमें मिलाया जा सकता है परन्तु वहां एक ऐसी अनावश्यक बात पैदा हुई कि बंगाल बिहार का विलय होना चाहिये ।

(घण्टी)

नहीं हुआ और जो बातें वहां पैदा हुई उसका परिणाम होना जो चाहिए वह हुआ । मैं इस पर ज्यादा नहीं कह कर अब राजस्थान पर आता हूँ । अजमेर और आबू को राजस्थान में मिला लिया गया इसके लिए तो सरकार के उपायों की निश्चित सफलता कहूँगा लेकिन मैं यह भी कहूँगा कि इसमें सरकार को सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये और यह भी होना चाहिये कि मंदसौर जो किसी जमाने में हमसे अलग करके मालवे में मिला लिया गया है और जिसके बहुत से गांव अभी भी उदयपुर डिवीजन से घिरे हुए हैं उसके लिये कोई जिक्र नहीं किया गया है जो बहुत जरूरी था । लोहारू राजस्थान का एक अंग है इसको मिलाने के लिये सरकार की तरफ से, प्रस्ताव होना चाहिये कि जो जो रह गये हैं उनको दिये जावें ।

अब हाईकोर्ट के जजों के बारे में समझता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं कह सकता । इस समय वकालत पेशे के वकील लोग ही इस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मैं कहूँगा कि यह जो कुछ हुआ है वह बहुत बुरा हुआ है ।

[रावत श्री शंभूसिंह]

हम इसको अपमान समझते हैं कि क्या वजह है कि जजों के वेतन का आपने इस प्रकार का भेद भाव इसमें रखा है। इस प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये।

राजधानी के बारे में काफी जिक्र हुआ है। आपने यह कहा कि जो सुविधाएं राजधानी के लिये होनी चाहिये उतनी अजमेर में उपलब्ध नहीं। अजमेर को राजधानी बनाने के लिये और विचार करने के लिये कुछ करना पड़े। जहां तक अजमेर का प्रश्न है मैं यह समझता हूं कि राजस्थान में बहुत से भाग ऐसे है जो अगर अजमेर राजधानी हो जाय तो नजदीक आ जाते हैं। जब सरकार इस बात पर विचार करे इसको ध्यान में रखे। आपने पानी की कमी व मकानों की कमी के बारे में कहा। मैं यह कहूँगा कि पानी की कमी दूर को जासकती है और इस सबन्ध में एक्सपर्ट से राय ली जा सकती है। इसके अलावा एतिहासिक दृष्टि से देखा जावे तो वहां पर रेजीडेन्ट ओफ राजपुताना का वह हमेशा से स्थान रहा है और भी एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर अजमेर को राजस्थान में विलय होने के बाद राजधानी बना दिया जावे तो यह अच्छा होगा। आपने कहा कि अजमेर के विलय होने के बाद जब प्रश्न आवेगा उस समय विचार किया जावेगा। मैं यह निवेदन करुंगा कि केन्द्र में होने की दृष्टि से विचार किया जा सकता है लेकिन चीफ मिनिस्टर ने अपने प्रस्ताव में इन बातों का जिक्र नहीं किया है, अब वे इसका जिक्र करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, इस वादविवाद में मैं सदन का ज्याद समय नहीं लेते हुए सिर्फ थोडी सी बातें आपकी जानकारी के लिये और आपके जरिये सदन के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष, हमारा देश सन् १६४७ में आजाद हुआ, उस समय हमारे मुल्क में करीब ५६२ देशी रियासतें थीं और कुछ राज्य ऐसे भी थे जो सीधे अंग्रेजों की हकूमत के आधीन थे। उसके बाद में ४८, ४६ में बहुत सी रियासतों का एकीकरण किया गया और नये विधान के मुताबिक हमारे मुल्क में ए. बी. सी. तीन प्रकार की स्टेटों का निर्माण हुआ और ३५ , ३६ स्टेटें रहीं। उसके बाद में इन राज्यों की संख्या घटा कर कम कर दी गई। मुल्क में राज्यों की संख्या घटा कर पहले १५ और अब ६ या ७ के लिये सिफारिश की गई है जो सीधे केन्द्रीय सरकार के आधीन हो।

माननीय अध्यक्ष, यह हमारे मुल्क की बहुत बडी खामी रही है कि उसमें ज्यादा राज्य रहें और वे केन्द्रीय सरकार पर आश्रित हों। जितने कम और बडे राज्य हों उतना ही अच्छा है और उसी हिसाब से बहुत बडा काम होता है। जितने बड़ा राज्य होता है उतना ही बड़ा काम होता हैं। जब बहुत बडा काम होता है तो कहीं कहीं कुछ गल्ती का रहना या होना स्वभाविक भी है। माननीय अध्यक्ष, इन छोटी छोटी बातों को मुल्क के लोग जो हमेशा बुराईयें देखने में लगे रहते हैं, उसको बुरी निगाह से देखते हैं। ज्यादातर मैं वास्तव में देखता हूँ कि यह राजनैतिक कारण से ऐसा हुआ करता है और ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे नुकसान होने की संभावना रहती हैं। बंबई में जो कुछ हुआ वह हमने अखबारो में देखा वह भी राजनैतिक कारण से हुआ। मगर मैं यह कहूँगा कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अभी यहां पर भी जो कुछ चर्चाएं हुई उनको मैंने अखबारों के जरिये पढ़ा और उसका रिएक्शन भी देखते हैं। माननीय अध्यक्ष, मुझे ऐसा

[श्री नाथूराम मिर्धा]

महसूस हुआ कि कुछ लोगों के दिमाग में ज्यादातर अपने पर्सनल ग्रीवेन्सेज की वजह से ही यह स्थिति और वातावरण पैदा किया गया। मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या उन लोगों की बुद्धिमता पर हसूं या रोऊं, कि जिन्होंने महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उन पर भी जूतों की माला पहनाने के लिये तैयार हो गये और यहां तक सोचने लगे कि महाराष्ट्र में बंबई को नहीं मिलाया जा रहा है, उसका कारण महात्मा गांधी थे। इस प्रकार की लोग बातें करते हैं। मैं कहूंगा कि उन लोगों का दिमाग सही नहीं था। इस वातावरण को देखते हुए हमारे नेता श्री जवाहरलालजी नेहरु ने जो देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते है और जिस तरह से पंचवर्षीय योजना को आगे चलाना चाहते हैं, उनका यह ईरादा हुआ कि कम से कम राज्य रहें और बड़े बड़े राज्य कायम हों। बड़े बड़े रखे हैं ताकि उनका शासन अच्छे ढंग से चले। सभी राज्यों में कोआर्डिनेशन हो। इन सब कार्यों के लिये एक निष्पक्ष कमीशन बैठा था और जैसी कमीशन ने सिफारिश की उसका फैसला होने के बाद जैसा कि सदा हमारे नेता करते रहे उन्हीं के मुताबिक इस पर भी निर्णय किया। उनके निर्णय से सब लोगों को सन्तुष्ट एक दम करना स्वाभाविक नहीं था हो सकता है इससे कुछ लोगों में असन्तोष हो किन्तु इस चीज को इस हद तक ले जाना जैसा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में हुआ, कुछ झगड़े टंटे हुए वह कतई वाजिब नहीं था। इस जनतन्त्रवाद में सब को अपने अपने विचार प्रगट करने की आजादी है। हमें इस स्वतंत्रता को किस रूप में आगे ले जाना है, यह भी हमारे मुल्क के लोगों के लिये विचारने की बात है

हमारे राजस्थान का प्रश्न जिस तरह से इस बिल में हल किया गया है, माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं माननीय सभी सदस्यों को इससे काफी सन्तोष है। यह प्रश्न जिस तरह से हल किया गया है उससे मुझे भी पूरा सन्तोष है। राजस्थान में जिन हिस्सों को वाजिब तौर से मिलाया जाना चाहिये था, वह इसमें मिला। आबू का इलाका मिला अजमेर का इलाका मिला लोहारू के इलाके को मिलाने के बारे में आयोग ने सिफारिश की थी किन्तु वहां के लोगों ने खास तौर से वहां की जो पंचायतों की चुनी हुई बोडीज थी उनका प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार के पास गया और केन्द्रीय सरकार के सामने सब परिस्थितियां रखी उन वजूहातों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने यह वाजिब समझा कि जिस तरफ यह लोहारू था उधर ही रहे। हम राजस्थान वालों को उससे कोई विशेष दुख नहीं। जिस तरह से और जिस प्रकार के फैसले इस अयोग ने इस मुल्क के हित में किये वे हम सब लोगों को मान्य होने चाहिये, हमने अपनी अपनी राय अलग अलग तरह से बताई यह हमको हक था लेकिन जो भी आयोग ने सिफारिश की है वह हम सब को मान्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble member will continue on next day Half an hour discussion raised by Maharaj Shri Kesari Singh,ji.

दो सौ रूपये से कम की जागीरें पुनर्गहीत करने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न पर आधे घंटे का वाद विवाद

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो प्रश्न मैंने तारीख २० मार्च, १९५६ को इस सदन में पूछा था वह इस प्रकार था ;

(क) "जो जागीरें सरकार ने अबतक खालसा की हैं, उनमें से कितनी जागीरें २०० रूपये से कम की हैं ?

(ख) वे कौन कौन सी और किस जिले में हैं ?"

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुख होता है...........

श्री अध्यक्ष—Only those points which were not covered that day, which the Hon'ble Member thinks were not appropriately replied, may be stressed.

महाराज श्री केसरीसिंह—Right. I come to the point.

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जागीर रिजम्शन एक्ट की तहत २०० रूपये से कम की जागीरें लेने के लिये वे गजट में शाया नहीं हुई हैं। जो गजट शाया हुआ है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"All jagirs, whether settled or unsettled, whose rental income is not less than Rs. 200 per year and does not exceed Rs. 5,000 per year should be rusumed on the 23rd August 1954".

दूसरा नोटिफिकेशन इस तरह का था उदयपुर, भीलवाड़ा, चितौड़, डूंगरपुर की कुछ जागीरें जब्त कर दी गईं, उसके अलावा फोर्मर राजस्थान स्टेट ने :—

"Jagirs in the area of the former Rajasthan State with an income below Rs. 5,000/- per year, the revenue whereof was not already being collected by Government on account of total income being divided by co-sharers as entered in the revenue records..."

श्री अध्यक्ष—Order! I think the Hon'ble Member is not quite clear. He should only refer those points for which he wants specific replies of the Government. Those points which are specifically mentioned in the notice given, he only read out and then the Hon'ble Minister will reply. If there is any ambiguity, any supplementaries can be tabled only by those who have supported the motion. there is no need to give introductory speech. Whatever are the points which are already mentioned should be stressed.

[श्री अध्यक्ष]

This is the procedure of half-an-hours discussion. Instead of wasting time of the House in speeches I will ask the hon'ble Member to put and dilate up the questions and then the Hon'ble Minister will reply.

श्री महाराज केसरी सिंह—खालसा हुई या नहीं।

श्री अध्यक्ष—On the one hand the Hon'ble member puts the question and he will reply it himself, that is not desirable. If there is any reply which has been inadequate on behalf of the Government and it needs further elucidation, on those very points, half-an-hour discussion is meant. These are the four points which the honble member has mentioned.

"Whether the Government has resumed jagirs below the income of Rs. 200/- ?

Whether jagirs below the income of Rs. 200/- have been resumed?

In what districts are they situated ?

Whether Compensation and rehabilitation grant have been paid to the Jagirdars of those jagirs".

These are the four points which should be only pressed, and replied. The Hon'ble Member should read them out and if there is any further ambiguity they can be asked or rather elucidated by only those members who have signed this half-an-hour discussion. This is the procedure which is evolved for this.

महाराज श्री केसरीसिंह—Whether the Government has resumed jagirs below the income of Rs. 200/- ?

How many jagirs below the income of Rs. 200/- have been resumed In what districts are they situated ?

Under what Act or Rules have these Jagirs been resumed by Government ?

Whether compensation and rehabilitation grant have been paid to the Jagirdarse of these jagirs ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—This was the original question ?

श्री अध्यक्ष—These are supplementaries. I think copy has been given.

(मुख्य मंत्री महोदय को एक प्रति देने के पश्चात्)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट करदूं फोमर्र राजस्थान में २०० या इसके अधिक आय की जागीरें सन् १६४६ से ही गवर्नमेन्ट के नियन्त्रण में थीं। जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अन्तर्गत जागीरों को खालसा करने का कार्यक्रम जून १६५४ से प्रारम्भ हुआ। कुछ जागीरदारों ने उक्त एक्ट की वैधानिकता के विषय में हाई कोर्ट में प्रार्थनायें कीं और वे प्रार्थनायें ता० २३-८-५४ को जोधपुर बैंच से खारिज कर दी गई। उसी दिन विज्ञप्ति नं० ४ (३८८) रेवेन्यू १।५३ ता० २३-८-५४ के द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित जागीरों को, जिनकी आय २०० से ऊपर थीं, चाहे वे बन्दोबस्ती थीं या नहीं ता० २३-८-५४ को खालसा कर ली गई। इसके बाद विज्ञप्ति ता० ४-१०-५४ को और प्रकाशित की गई कि ता० २३-८-५४ की विज्ञप्ति फोर्मर राजस्थान की उन जागीरों पर लागू नहीं होगी, जिनकी माली आय खुदाकाश्त के लगान को घटाने से २०० से कम होती है।

इन दोनों विज्ञप्तियों के अवलोकन से प्रकट होगा कि सरकारी आदेश केवल २०० या इससे अधिक आय की जागीरों को ही खालसा करने की थी और इसमें थी खुदाकाश्त की आय को मिनाह करने की रियायत देदी गई। इस प्रकार जो उत्तर प्रश्न नं० ४२ के क्रम में दिया था वह पूर्णत: ठीक था।

इस उत्तर में यह आपत्ति की गई है कि जागीर एडवाइजरी कमेटी कोटा की मीटिंग में यह स्वीकार किया गया था कि २०० से कम आय की जागीरें खालसा की गई हैं। इस संबन्ध में डिवि-जनल एडवाइजरी कमेटी की बैठक का दिनांक २२-१२-५५ का विवरण जो यहां प्राप्त हुआ है, उसके संबन्धित अंश इस प्रकार हैं :

"बून्दी डिस्ट्रिक्ट की कुल १२४ जागीरों में से जिनकी आमदनी २०० रू० सालाना से ज्यादा है, ११७ जागीरें खालसा हो चुकी हैं बाकी ७ देवस्थान की हैं।

झालवाड़ में अब तक १७४ जागीरें खालसा हुई हैं।

कोटा डिस्ट्रिक्ट में अब तक कुल ४५७ जागीरें खालसा हुई हैं। २७ जागीरें जो खालसा हो चुकी थीं परन्तु जिनकी आमदनी २०० रूपये सालाना से कम थी बहाल कर दी गई हैं।

६ ऐसी जागीरें जिनकी खुदाकाश्त जमीन की आमदनी के अलावा २०० से कम की आमदनी है और खालसा कर ली गई हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बून्दी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ६ केसेज थे, जिनमें ४ जागीरें तो खालसा की जा चुकी हैं और ५ के वास्ते जागीर कमिश्नरी में सिफारिश की गई है।

झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई भी जागीर खालसा नहीं की गई।

कोटा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ५ जागीरें हैं, जो खालसा हो गई थीं; बहाल कर दी गई हैं और ऐसे ७ केसेज पेन्डिंग हैं। डिप्टी कलक्टर जागीर कोटा ने प्रकट किया कि जो २००) से कम आय की जागीरें हैं और भूलवश खालसा की गई हैं, उनकी बहाली का कलक्टर साहेबान ही हुक्म दे सकते हैं।"

उपरोक्त इबारत से यही स्पष्ट होता है कि बूंदी के ६ मामलों में से ४ में उज्र ठीक नहीं पाया गया इसलिये जागीरें खालसा ही रखी गई और बाकी ५ को मुक्त कराने की स्वीकृति जागीर विभाग से प्राप्त की गई। इसी प्रकार कोटा डिस्ट्रिक्ट में १२ मामलों में शिकायत पेश हुई, जिनमें से ५ जागीरें मुक्त करदी गई और ७ में जांच की जा रही है और कलक्टर आवश्यक आज्ञा स्वयं दे सकते हैं।

कोटा डिविजन से ऐसे ११ केसेज जागीर विभाग में पहुँचे, जिनमें खुदकाश्त की आय कम करके २००) से कम वार्षिक आय होती थी या जहां जागीर मौके पर बांटी हुई थी और प्रत्येक हिस्सेदार की आय २००) वार्षिक से कम थी, उनको खालसा से मुक्त करने की स्वीकृति दे दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि २००) से कम आय की जागीर खालसा होने की कोई आज्ञा प्रचलित नहीं की गई है। दूसरा, यही नहीं खुदकाश्त भूमि की आय को काटकर यदि जागीर की आय २००) वार्षिक से कम होना साबित होता है तो ऐसी जागीरें भी खालसा से मुक्त कर दी जाती हैं, चाहे कुल आय २००) से कितनी भी अधिक क्यों न हो।

उपरोक्त नीति के अनुसरण में जहां कहीं गलतफहमी हुई, वहां शिकायत होते ही जांच कर जागीरों को मुक्त किया गया है। जिन मामलों में जांच हो रही है उनमें भी आवश्यक आज्ञा दी जावेगी।

उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले से तार द्वारा पूछने पर जो उत्तर आये हैं, उनसे भी यही प्रकट होता है कि २००) से कम आय वाली जागीरों का खालसा करने की वहां कोई शिकायत ही नहीं है। फिर भी ऐसा कोई मामला हो जिसमें किसी जागीरदार को उज्र हो तो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जागीर कमिश्नर के पास पेश कर सकते हैं। क्योंकि इस विषय में सरकार की नीति बिलकुल स्पष्ट है। जिन जागीरों को गलती से खालसा करना मानकर मुक्त किया जाता है उनकी सरकार द्वारा वसूल की हुई आय भी लौटा दी जाती है, ऐसी स्थिति में सरकार की नीति के विषय में शंका करना अनावश्यक है।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य नहीं है कि २००) से कम की आय वाली भी जागीर खालसा की गईं थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या जोधपुर में ?

श्री केसरीसिंह—जी नहीं, कोटा में। आज आप कह रहे हैं कि ऐसी जागीरें खालसा की गईं थीं, और पहले इसी सदन में प्रश्न पूछने पर कहा कि ऐसी कोई जागीर खालसा नहीं की गई तो इन दोनों में कौन सा उत्तर आपका सही माना जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दोनों ही। मैंने निवेदन किया कि जो खुदकाश्त का लगान था उसे और कुछ एरियर को मिलाकर उसकी आय चूंकि दो सौ से ऊपर हो जाती थी इसलिये उसके आधार पर खालसा की गई कुछ जागीरें। पर जब बाद में खुदकाश्त के लगान को काट कर बाद में जो लगान हो उसके आधार पर लेने सम्बन्धी विज्ञप्ति द्वारा यह खुलासा किया गया तो उस प्रकार की जागीरें मुक्त कर दी गईं। यह एक खास तरह की रियायत थी जो की गई।

श्री केसरीसिंह—यह विज्ञप्ति तो पहले भी मौजूद थी, जिस दिन आपने नहीं करने का जवाब दिया। तो फिर कौनसा स्टेटमेन्ट सही माना जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जो आपसे निवेदन किया कि दो सौ से नीचे की जागीरों को खालसा करने की कोई विज्ञप्ति या सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया। पर इसके बाद में जिन जागीरों को खुदकाश्त की इन्कम को कम किये बगैर टोटल रेन्टल इन्कम के बेसिस पर खालसा कर लिया गया था उनको वापिस करने का आदेश दे दिया गया और उस आदेश में उनकी खुदकाश्त की जमीन का रेन्ट कम करके अगर दो सौ या दो सौ से ऊपर की आय बनती है तो खालसा करने का सवाल पैदा होता है, नहीं तो खालसा करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। २३ अगस्त का यह आदेश था। पहले खुदकाश्त की रेन्ट भी शामिल गिनी गई थी इससे यह मुगालता सामने आता है।

श्री केसरीसिंह—जितनी भी दरख्वास्तें आईं वे सब खुदकाश्त के मामले को लिये हुई आईं थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपसे निवेदन किया।

श्री केसरीसिंह—ऐसे मामले किस जगह के कितने कितने आये; जिनमें खुदकाश्त का मामला था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया कि कहीं से ११ और कहीं से ५-७ की सूचना आई थी और वह मैंने आपके समक्ष स्पष्ट की।

श्री केसरीसिंह—तो फिर बीस मार्च को, अब कि इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया उस समय अध्यक्ष महोदय, ये बातें स्पष्ट क्यों नहीं की गई, आज ही ये सब क्यों कहा जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने बीस तारीख को जो कहा और आज भी जो कह रहा हूँ उसमें कोई अन्तर नहीं है। पहले इतना विवेचन नहीं किया गया था। आज कुछ ज्यादा विवेचन के साथ मैं कह रहा हूं। वैसे दोनों में कोई खास अन्तर नहीं है।

श्री भैरूंसिंह (१६)— जो जागीरें दो सौ से कम आय की थीं और जो अब मुक्त की जा रही हैं रिज्यूम करने के बाद, तो इनके बारे में क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश जागीरों के बाबत दरख्वास्तें ऐसी थीं जिनमें खुदकाश्त का लगान जोड़ लेने के कारण से रिज्यूम की जाकर, उसको कम करने के कारण, अब मुक्त नहीं की गई, बल्कि गल्लतीसे ही रिज्यूम करली गई थीं और गल्लती मालूम होने पर अब मुक्त की गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि जो सूचना प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि इसमें अब भी यह बात है कि खुदकाश्त के लगान का भी कारण है और दूसरा कुछ एरियर वाला भी प्रश्न है।

श्री भैरूंसिंह—इन कुल मामलों में खुदकाश्त के कितने केसेज थे और एरियर वाले कितने केसेज थे और गलती से रिज्यूम किये जाने के कितने केसेज थे ? कृपया यह अलग अलग बता दें तो अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ केसेज तो बता चुका हूँ। बाकी की जानकारी और करके बता सकूंगा।

श्री मानसिंह मद्दार—उनसे खर्चा क्यों वसूल किया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे इसका पता नहीं। इसकी जानकारी करने का प्रश्न है। असल में बात यह है, मैं और स्पष्ट कर दूं, कि फोर्मर राजस्थान में यह आर्डर था कि दोसौ या दो सौ से कम की जागीरें भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगी। सरकार के और इस आर्डर के हिसाब से वे जागीरें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भी रिज्यूम समझी जावें तो उस आर्डर के लिहाज से ये रिज्यूम हुई। अब दूसरा कानून बनने के बाद अब उनकी टोटल रेन्टल इन्कम में से खुदकाश्त की रेन्टल इनकम कम करके उसमें फर्क पड़ने से यह सारी कार्यवाही की जा रही है वापिस करने की। इसमें अब अगर खर्चे के वसूल करने का प्रश्न है तो इसको अलग से देखा जा सकता है। इसके बारे में मुझे जानकारी करनी होगी।

श्री केसरीसिंह—अगर सरकार ने गलती की है तो........

श्री अध्यक्ष—अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिये। गलती का सवाल नहीं है, यह तो कह रहे हैं अब तक।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गलती नहीं की, हम तो रियायत कर रहे हैं। यह रियायत का मामला है कि टोटल रेन्टल इन्कम में से खुदकाश्त की इन्कम कम करके हम २००) की इन्कम गिन रहे हैं।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भी जागीरें अब भी हैं कि जो खालसा की गई हैं और वापिस नहीं लौटाई जा रही हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे जानकारी प्राप्त नहीं है। पर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले से तार द्वारा पूछने पर जो उत्तर आये हैं उनसे यही प्रकट होता है कि दो सौ से कम आय वाली जागीरों की खालसा करने की वहां कोई शिकायत नहीं है।

श्री केसरी सिंह—क्या उदयपुर से सूचना नहीं मंगाई थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने पढ़ा तो है यह। वहां से भी यह सूचना मंगाई, पर आप जो कह रहे हैं वह सूचना प्राप्त नहीं है। इसमें तो यह सूचना है कि वहां इस तरह की जागीरों को खालसा करने की कोई शिकायत नहीं है।

एक माननीय सदस्य—क्या यह सत्य है कि........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने इसमें अपना कोई नाम दिया था? ये तो यों ही शिष्टाचार के नाते उत्तर दे रहे हैं और अब भी अगर शिष्टाचार के नाते से जवाब दें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री केसरीसिंह—क्या बालमनगर तहसील में पचेवर और बेंकरी दो गांव हैं, वे भी रिज्यूम कर लिये गये हैं ? यह सच है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे पता नहीं, जानकारी करूंगा। बाकी अब तक जो सूचना मिली है उसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया ही है।

श्री केसरीसिंह—जिस नोटिफिकेशन के लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि दो सौ से नीचे वाली जागीरों को जब्त नहीं किया गया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अब भी कह रहा हूं।

श्री केसरीसिंह—की गई हैं।

श्री अध्यक्ष—There is some confusion some where, I do not know.

श्री केसरीसिंह—यह स्पष्ट है कि खालसा की गई और अब वापिस की जा रही हैं और जागीर कमिश्नर से उनके लिये मन्जूरी मांगी जा रही है। जब कि पहले इस सदन के सामने मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष—The cunfusion still prevails.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रश्न यह था कि २०० से ऊपर वाली और दो सौ तक की आमदनी वाली जागीरों को जब्त किया जाय। अब दो सौ से जिनकी टोटल रेन्टल इन्कम होती थी उनको जब्त किया गया, वे रिज्यूम की गई और इस संबन्ध में फोर्मर राजस्थान में जो कानून था उसके मुताबिक कार्यवाही की गई और उस वक्त के आर्डर के हिसाब से जो स्टेट मैनेज्ड जागीरें थीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में लिया गया। पर इसके बाद जो नया कानून बना उसके मातहत उनकी कुछ की अलग स्थिति बन गई। इस पर उन केसेज को एग्जामिन करना जरूरी था। जो खुदाकाश्त की इन्कम उसमें से घटानी थी टोटल इन्कम में से तो इस पर उनकी एपलीकेशनें लेकर सारे केस एग्जामिन किये गये और अब जो खुदकाश्त की इन्कम टोटल इन्कम में से कम करने से जांच के सिलसिले में दो सौ से कम की निकली उनको भी रिलीज किया जा रहा है। इसमें कोई आर्डर नहीं किया गया उनके लिये। पर इन्डिवुजुअल केसेज को तो एग्जामिन किया जावेगा। अब उनकी खुदकाश्त की इन्कम को कम करने का फैक्ट सामने आया है तो उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री केसरीसिंह—तो वह फैक्ट पहले सामने नहीं था क्या ? यह मामला ४-११-५५ का और २२-१२-५५ का है और इससे पहले ये जागीरें खालसा की गई थीं। इसके बावजूद प्रश्न के वक्त यह जबाव दिया गया कि कोई जागीर ऐसे खालासा नहीं की गई। तो इस प्रकार सदन में उस दिन गलत जबाव दिया गया।

श्री अध्यक्ष—He contends that it is written that jagirs below rupees 200 are resumed. He says that in those minutes it is written that those jagirs which are below 200 were confiscated.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खुदकाश्त की इन्कम को जोड़कर जिनकी २०० की इन्कम पूरी हो जाती है। उनको रियलाइज करने की बात ऐसी आ रही थी कि खुदकाश्त की इन्कम को डिडक्ट करना है। तो यह समझने की बात आती है। वे टोटल इन्कम के पोइन्ट आफ व्यू से रिज्यूम की गई है, २०० से कम वाली नहीं की गई हैं।

श्री केसरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो खलासा की गई हैं बिना आदेश तो उनके साथ क्या कार्यवाही की गई है, की जायगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—किसके खिलाफ कार्यवाही ?

श्री केसरीसिंह—जिन्होंने यह काम किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिसके लिए कार्यवाही करने का प्रश्न हो। यह एक रियायत है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। जो एप्लीकेशन देंगे तो मामला लिया जा सकता है। (श्री हिम्मतसिंह अटरू के खड़े होने पर) आप भी साथ में हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष—जो लिस्ट दी है उसमें तो दस्तखत हैं ही।

श्री हिम्मतसिंह—२०० की जागीरें रिज्यूम करली गई गलती से।

श्री अध्यक्ष—गलती कहां एडमिट करते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—एडमिट तो अपने आप ही समझिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह केलूक्यूलेशन की बात है। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि आप भी फार्मर राजस्थान को बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि सब जानते हैं कि पहले फोर्मर राजस्थान में २०० तक की इन्कम की जागीरें स्टेट मेनेज्ड थीं। उनके सिवाय नई को रिज्यूम नहीं किया गया है और जो प्रश्न आज उठ रहा है वह उन्हीं जागीरों के बारे में हो रहा है।

श्री हिम्मतसिंह—आप कुछ मुगालते में हैं कि २०० से कम के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज नहीं लिये हैं और २०० से ज्यादा के लिए......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप यह भूल करते हैं। जब यह कहते हैं कि २०० के नीचे की ली हैं। मैंने तो कहा था कि २०० तक की ली हैं।

श्री हिम्मतसिंह—लेकिन सवाल तो यह है कि २०० की इनकम के नीचे की जागीरें हैं उनको खालसा किया गया है गलती से।

श्री गोपीलाल यादव—किया ही नहीं, वे कह रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह—यह फेक्ट्स हैं.......

श्री अध्यक्ष—You address the chair.

श्री हिम्मतसिंह—Yes, Sir. मैं यह कह रहा हूं कि २०० के नीचे की जागीरें खालसा कर ली गई हैं गलती से या किसी तरह से, वे वापिस दी जा रही हैं लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रटिव चार्जेज काटे हैं, वे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज उन्हें वापिस मिले हैं या नहीं, अगर काट लिये गये हैं तो क्यों न दिलाये जांय?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया था कि यह अलग से प्रश्न है जिसको एक्जामिन कर के निर्णय करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह—दिलायेंगे या नहीं, यह बात कहिये।

श्री अध्यक्ष—निर्णय करेंगे। मन्डे को किस वक्त मीट करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मन्डे को सुबह देर हो जायगी इसलिए ११ बजे मिल लें।

श्री अध्यक्ष—If the Leader of the House says so, I have no objection.

(चारों ओर ४ बजे की आवाजें)

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ (प्रवर समिति को)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एडजर्न करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (एमेन्डमेंट) बिल जो कि सदन में कल पेश हुआ था उसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात थी। वह एक ऑर्डीनेन्स है जो कि एक्सपायर हो सकता है........

श्री अध्यक्ष—उसको पूरा कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसकी १५ तारीख की लास्ट डेट है जो कि एक्सपायर हो जाय अगर हम आज नहीं करेंगे तो। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम वक्त के अन्दर सिलेक्ट कमेटी से वापस लाकर हाउस में पास करायेंगे। इस दौरान में वह आर्डीनेन्स की डेट एक्सपायर हो जायगी तो बहुत मुश्किल हो जायगा। उसके लिए सिलेक्ट कमेटी के नाम भी आ चुके हैं। उसकी जल्दी करने वाले हैं वापिस मिलने की। उस रोज दोपहर को तीन बजे मिल लें।

श्री श्रीदास गोयल—भरतपुर, करौली और गंगापुर से बस से आना पड़ेगा, इसलिए ४ बजे ठीक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह ठीक है।

श्री जवानसिंह—अभी उस पर बहस चल रही है जब तक बहस खत्म न हो जाय तब तक सिलेक्ट कमेटी के बारे में जाने का विचार कैसे होगा।

श्री मानसिंह महार—काफी टाईम चाहिए, बोलना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—बहस हो गई है।

श्री मानसिंह महार—एमेन्डमेन्ट्स पर राइट ऑफ रिप्लाई बाकी है।

श्री भैंरू सिंह—अभी बाकी है।

श्री अध्यक्ष—आप सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव नहीं चाहते हैं।

श्री भैंरू सिंह—जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(श्री मानसिंह को लक्ष्य करके) आपका भी तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव है।

श्री मानसिंह महार—टाइम से एग्री नहीं करता हूँ। ४ दिन का जो समय रखा जाता है उस टाइम से एग्री नहीं करता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—आपका अमेंडमेंट आर्डर में नहीं है। टाईम में नहीं आया है।

श्री मानसिंह महार—मेरा अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गया है। मैं बोल चुका हूँ। टाइम पर आने का सवाल ही एराइज नहीं होता है। It was to be seen by the Treasury Benches on that day.

श्री अध्यक्ष—जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे दीजिये। We will sit more and pass it.

श्री भैंरू सिंह—इसमें तकाजा क्या है परसों ले लेंगे। चार बजे पास कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—The reason has just been told.

श्री भैंरू सिंह (१६)—तारीख पास हो जायगी और अमेन्डमेंट्सलेप्स हो जायेंगे। बिल पास नहीं हो, सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय; यह सब खत्म हो जाय, यही हम सब चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—The wish of a particular member of a minority party can not prevail. He can only have the say. I can give him the time as much as he wants, but the wish of the majority will prevail.

श्री भैंरू सिंह—मेजोरिटी के हाथ में....

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member wants to speak I can give him time, otherwise I will put it to question.

श्री भैंरू सिंह—मैं बोलना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—On point of information, Sir, how long we are to sit for today ?

श्री अध्यक्ष—It depends on the co-operation of the Hon'ble Members. It was decided to be referred to the Select Committee. Enough debate has been continued on this and various view points have been expressed. The Treasury Benches have agreed to refer it to the Select Committee. What is the harm ? I cannot understand the attitude of the Hon'ble Member for non-cooperating? The whole day was spent on its discussion. Let the report of the Select Committee come and the Hon'ble Member will have an opportunity again to discuss it. There is no harm to pass it at this satge.

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह बिल बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—We are not going to pass the bill here now. It is going to be referred to the Select Committee.

श्री भैंरू सिंह—चार दिन का समय लेकर पास करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—And who knows what will be the fate of the bill.

श्री भैरूं सिंह—जैसा कि लीडर ऑफ दी हाउस ने कहा है कि हम पास कराना चाहते हैं वैसे ही हम भी चाहेंगे कि दुबारा इम्प्रेस करें कि इस बिल को पास नहीं करें।

श्री अध्यक्ष—No, No. Treasury Benches have known the reactions of the various groups of the House over the bill, and now it is being referred to the Select Committee. Who knows whether it will be passed in the form as it is before the 14th or 15th as the date goes. I think the Hon'ble Member will have again an opportunity to disscuss it.

श्री भैरूं सिंह—उस दिन भी इनका बहुमत रहेगा।

एक माननीय सदस्य—बहुमत तो रहेगा ही।

श्री अध्यक्ष—That cannot be shaken.

श्री भैरूं सिंह—हम चाहते हैं कि हाउस को दुबारा इम्प्रेस किया जाकर बिल को किसी न किसी भी तरह पास न होने दें।

श्री अध्यक्ष—I have every sympathy with the Hon'ble Member, but I can't help it.

श्री भैरूं सिंह—तो मैं अपनी ड्यूटी अदा करूंगा, माननीय अध्यक्ष।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक के संबंध में इस सदन में काफी चर्चायें हुई हैं। इस पक्ष की ओर से व सत्तारूढ़ दल की ओर से भी इस बात की शिकायत की गई कि जो तरीका इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक के द्वारा अपनाया जा रहा है तो मूल कानून में संशोधन करने का तरीका किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उसमें चार बातों की ओर संकेत किया गया था। उन चार बातों का उत्तर माननीय मंत्री ने सदन को कन्विन्स करने के लिए नहीं बल्कि मैं तो अब ऐसा समझ पाया हूं कि केवल इस अभिमान से कि हमारा वोट्स में बहुमत है, सदन कन्विन्स्ड हो या नहीं हो, विरोधी दल के सदस्यों को संतोष हो या नहीं, जनता उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं, लेकिन बहुमत हमारे पक्ष में है, इसलिए हम तो हर प्रकार की कोशिश करके इस कानून को पास करवायेंगे।

प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के तरीके के बारे में उन्होंने सदन को मुगालते में डालने का प्रयत्न किया और उस मुगालते में डालने की बात को लेकर भी उन्होंने भारत के इलेक्शन कमीश्नर श्री सुकुमार का भी उल्लेख किया और उन्होंने यह भी बताया कि श्री सुकुमार से प्रोपोर्शनल इलेक्शन के सम्बन्ध में उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी उनसे क्या बातचीत हुई और....

श्री अध्यक्ष—What is the relevancy of all these references by way of reply ?

श्री भैरूंसिंह—उन्होंने जो जवाब दिया है माननीय अध्यक्ष, उसके लिए निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष—What are the salient points ? They must be raised, instead of adamant attitude of opposition.

श्री भैरूंसिंह—जो कुछ बातें माननीय मंत्रीजी ने कहीं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ, नई नहीं जोड़ रहा हूँ। उस वक्त उनकी जो बात चीत हुई उसका उन्होंने उल्लेख किया लेकिन यह नहीं बताया कि क्या बातचीत हुई। यदि इस प्रकार की राय बना दी जैसा कि मंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि कमीशन के सामने नया पॉइन्ट रखा है, यदि सदन के सदस्यों को लेजाकर उल्लेख करते और प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का खास उल्लेख करते कि आप कैसे करवा रहे हैं, और यदि वे दोनों पॉइन्ट ऑफ व्यू को देखते तो मुझे विश्वास था कि वे उसको कभी स्वीकार नहीं करते। प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका कठिन है और उसके लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। कोई भी तरीका निर्धारित करे डेमोक्रेसी में उस वक्त उसको उचित कहा जाय जब कि उसकी जानकारी सदन को दे दी जाय और सदन की उस पर स्वीकृति हो लेकिन ब्लेन्क चैक पर दस्तखत करवा लेना, सरकार जैसा चाहेगी वैसा निर्णय करेगी, चूंकि उनके साथ बहुमत है, मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और खतरनाक है और जनता का गला घोटने वाली है। बहुमत के आधार पर करा लेते हैं लेकिन सदन को जानकारी तो दें कि किस तरह से चुनाव करा रहे हैं। लेकिन जानकारी नहीं देते हैं चुनावों के तरीके कि और यह बहुमत के आधार पर सरकार चाहेगी जैसा निर्णय करेगी तो यह सदन के लिए भी शोभाजनक चीज नहीं होगी। मामले सरकार के इशारे पर होंगे, यह जो अनिश्चित योजना है उसको सरकार चाहेगी उसी प्रकार निर्णय करावेगी, जो योजना हमारे सामने नहीं है, जो कि सदन में प्रस्तुत होना चाहिए थी अगर उसके लिए इस प्रकार कहा जाय तो वह बुरा लगता है। मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह इस प्रकार एक अनिश्चित योजना है, गलत दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है, अगर उसको बहुमत के आधार पर स्वीकृति प्रदान करें तो शोभाजनक नहीं होगा और किस प्रकार जनता इसको एप्रिशियेट करेगी, मैं समझता हूँ कि जनता इसको कभी एप्रिशियेट नहीं करेगी। इस प्रकार की चीज नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रिजोल्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कार्यों का, चुनावों का, जो उल्लेख आया है, उसके लिए कोई तरीका सदन में नहीं बताया जाय यह अन्यायपूर्ण है।

माननीय मंत्रीजी ने एक बात अजीब कही कि सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सजग है और ईमानदारी से काम कर रहा है और उन्होंने एक मेम्बर के खिलाफ कार्यवाही की। क्या कार्यवाही की।

[श्री भैंरू सिंह]

एक मेम्बर को सजा देनी चाहिए थी लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि सन् १६५२ में जिस व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से १५००) दिये गये उस व्यक्ति ने वह रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जमा नहीं कराया और तीन वर्ष बाद उस व्यक्ति के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, यह राजस्थान सरकार की बदकिस्मती है और....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—What is the use of repeating it ?

श्री भैंरू सिंह—१५००) रु० खा गये मेरी तहसील का, कैसे नहीं कहूं माननीय अध्यक्ष, मुझे तो फील होता है। बार बार कहने से उनको कुछ तो फील हो।

श्री अध्यक्ष—होने दें फील। But the thing should not be repeated.

श्री भैंरू सिंह—चोरी की बात है माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—The resolution takes away its force and this is not the way of debating.

श्री भैंरू सिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि कहा यह गया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहुत सजग हैं और कार्यवाही ईमानदारी से कर रहे हैं।। सन् ५२ में रुपया दिया गया और सन् ५६ तक रुपया जमा नहीं कराया और एक प्रस्ताव पास किया चार वर्षों के बाद और इस प्रकार फिर आप उनकी तारीफ करके आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जिन्दा रखना चाहते हैं, वह न आपके लिये शोभा की चीज होगी और न हमारे लिये भी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रोप्रोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन का जो काम है, वार्ड्स बनाने का जो काम है, चुनाव करवाने का जो काम है, और जैसा आप चाहते हैं उसको उसी प्रकार रखना चाहते हैं, तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप सदन के सदस्यों से पूछिये लेकिन जनता से जाकर पूछें कि आपकी क्या राय है, आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रखना चाहते हैं, यदि रखना चाहते हैं तो फिर चुनावों का कौन सा तरीका हो तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इस तरह से रुपया खा गये हैं उनके, जनता से पूछेंगे तो जनता हर्गिज इनको कायम रखने की राय नहीं देगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो ईमानदारीके कारनामे हैं उनको देखकर आपका भी हृदय पिघलेगा, आप भी सोचेंगे कि जनता से जो रुपया पैसा इक्ट्ठा किया गया है, नोमिनेटेड बोर्ड वे वसूल कर रहे हैं उनका इस तरह से क्या दुरुपयोग हो। तो अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सारी बातों की जानकारी के लिए इसको सदन में इस प्रकार से बहुमत से पास करने से काम नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मूल स्थान का सम्बन्ध है, इसमें कई अमेंडमेंट हो सकते हैं और इसके लिए जनता की जानकारी करें तो अच्छा होगा। सदन से अंत में मैं निवेदन करता हुआ कहूँगा कि इसको जनता की राय

[श्री भैंरूंसिंह]

को जाने ने के लिए प्रसारित करें तो अच्छा होगा, इससे फायदा यह होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नोमिनेटेड हैं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और उन्ही को वापिस जिंदा रखने के लिए सरकार जो यह कानून बना रही है उससे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग करके वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिये जांय तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर वाकई आप नोमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से अधिकार लेना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में फैली अनडेमोक्रेटिक चीज़ों का आप समाप्त करना चाहते हैं, उनको अधिकार देना चाहते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को डिजोल्व करना चाहते हैं, तो उनको डिजोल्व करें, अगर इस प्रकार का विधेयक बनाना चाहें तो सहर्ष विरोधी दल उसको स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हीं को जो जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है उसको आप बहुमत से पास करालें, हमारी आत्मा कहती है कि जनता इसको कभी नहीं चाहेगी कि ये इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट बोर्डस कायम रहें। अंत में मैं फिर करूंगा कि जनता की राय यह है कि आप इसको जबरदस्ती पास न करायें, आपकी कद्र बढ़ेगी और सरकार की शोभा बढ़ेगी और जनता समझेगी कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी आप इसको पास करवाना चाहते है, विरोधी दल का जो काम है उसने किया, आपका काम है बहुमत के दुरुपयोग करने का। इतना ही कह कर मैं इसको सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री लादूराम—माननीय अध्यक्ष,........

(घंटी)

राज श्री हिम्मतसिंह—पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— बाद में देते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है जिसमें दो माह की अवधि दी गई है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैंरूंसिंहजी ने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक, १९५६ को जनमत को प्रसारित करने के लिए रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

Page No 94

श्री भैंरू सिंह—हां पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य (राज्य पक्ष से)—ना पक्ष जीता।

श्री भैंरू सिंह—हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—उस पर डिविजन चाहें तो ले लीजिये।

श्री भैंरू सिंह—नहीं साहब इस पर भी।

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री भैंरू सिंह—हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष—क्या नेम्स रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं ?

श्री भैंरू सिंह—जी हां।

श्री भैंरू सिंह—जो इसके पक्ष में हैं उनके नाम रेकॉर्ड कर लिए जांय। जो इसके पक्ष में हैं वे खड़े हों।

[निम्नांकित सदस्य पक्ष में खड़े हुए :

श्री भैंरूसिंह, श्री जगतसिंह झाला, श्री मानसिंह महार और श्री संग्रामसिंह।]

श्री अध्यक्ष—There will be no proxy for this. जो न्यूट्रल हैं वे खड़े हो जावें।

श्री भैंरू सिंह—जो न्यूटरल हैं उनको क्यों काउन्ट करें ? वे तो वैसे ही न्युट्रल हैं।

श्री अध्यक्ष—जो इसके पक्ष में हैं वे खड़े हो जावें।

[श्री अध्यक्ष]

(अधिक मत आने पर)

So the No shave ,the Noes have it. The amendment is defea d.

(विराम)

श्री महार का संशोधन जो था वह श्री हरिकृष्ण व्यास के संशोधन में आवृत्त हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन उक्त विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए रखा गया है श्री सोहनलाल द्वारा उसके वर्डिंग्ज पढ़े देता हूं :

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of the following Members, the report of which should be submitted within four days:-

1. Shri Badri Lal.
2. „ Badri Prasad Gupta, Member-in-charge.
3. „ Dwarka Das Purohit.
4. „ Gulab Chand Kasliwal.
5. „ Nathuram Mirdha.
6. „ Sohanlal Bhatnagar.
7. „ Jawan Singh.
8. „ Sardar Singh.
9. „ Bhairon Singh.
10. „ Sribhan Singh.
11. „ Hari Singh.
12. „ Hans Raj Arya.
13. „ Motilal Chaudhry.
14. „ Sridass Goyal-
15. „ Man Singh Mahar.
16. „ Ganpat singh.

श्री भैंरू सिंह—भैंरू सिंह के डिविजन नंबर क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—९, आप ही हैं।

श्री हिम्मतसिंह—श्री गनपत सिंहजी यहां नहीं हैं, उनके बजाय श्री शंभूसिंहजी को ले लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—इसमें गणपतसिंहजी का नाम कहां है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ :

(नामावली पुनः पढ़ने के पश्चात्)

Shri Ganapat Singh's name should be replaced by Shri Shambu Singh.

(स्वीकृत)

Shri Badri Lal will act as Chairman. The motion is carried. Within four days report will be submitted to the House.

श्री जवानसिंह—Four clear days, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Within four days. We adjourn to Monday at 3 P. M.

(तत्पश्चात् सदन की बैठक सोमवार दिनांक ९ अप्रेल १९५६ को अपरान्ह ३ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, ६ अप्रेल, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदयों की अनुमति है)

३३६. (३३।पी. डब्ल्यू. एम.) **श्री जगतसिंह झाला, एम० एल० ए० डिविजन नम्बर ६४**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सरकार ने चित्तौड़ जिले में कौन २ सी नई सड़कें बनाने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या सरकार बड़ी सादड़ी से चित्तौड़, निम्बाहेड़ा से बड़ी सादड़ी, राश्मी से कपासनी, हमीरगढ़ से राश्मी तथा फतेनगर से बड़ी सादड़ी की सड़कों को बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) अभी निर्णय नहीं हुआ है।

(ख) हां, विचार किया जायेगा।

३४४. (११।एस. आर. एम.) **श्री तनसिंह, एम० एल० ए० डिविजन नम्बर १४८**—क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में हाथ बनाये कागज़ों के उत्पादन के लिए कितनी सहकारी संस्थायें हैं और वे कहां २ हैं ?

(ख) अब तक उन संस्थाओं को सरकार की ओर से क्या क्या आर्थिक सहायतायें दी गई ?

(ग) ऐसी प्रत्येक सहकारी संस्था की आर्थिक स्थिति क्या है ?

उत्तर

(क) ४; सांगानेर, अलवर, कोटड़ी और गासुन्डा ।

(ख) इन समितियों को जो आर्थिक सहायता दी गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) प्रत्येक समिति का संतुलन चित्र (Balancesheet) सदन की मेज पर रख दिया गया है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट प्रगट होती है।

विवरण-पत्र

क्र० सं०	नाम समिति	साल	सरकार द्वारा		अखिल भारतीय हाथ कर्घा बोर्ड द्वारा		केन्द्रीय बैंक द्वारा
			ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
(१)	हैंडमेड पेपर मेकर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि०, सांगानेर।	१६५२-५३	—	—	—	२३२२८)	८०००
		१६५३-५४	—	—	४६०००)	३३६००॥)॥	—
		१६५४-५५	१०,०००)	—	—	—	—
(२)	कुटीर उद्योग सहकारी समिति लि०, अलवर		—	—	१०५००)	७५००)	—
(३)	हैंडमेड पेपर मेकर्स सहकारी समिति लि०, कोटड़ी		—	—	१२५००)	१२५००)	—
(४)	गोसुन्डा हैंडमेड पेपर मेकर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, गोसुन्डा		—	—	१७५००)	१२५००)	

Page No 99

बेलेन्सशीट आफ दी हैन्डमेड पेपर मेकर्स को०सो० लि०, सांगानेर ता० ३० जून सन् १६५५

(जिम्मेदारी)				(पूंजी)
शेयर मेम्बरान्	११३१६|||≶)	तहवील		२३४≶)||
लौन	४६३३३।-)	स्टाक पेपर		
			६७३६|||)||	
			१५०६)	८२२७|||)||
क्रेडीटर्स मेम्बर	२८७६३।≶)।			
डिपोजिट सदस्य	४३०३)|||	कच्चा माल		५०६६||-)||
अदर फन्ड	२७८२=)|||	मशीनरी		
			६३७६६।-)|||	
		लेशड प्रोसैन्श		
			६३७६।-)|||	५७४१७)
रिजर्व फन्ड	१७७)	बिल्डिंग		
			४३५५।)।	४१३८)
बिल्डिंग फन्ड	५२७|||-)।	लेशडि प्रोसैन्श		
			२१७।)	
मशीनरी रिजर्व फन्ड	२६०००)			
ओफिस किराया	२१०)	फरनीचर इत्यादि		
			१२७२≶)	१२४०)
ब्याज	२७१||=)||	लैशडि प्रोसैन्श		
			३२≶)	
बड़े व अन्य फन्ड	१२०||)			
अनडिस्ट्रीब्यूटेड	५५७८||=)|||	शेयर खरीदा		३५०)
प्रोफिट		बैंक आफ जयपुर		१५०|=)|||
सस्पेन्स अकाउन्ट	२४|≶)	सेन्ट्रल बैंक खाता नं० १		३०४८-)||
		,, ,, ,, २		३५२२≶)||
	टोटल—१३२४३६-)।	डेबीटर्स मेम्बर्स	२३६४||-)।	
		नौन मेम्बर्स	१५३७७=)|||	१७७७१|||)

सिक्योरिटी डिपोजिट	६२५)
अडवान्स	१०३०॥)
नेटलाभहानि	२६६१७॥)
टोटल	१३२४३६-)।

बेलेन्स शीट कुटीर उद्योग सहकारी समिति लि०, अलवर

१२-३-५६

देनदारी	रु०	लेनदारी	रु०
हिस्सा पूंजी	३७२०-०-०	नकद रकम हाथों में	८५-३-३
ऋण अखिल भारतीय			
खादी बोर्ड, बोम्बे	१०५००-०-०	जयपुर बैंक	१४७०६-४-०
किराया मकान	४०-०-०	स्टाक	५७४-०-०
बिजली खर्चा देना	१०-०-०	मशीनरी	१६४२-४-०
लाभ	५२४२-७-६	फरनीचर	१४५-०-०
		वास्ते मरम्मत	
		सामान स्टाक में	१३४-१२-३
		पेशगी दिया	१६२५-०-०
योग	१६५१२-७-६	योग	१६५१२-७-६

१. डिप्रिसियेशन १० प्रतिशत लगाये गये प्लान्ट और मशीनरी तथा फरनीचर फिक्सचर आदि पर।

बेलेन्स शीट हैन्ड मेड पेपर मेकर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कोटड़ी

३१-१२-५५ तक

पूंजी		देनदारी	
कर्जा जिम्मे मेम्बरान	८२७।-)	अमानत मेम्बरान	४५४॥।)॥
सेविंग्स बैंक, कोटा	१६७८॥।)	कर्जा बैंक	—
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट	१०)	रकम हिस्सा मेम्बरान	१८२)
हिस्सा बैंक	५०)	कर्जा अखिल भारतीय ग्राम	
		उद्योग मंडल से	१२८७८॥-)

चल्लू खाते	११४८)		
महाराष्ट्र सेवासंघ, पूना	४०००)	सबसिडी प्राप्त अखिल भारतीय ग्राम उद्योग मंडल द्वारा	१२५००)
स्टाक	३८४॥≡)।		
रोशन	४॥=)		२६०१५।-)॥
	२५७०३॥=)।		
नुकसान	३११॥≡)।		
	२६०१५।-)॥		

वेलेन्स शीट गोसुन्डा सहकारी समिति लि०, गोसुन्डा

३०-६-५५

जिम्मेदारी	रकम	पुंजी	रकम
वसूल शुदा हिस्सा पूंजी	५५-४-०	रोल हाथों में	१२३६-२-०
ऋण व अमानतें		राजस्थान बैंक में	
		कोल डिपोजिट	२७५००-०-०
ऋण अखिल भारतीय	३०,०००-०	करेन्ट अकाउन्ट	१०८७-६-३
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से	१७५००	सदस्यों पर ऋण	१५-०-०
अनुदान	१२५००	ब्याज वसूल करना	१०१-६-०
ब्याज देना	१३८-६-०	स्टाक	१६०-२-०
		नुकसान	१७३-१२-०
	योग ३०,१६३-१३-०		योग ३०,१६३-१३-०

३५४. (१३१एस.आर.एम.) श्री भैरोंसिंह, एम.एल.ए., डिवीजन नम्बर १६:—

क्या मंत्री, पृथक राजस्व विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में पान पर बिक्री कर लागू होने के कारण पान के दुकानदारों को काफी असुविधा हुई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पान को बिक्री कर से मुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३३८ का उत्तर देखिये)

१ जनवरी, १९५५ के बाद १ मार्च, १९५६ तक वन विभाग में नये नियुक्त कर्मचारियों की सूची

नाम कर्मचारी	योग्यता	पद
९. श्री जगदीश कुमार	नोन मेट्रिक टाइपिस्ट	लोअर डिविजन क्लर्क
१०. श्री जगदीश सिंह यादव	मेट्रिक	"
११. श्री रतनलाल शर्मा	बी. ए. फेल	"
१२. श्री सोमदत्त	मैट्रिक	"
१३. श्री ज्ञान चन्द	बी. ए	"
१४. श्री कन्हैया लाल	मैट्रिक	"
१५. श्री अब्दुल लतीफ	"	"
१६. श्री देवीलाल	नोन मैट्रिक	"
१७. श्री राम चन्द्र	मैट्रिक	"
१८. श्री रावत सिंह	"	"
१९. श्री खेम चन्द	"	"
२०. श्री शिव चन्द	"	"
२१. श्री आसा नन्द	नोन मैट्रिक	"
२२. श्री लछमण सिंह	सर्वे का ज्ञान	इन्सपेक्टर फारेस्ट सेटलमेंट सर्वेयर
२३. श्री भंवरदान	"	"
२४. श्री हरीसिंह	"	"
२५. श्री छबिलाल सिंह	"	"
२६. श्री पदम लोचन	"	"
२७. श्री कान सिंह	"	"
२८ श्री मान सिंह	"	"
२९. श्री सूर्य प्रसाद	"	"
३०. श्री हरिश्चन्द्र	मैट्रिक	फोरेस्टर

Page No 103

३१. श्री मोहन लाल	मैट्रिक	फोरेस्टर
३२. श्री छेत्रपाल	,,	,,
३३. श्री प्रताप सिंह	हिन्दी पढ़ा लिखा	,,
३४. श्री खुमान सिंह	,,	,,
३५. श्री मोहन सिंह	,,	,,
३६. श्री उदय लाल	,,	,,
३७. श्री गुलाब सिंह	,,	,,
३८. श्री केशव लाल	मैट्रिक	,,
३९. श्री बापूराव	,,	,,
४०. श्री रामेश्वर प्रसाद	नोन मैट्रिक	,,
४१. श्री रणवीर सिंह	मैट्रिक	,,
४२. श्री दुर्गाशंकर	नोन मैट्रिक	,,
४३. श्री किशन सिंह	मैट्रिक	,,
४४. श्री सूरज मल	,,	फोरेस्ट गार्ड
४५. श्री प्रभूलाल	मामूली पढ़ा लिखा	,,
४६. श्री राम गोपाल	,,	,,
४७. श्री अब्दुल करीम	,,	,,
४८. श्री मोती	,,	,,
४९. श्री मांगीलाल	,,	,,
५०. श्री सूरजमल	मैट्रिक	,,
५१. श्री छीतरलाल	,,	,,
५२. श्री ओंकार सिंह	मामूली पढ़ा लिखा	,,
५३. श्री जगदीश	मैट्रिक	,,
५४. श्री बद्रीलाल	मामूली पढ़ा लिखा	,,
५५. श्री नन्दा	,,	,,
५६. श्री छोटू सिंह	,,	,,
५७. श्री भंवर लाल	,,	,,
५८. श्री छाजूराम	,,	,,
५९. श्री हजारी लाल	हिन्दी पढ़ा लिखा	,,

Page No 104

६०. श्री शमशुद्दीन	हिन्दी पढ़ा लिखा	फोरेस्ट गार्ड
६१. श्री मूलचंद	"	"
६२. श्री जगन्नाथ	"	"
६३. श्री राम करण	"	"
६४. श्री राम गोपाल	"	"
६५. श्री कल्ला	"	"
६६. श्री रामगोपाल	"	"
६७. श्री रामचरण	नोन मैट्रिक	"
६८. श्री मोहन लाल	"	"
६९. श्री मोहम्मद हुसेन	"	"
७०. श्री भंवरलाल	"	"
७१. श्री नन्द किशोर	हिन्दी पढ़ा लिखा	"
७२. श्री हरदेव	मामूली पढ़ा लिखा	"
७३. श्री चम्पालाल	मैट्रिक	"
७४. श्री देवी शंकर	"	"
७५. श्री लक्ष्मीनारायण	"	"
७६. श्री भोलाराम	"	"
७७. श्री रिछपालसिंह	"	"
७८. श्री ओंकारलाल	"	"
७९. श्री लक्ष्मण सिंह	"	"
८०. श्री बन्सीलाल	मिडिल पास	"
८१. श्री राधेश्याम	मैट्रिक	"
८२. श्री रतन नाई	"	"
८३. श्री हरीराम	"	"
८४. श्री रामचन्द्र	मामूली हिन्दी	"
८५. श्री मूलचन्द	"	"
८६. श्री कृष्ण मीना	"	"
८७. श्री श्योदानसिंह	"	"
८८. श्री छीतरसिंह	"	"

Page No 105

८६. श्री अमर नारायण	७ वीं पास	फोरेस्ट गार्ड
९०. श्री गनपत	"	"
९१. श्री कालूराम	हिन्दी पढ़ा लिखा	"
९२. श्री नसीब खां	"	"
९३. श्री अब्दुल खां	"	"
९४. श्री भंवरसिंह	"	"
९५. श्री प्रभूसिंह	"	"
९६. श्री बाबूलाल	"	"
९७. श्री भगवती	"	"
९८. श्री उमराव अली	"	"
९९. श्री रामेश्वर प्रसाद	"	"
१००. श्री मांगीलाल	"	"
१०१. श्री राधेश्याम	"	"
१०२. श्री छाजूराम	"	"
१०३. श्री लद्दूर	"	"
१०४. श्री दुर्गाप्रसाद	"	"
१०५. श्री फूल चन्द	"	"
१०६. श्री ग्यारसी सिंह	"	"
१०७. श्री भंवरसिंह	"	"
१०८. श्री बालकिशन	छठी क्लास	"
१०९. श्री फीका भील	"	"
११०. श्री मनोहर लाल	मामूली पढ़ा हुआ	"
१११. श्री भैरोंसिंह	"	"
११२. श्री भगवान लाल	"	"
११३. श्री भंवरसिंह	"	"
११४. श्री प्रतापसिंह	७ वीं क्लास	"
११५. श्री रूपा मीना	"	"
११६. श्री खेमा मीना	"	"
११७. श्री कूर सिंह	"	"

११८. श्री सोहन सिंह	हिन्दी पढ़ा लिखा	फोरेस्ट गार्ड
११६. श्री मोहनसिंह	,,	,,
१२०. श्री उदयसिंह	,,	,,
१२१. श्री हामीदा	,,	,,
१२२. श्री वरदा	,,	,,
१२३. श्री शोभालाल	चौथी क्लास	,,
१२४. श्री भंवरसिंह	मामूली पढ़ा लिखा	,,
१२५. श्री रूपा	,,	,,
१२६. श्री खज्जी	,,	,,
१२७. श्री नाथू सिंह	पांचवीं क्लास	,,
१२८. श्री वरधा	,,	,,
१२६. श्री रूपा	,,	,,
१३०. श्री परथिंग	,,	,,
१३१. श्री कुबेरसिंह	तीसरी क्लास	,,
१३२. श्री गोरधन लाल	हिन्दी पढ़ा लिखा	,,
१३३. श्री धन्नालाल	,,	,,
१३४. श्री हरिसिंह	,,	,,
१३५. श्री भोम सिंह	हिन्दी पढ़ा लिखा	,,
१३६. श्री नाथूसिंह	तीसरी क्लास	,,
१३७. श्री नाथूलाल	,,	,,
१३८. श्री राम सिंह	,,	,,
१३६. श्री रामसहाय	चौथी ,,	,,
१४०. श्री रामप्रसाद	तीसरी ,,	,,
१४१. श्री मनोहर सिंह	दूसरो	,,
१४२. श्री भैंरों प्रसाद	,,	,,
१४३. श्री मदन लाल	चौथी ,,	,,
१४४. श्री खुमानसिंह	पांचवीं ,,	,,
१४५. श्री लक्ष्मीलाल	तीसरी ,,	,,
१४६. श्री मोडसिंह	दूसरी ,,	,,

१४७. श्री निरञ्जनलाल	मैट्रिक	फोरेस्ट गार्ड
१४८. श्री धूलसिंह	मामूली हिन्दी	,,
१४९. श्री ओम सिंह	,,	,,
१५०. श्री मिसरिया	,,	,,
१५१. श्री दुर्जनसिंह	,,	,,
१५२. श्री गुल्ला	,,	,,
१५३. श्री चैनसिंह	,,	,,
१५४. श्री किशनसिंह	,,	,,
१५५. श्री गनपत सिंह	,,	,,
१५६. श्री राधेश्याम	७वीं क्लास	हैड गार्ड
१५७. श्री बसन्ती लाल	मैट्रिक	,,
१५८. श्री मांगीलाल	७वीं क्लास	,,
१५९. श्री मांगीलाल जैन	हिन्दी पढ़ा लिखा	,,
१६०. श्री सज्जनसिंह	६टी क्लास	,,
१६१. श्री भंवरलाल	तीसरी क्लास	,,
१६२. श्री हीर सिंह	हिन्दी पढ़ा लिखा	,,
१६३. श्री भीम सिंह	,,	,,
१६४. श्री हीरा सिंह	,,	क्लास फोर्थ सर्वेंट :चपरासी। अर्दली:
१६५. श्री जसोदसिंह	,,	,,
१६६. श्री बृज मोहन	,,	,,
१६७. श्री नदनसिंह	,,	,,
१६८. श्री नन्दलाल	दूसरी क्लास	,,
१६९. श्री जगन्नाथ	मोटर ड्राइविंग	मोटर ड्राइवर
१७० श्री रामसिंह	,,	,,
१७१. श्री रामनाथ	,,	,,
१७२. श्री रामेश्वर	हिन्दी पढ़ा लिखा	केयर टेकर जू

कस्टम व सिविल सप्लाईज विभागों के सरप्लस कर्मचारी

१. श्री अब्दुल रामद	मिड़िल पास	फोरेस्टर

Page No 108

२. श्री जगदीश चन्द्र	हिन्दी पढ़ा लिखा	फोरेस्टर
३. श्री मानसिंह	,,	हैड गार्ड
४. श्री सिकन्दर बेग	मुन्शी पास	फोरेस्ट गार्ड
५. श्री नजीर खां	छठी क्लास	हैड गार्ड
६. श्री बसीर खां	,,	,,
७. श्री बासुदेव	,,	,,
८- श्री गनपत लाल	,,	,,
९. श्री शेर मोहम्मद	चौथी क्लास	,,
१०. श्री हरि बिट्ठल	छठी क्लास	,,
११. श्री रामसिंह	चौथी क्लास	,,
१२. श्री अब्दुल रहमान	तीसरी ,,	फोरेस्ट गार्ड
१३. श्री नवाब खां	,,	,,
१४. श्री भैरों सिंह	,,	,,
१५. श्री मुमताज अली	नान मैट्रिक	लोअर डिविजन क्लर्क
१६. श्री निरन्जन लाल	,,	फोरेस्टर
१७. श्री फतह लाल	पांचवीं क्लास	हैड गार्ड
१८. श्री गिरवर सिंह	,,	,,
१९. श्री भवानी सिंह	,,	,,
२०. श्री अहसान उल्ला खां	,,	,,
२१. श्री श्रीलाल लखोटिया	दूसरी क्लास	फोरस्ट गार्ड
२२. श्री मोहम्मद नूर	तीसरी क्लास	,,
२३. श्री शंकर लाल	हिन्दी मिडिल	फोरेस्ट गार्ड

शुद्धि-पत्र

दिनांक ६-४-५६

१. कृपया पृष्ठ २१६८ के शीर्ष पर "राजस्थान लोकस बहिष्कार निवारण विधेयक, १६५६" के स्थान पर "राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १६५६" पढ़ें।

२. कृपया पृष्ठ २२४६ के शीर्ष के मार्जिन में '[श्री भोलानाथ' के स्थान पर '[श्री भोलानाथ]' पढ़ें।

३. कृपया पृष्ठ २२५४ की अन्तिम पंक्ति के अन्त में "Shri Kesari singh, ji" के स्थान पर "Shri Kesari singh ji" पढ़ें।

४. कृपया पृष्ठ २२५५ से २२६४ के शीर्ष पर "पुनर्ग्रहीत" के स्थान पर "पुनर्ग्रहीत" पढ़ें।

कृपया पृष्ठ २२५५ के शीर्षक में "पुनर्गहीत" के स्थान पर "पुनर्ग्रहीत" पढ़ें।